कार्यालय : विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ। अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 14/2010 1-वाद संख्या 1/2010 ग्राम का नाम ध्सवलकलॉ, देवामऊ, सेंवई, बरौलीखलीलाबाद परगना तहसील व जिला 3-लखनऊ । अभिनिर्णीत क्षेत्रफल 4-ध्सवलकलॉ ं 2.0938 हे0 देवामऊ : 0.302791666 BO सेंवई 1.754014996 官0 बरौली खलीलाबादः 0.0898749996 हे0 योग 4.2404816616 **g**0 क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है 5-हाँ । भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन 6-सुल्तांनपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 17/07/2004 की घारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 8-30/9/2006 की घारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक भूमि अर्जन अधिनियम की घारा 7/17 के प्रकाशन : 9-05/12/2007 की दिनांक अधिकार/कब्जा की तिथि 10-07.10.2008

अभिनिर्णय की तिथि 11-10.01.2014

अमिनिर्णय की घनराशि 12-ध्सवलकलॉ 11151997.56

देवामऊ 1612728.97 सेंवर्ड 9342234.67

बरौलखलीलाबाद 478692.22

2,25,85,653.42

पूंजीकृत मृत्य 13-5857.60 अध्याप्ति व्यय 14-2258565.34

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

के दिवार की रखें एवं भा तक वहीं

धपरोदाह अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०५० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अविग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तहपश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम द खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०५० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी समितित है, पर आम सहमित बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009—10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्क्रम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये थे। जिनका अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए पूर्व में अभिनिर्णय घोषित किये जा चुके हैं। अभिनिर्णयवार विवरण निम्नवत हैं:—

₹10	अभिनिर्णय संख्या	बरौली खलीलाबाद	घुसवलकलां	सेंवई	देवामऊ	अहमामऊ	हरिहरपुर
1	1/26.05.2010	8.5625 है0	10.06236 〒0	3.0494 है0			
2	2/26.05.2010			2.5357 €0	0.38775 €0	0.945 है0	
3	3/26.05.2010	28.92579 है0	0.8215 〒0	0.072 €0			
4	4/26.05.2010			8.11438 🕏 0	-		
5	5/09.06.2010	27.383348ह0	2.6595 〒0				
6	6/26.08.2010	21.7843 हे0	8,45569 है0	20.321895 है0	1.92845 官0	0.174 है0	
7	7/08.02.2011	2.4975 ਵੇ0	6.949816 है0	11.16839 है0			1.63825
8	8/07.04.2011	13.53472285	5.73714999875	7.0356666656	3.00163333313		
9	9/13.09.2011		11.2030999852	12.0226072326	2.50525	0.589	
10	10 / 13.09.2011	1.143179761	4.31053326	3.8824166649		0.0675878	
11	11/26.03.2012	1.989666666	2.961	1.296	2.858683333		
12	12 / 15.05.2012	2.8835	-	-	-	-	_
13	13/26.11.2012	0.58897916323	6.517497929	3,5462874986	1.57849537		
	योग	109.29348644023	59.67814717295	73.0447430617	12.260262034	1.7755878	1.63825

प्रश्नगत योजना में अब तक घोषित अभिनिर्णय च अवशेष भूगि के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है :-

360 190	ग्राम वन नाम	घारा 7/17 का क्षेत्रफल हैं0 में	मजरूजा / कंदना का क्षेत्रफल हेंठ में	अमिनिणीत भूमि वत होत्रफल हैं। में	प्रस्तावित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल हैं। में	अभिनिर्णय हेतु अवशेष संत्रफल हेत मे
1	देवामुख	28-468	21-981	12.260262034	0.302791666	9.4179463
2	वरीलीखलीलावाद	160-953	123-376	109.29348642323	0.0898749996	13.99271857717
3	धुसवलकलॉ	115-992	88-452	59.67814717295	2.0938	26.68005282705
4	हरिहरपुर	72-756	46-585	1.63825	2,0000	44.94675
5	सेंवई	97-148	82-391	73.0447430617	1.754014996	7.5922419423
6	अहमामऊ	27-064	20-859	1.7755878	7.707017000	19.0834124
7	वरीना	39-043	35-507	101,00010		
8	सरसवॉ	75-715	75-715			35.507
		617-139	494-866	257.69039649	4.2404816616	75.715 232.93512204652

वर्तमान अभिनिर्णय मे उपरोक्त जिन ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव/समझौते प्राप्त हुए हैं, के अनुबन्ध का खातावार विवरण निम्नवत है :-

ग्राम–घुसवलकलॉ

खाता संख्या 45-

भूमि खसरा संख्या ४८ रकवा 0.292 है० व खसरा संख्या—४९ रकवा 0.034हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उत्तर भूमि राजरव अभिलेखों में नन्हकऊ पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ग्रामवासी कु० किरण सिंह पुत्री एस०बी० सिंह, 215/445 दुर्गा भवन नाका हिन्डोला, लखनऊ अनिल कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या—'512/25.03.09 गाटा सं0—48/0.292हे० का बकदर भाग 0.073हे० से अनिल कुमार पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद का नाम निरस्त करके श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी केशव दयाल नि० नगला झलाई, तहसील करहल जिला मैनपुरी का नाम बतौर संवभू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। पुनः आदेशानुसार राठनि० बिजनौर द्वारा पठक० 11क/11.06.09 खाता सं० 45, 46, 47, 100 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार नाठतह० बिजनौर वाद संठ 1127/28.08.09 गाटा संठ 48/0.292, 49/0.034हे० कुल रकवा 0.326 हे० मे से 0.090 हे० माठगु० ख से अनिल कुमार पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद का नाम निरस्त करके श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी केशव दयाल नि० नगला अलाई तहसील करहल जिला मैनपुरी का नाम बतौर संठभू० द्वारा बैनामा ऑकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार उर्मिला देवी द्वारा अपने हिस्से नाम बतौर संठभू० द्वारा बैनामा ऑकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार उर्मिला देवी द्वारा अपने हिस्से

/- ---- -D 3 ---- - 5

की 1/2 भाग भूगि के सम्बन्ध में ७०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ५४ -

भूमि खसरा संख्या 148 रकवा 0.747हे0, 225/1.557हे0, 389/0.022हे0, 370/0. 035हे0, 372/0.049हे0, 373/0.025हे0 व 375/0.219हे0 कुल रकवा 2.664हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में वृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रमण चैतई, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रमण नेवाजी लाल, श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामरवरूप नि0 जया सिंह खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रकान्ती द्वारा 1/12 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 102:--

भूमि खसरा संख्या 10 रकबा 0.107है0 व 186मि0/0.145है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र नान्हूलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसेवक द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 141:-

भूमि खसरा संख्या 54 रकबा 0.323हे0 व 198व/0.483हे0 कुल रकबा 0.806हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवस्थी नि0 घुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना0त0 नगर वाद सं0 452/03.08.07 गाटा सं0 54/0. 323 में से 0.253 से श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवस्थी का नाम निरस्त करके श्यामिकशोर पुत्र राम सिंह नि0 दिरयाई पुरवा म0 हसनपुर जिला बाराबंकी का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा अंकित किया जाय शेष रकबे पर विक्रेता का नाम यथावत दर्ज रहेगा। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 480/18.02.08 गाटा सं0 198व 10.483 हे0 से श्रीमती विद्यावती पत्नी हीरालाल के स्थान पर ना0त0 बिजनौर के आदेश दिनांक 24.04.03 के द्वारा वसीयत प्राप्त कर्ती श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवस्थी का नाम निरस्त करके श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्रीराम वर्मा नि0 छोटा बरहा आलमबाग लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार मुन्नीदेवी द्वारा 0.070हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये यथे अनुबन्ध के आघार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १४२ -

भूमि खसरा संख्या 360 रकवा 0.058हैं0 च 359िम0 / 0.122हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती माथा सिंह पत्नी गीं0एस0 थाकुडी निं0 सल्ट निवास कंचन बिहारी मार्ग नांलदा रकूल के पास राजीव नगर, कल्यानपुर शहर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार माथा सिंह द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के अधार पर प्रतिक्र अभिनिणीत किया जाता है।

E

खाता संख्या 14:-

भूमि खसरा संख्या ४३१स रकवा 0.00६हे०, ४३२स/0.15३हे०, ४३३स/0.11३हे०, ४३४स/0.04४हे०, ५०६४/0.00३हे०, ३९१/0.082हे०, ४०९/0.200हे०, ४४४/2.187हे०, ४४६/0.018हे०, ४४७/1.197हे०, ४५६/0.202हे०, ४५७/0.010हे०, ४५९/0.039हे०, ४६४/0.10४हे०, ४६५/0.068हे०, ४४४/0.371हे० कुल रकवा ४.797हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा राममिलन, काँशल किशोर, लल्लन पुत्रगण मैकूलाल, राम औतार पुत्र त्रिलोकी, राम नरेश पुत्र रामचरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली १३७२ से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओम प्रकश द्वारा १/15 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम-देवामऊ

खाता संख्या २१:-

भूमि खसरा संख्या 153 रकवा 0.641हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में धन्नू, जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण विरंजू व विद्वा पुत्रगण धनी व सुन्नी देवी विधवा स्थामालाल, रामू ना०बा० आयु 15 वर्ष संरक्षिका मुन्नीदेवी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार तह०सदर लखनऊ वाद सं० 1007/28.07.08 गाटा सं० 51अ/0.2150, 51ग/0.4530हे० के बकदर भाग रकवा 0.250हे० से धन्नू, जगन्नाथ बैजनाथ पुत्रगण चिरंजू का नाम निरंत्र करके अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फोरट्रेक्चर लि० रिज० आफिस 115 अंसल भवन 16 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001, वर्तमान पता तृतीत तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया गया जाय। खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेगे। पुनः आदेशानुसार तह० सदर लखनऊ वाद संख्या 1023/29.09.08 गाटा सं० 153/0.651हे० में से अपना सम्पूर्ण भाग 0.081हे० से मुन्नी देवी विधवा श्यामलाल, रामू ना०बा० द्वारा संरक्षिका माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके सीताराम पुत्र मैकू लाल नि० महमूदपुर मजरा मुजफ्तरनगर घुसवलकलों का नाम सं०म०भू० द्वारा सं० 51अ/0.215, 51ब/0.453हे० के 1/8 भाग 0.0835हे० से मून्नी वाद सं० 964/27.09.08 गाटा सं० 51अ/0.215, 51ब/0.453हे० के 1/8 भाग 0.0835हे० से मून्नी

0

देवी विधवा श्यामलाल व राग नावबंव द्वारा संरक्षिका माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाग निरस्त करके क्रेता अन्तल प्राप्टील एण्ड इन्फास्ट्रेक्चर लिंव द्वारा अधिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी विश्व प्रवन्तक समन्त्राय पता तृतीय तल वाई०एमवरीविए० विल्डिंग—13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ का नाग वतीर संवन्त्रा वैनामा अकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार सीताराम द्वारा 1/8 भाम भूमि के सम्बन्ध में नविधे गये अनुबन्ध के आदार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23-

भूमि खसरा संख्या 129 रकवा 0.230हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हा पुत्र मेजू व यासीन पुत्र रमजान व सब्बीर अली, मुजीम अली बालिम, मो० पतले अली पुत्रमण अशरफ अली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् कराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हा द्वारा 1/3 माम भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४०:-

भूमि खसरा संख्या 145 रकवा 0.039हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में मनीराम, अवधेश ना0बा0 आयु 10 वर्ष विक्रमाजीत ना0बा0 आयु 10 वर्ष संरक्षिका श्रीमती राजेश्वरी पुत्रगण चन्दी नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मनीराम द्वारा 1/3 माग व अवधेश द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६९ :--

भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.240हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगोपाल, आनन्द प्रकाश पुत्रगण सुन्दरलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार आनन्द प्रकाश द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

ग्राम-सेंवई

खाता संख्या 51:-

भूमि खसरा संख्या 47 रकवा 0.063है0, 49/0.697है0, 52/0.114है0 व 53स/ 0.126है0 कुल रकवा 1.000है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छबीले पुत्र उमराव व प्रेमचन्द्र पुत्र पियारे व राजकुमार, राजेन्द्र, प्रताप पुत्रगण अशर्फी लाल व पंकज पुत्र रामनरेश व विकास नाठबाठ आयु 13 वर्ष संठ श्रीमती मीना बेवा राम नरेश, रामेश्वरी व जनाका पुत्री भोलों नि0 ग्राम को नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिशर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेन्द्र द्वारा 1/16 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ६०:-

भूमि खसरा संख्या २८७ रकवा ०.५५६है० व २९५/०.२६६है० कुल रकवा ०.८२२है० मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवी प्रसाद बावूलाल पुत्रमण नन्दा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय गूमिवर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 14/31/184/18-1-08 गाटा सं० 287/0.556, 295/0.266, 430/0.100 मा० गु० 42.30 के यथोचित भाग से चन्नी पत्नी स्व० गंगाराम का नाम निरस्त करके जमुना पुत्र बिहारी का नाम बतौर वारिस बजरिये पंजीकृत वसीयत संवभू० दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार निबन्धक राजस्य परिषद उ०प्र० अनुमाग 13 लखनऊ के 6902/13(न्याय) दिनांक लखनऊ 21.07.10 नि०सं० 2537 एल०आर०/09-10 जिला लखनऊ बाबूलाल आदि बनाम जमुना प्रसाद ग्राम सेंवई परमना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ परिषद के आदेश दिनांक 8-7-0 अपर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थिगत रहेगा। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क/१८.०६.११ खाता सं० ६० पर मृतक देवी प्रसाद के स्थान पर रामदीन व राकेश कुमार पुत्रगण देवी प्रसाद व श्रीमती चन्द्रकली पत्नी स्व० देवी प्रसाद नि० सुन्दर खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। अभिलिखित खातेदार बाबूलाल द्वारा 1/4 भाग, रामदीन द्वारा 1/12 भाग, राकेश द्वारा 1/12 भाग व चन्द्रकली द्वारा 1/12 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १२५:-

भूमि खसरा संख्या 241 रकवा 0.016है0 व 242/0.039है0 कुल रकवा 0.055है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कल्लू ग्राठवाठ व विजय कुमार पुत्र बलई नि० उसरी बंगला बाजार के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नाठतठ विजनौर वाद संठ 1281/212 09.09.09 खाता संख्या—125 गाटा संठ 45/0.165हे० का पूर्ण भाग व खाता संख्या—127 गाटा संठ 57/0.144हे० के बकदर भाग माठ गुठ 60ख से विक्रेता बाबादीन पुत्र कल्लू नि० ग्राम व विजय कुमार पुत्र बलई नि० उसरी बंगला बाजार लखनऊ का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० बरौली खलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर संठभूठ द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। गाटा संठ 57 के शेष रकबे पर अन्य सहखातेदार यथावत दर्ज रहेगे। अभिलिखित खातेदार बाबादीन द्वारा 1/2 भाग व विजय कुमार द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 273 रकवा 1.35/हं0 भूमि वन अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रमण नन्हें, मुल्कराज, चन्द्रपाल, मीतम पुत्रमण मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी बेवा मोतीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार मंशाराम द्वारा 1/6 भाग, हीरालाल द्वारा 1/6 भाग, मुल्कराज द्वारा 1/8 भाग, चन्द्रपाल द्वारा 1/8 भाग व राजकुमारी द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 207:--

भूमि खसरा संख्या 15 रकवा 0.120हे0, 16/0.132हे0 व 18/0.296हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम उचित पुत्र रामनाथ, रामपाल पुत्र सूरजबली, राकेश कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, दयानन्द यादव पुत्रगण बहादुर यादव, राजधर्म पुत्र श्रीपाल नि0 ग्राम श्रीमती सुशीला पत्नी श्रीपाल प्यारेलाल पुत्र मैकू लाल नि0 मकदूमपुर जगराना पत्नी फूलचन्द्र नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.10.05 खा०सं० 207. 329 से मृतक राजधरम के स्थान पर राकेश व सत्य प्रकाश, जुग्गीलाल, कौशल ना0आयु क्रमशः 16, 12, 8 वर्ष सं० श्रीमती विद्यावती माता खयं पुत्रगण राजधरम व श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० राजधरम नि० मकदूमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार ना0तह० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/26.03.10 खाता सं० 207 पर रामनाथ पुत्र धनी नि० ग्राम का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय। अभिलिखित खातेदार जगराना द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २०९:-

भूमि खसरा संख्या 227 रकवा 0.031हे0, 228/0.096हे0, 233स/0.017हे0 व 238/0.130हे0 कुल रकवा 0.274हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकुमार, राम किशोर पुत्रगण शंकर शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण धनी बेचा लाल पुत्र हुब्बा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना0त0 बिजनौर वाद सं0 138/833/06/30.08.07 ग्राम सेवई पर विजनौर त0 व जिला लखनऊ की खतौनी 1395 से 1400 फ0 के खात सं0 62 पर अंकित प0क0 11क आदेश दि0 30.08.91 निरस्त किया जाता है एवं खतौनी वर्ष 1413–18 फ0के0 खा0 सं0 209, 265, 267 पर अंकित शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण स्व0 धनी का नाम निरस्त कर शत्रोहन सालिकराम, प्रेम कुमार, कुरील उर्फ बजरंग पुत्रगण स्व0 धनी नि0 ग्राम का नाम जरिये वरासतन अंकित हो। अभिलिखित खातेदार रामकुमार द्वारा 1/3 व राम किशोर द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जाता है।

खाता संख्या ३११:-

मूमि खसरा संख्या 247 रकबा 0.117हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सहजराम, रागू, सुभाप चन्द्र, सुमन्त कुमार पुत्रमण पल्टराम व श्रीमती रामप्यारी पत्नी पल्टू राम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सहजराम द्वारा 1/5 भाग, रागू द्वारा 1/5 भाग, सुभाष चन्द्र द्वारा 1/5 भाग, सुमन्त कुमार द्वारा 1/5 भाग एवं रामप्यारी द्वारा 1/5 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जाता है।

वरौलीखलीलाबाद

खाता संख्या २७३:-

भूमि खसरा संख्या 1745 रकवा 0.228हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मथुरा पुत्र पाँचू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार 1412 फ0 आदेशानुसार श्रीमान रा0नि0 महोदय जरिये प0क0 11क क्रमांक 37/16.09.04 द्वारा गाटा सं0 273 पर से मृतक मथुरा पुत्र पाँचू के स्थान पर राघे पुत्र भोला व भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल व सोहनलाल व मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल व श्रीमती प्यारा पत्नी छोटेलाल व घसीटे व रामसुमिरन पुत्रगण बैजू राम प्रसाद कल्लू लाला पुत्रगण शिवलाल नि0 द्योद्यन खेड़ा मजरा ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.09 खाता सं0 128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिभजन बालिग, सुखदेव, विशुनदेव ना0बा0 आयु क्रमश 12, 9 वर्ष सं0 श्रीमती राधा माता रवंय पुत्रगण मेवालाल व श्रीमती राधा पत्नी रव0 मेवालाल नि0 द्योद्यन खेड़ा म0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिभजन द्वारा 1/48 भाग व श्रीमती राधा द्वारा 1/16 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनीणीत किया जाता है।

खाता संख्या ३६७:-

भूमि खसरा संख्या 1713 रकबा 0.202है0, 1722/0.417है0, 1723/0.190है0 व 1724/0.089है0 कुल रकबा 0.898है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहन लाल पुत्र छोटेलाल, मेवालाल पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खतौनी सन् फसली वर्ष 1416 से 1421 मे भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चन्दिका पुत्र हरिश्चन्द्र, सोहनलाल पुत्र छोटेलाल, रमेश चन्द्र पुत्र बुद्ध्लाल, नन्हकऊ पुत्र राधे व नन्ही देवी पत्नी राधे, मेवालाल पुत्र छोटेलाल श्रेणी—1क संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा

1/24 भाग भृति के सम्बन्ध में 6090 आवास एवं विकास परिषद से वर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खीता संख्या ३७०-

भूमि खसरा संख्या 1805 रकवा 0.152हे0 1808/0.051हे0, 1809/0.025हे0, 1810/2/0.016हे0, 1823/0.013हे0, 1824/0.076हे0, 1826/0.063हे0, 1827/0.101हे0, 1828/2/0.013हे0, 1829/2/0.132हे0, 1830/1/0.110हे0 व 1833/0.051हे0 कुल रकवा 0. 803हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहन लाल, मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल निवासी) ग्राम का नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। खतौनी सन् फसली वर्ष 1416 से 1421 में भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चन्द्रिका पुत्र हरिश्चन्द्र, सोहनलाल पुत्र छोटेलाल, रमेश चन्द्र पुत्र बुद्धलाल, नन्हकरु पुत्र राधे व नन्ही देवी पत्नी राधे, मेवालाल पुत्र छोटेलाल श्रेणी—1क संक्रमणीय भूमि के रूप में दर्ज हैं। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

. प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हैं, से संबंधित श्रापथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कितपय खसरा संख्या—मिंजुमला के रूप मे अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू0अ0अ0 की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाम अनुमन्य नहीं होगा।

अजिरिगर १०.1. २०१५ की अजिरिगर पिकित किया जाया। अप्राचित थिए। अप्राची

(सुधीर कुमार स्हेमटी) विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०००) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनन

			आभानणय आदश	संख्याः - 13/2016
1-	वाद संख्या	+	1/2010	
2-	ग्राम का नाम	0	सेवई, देवामऊ, बरौलीखलीलाब	घुसवलकलां,
3-	परगना तहसील व जिला		लखनऊ ।	9 1
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल		सेंवई	2 5460074000
			देवामऊ	3-5462874986
				1-57849537
			युरायलकला बरौलीखलीलाबा	6-517497929 G 0-58897916323
			योग-	12-2312599608
5-	वया जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	20	हों ।	
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	ŧ		भूमि विकास एवं
			गृह स्थान योज	ना
7-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की घारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	20	17/07/2004	
8-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	į.	30/9/2006	
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007	
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	100	07.10.2008	
11-	अभिनिर्णय की तिथि		07.10.2000	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	i.	सेंवई	1,88,88,236-77
			देवामऊ	84,07,382-04
			घुसवलकलां	3,47,13,497-47

बरौलीखलीलाबाद 31,37,020-82 योग-6,51,46,136-80

पूजीकृत मृल्य

17062-80

13-14-अध्याप्ति व्यय 65,14,613-70

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात्

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसे निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की उध्यक्षता में स्थिति गठित की गयी। गठित सांभेति की बैठव में प्रश्नियत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित हैं. पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08—9 (2009—10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये थे। जिनका अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए पूर्व मे अभिनिर्णय घोषित किये जा चुके हैं। अभिनिर्णयवार विवरण निम्नवत हैं :—

60 HD	अभिनिर्णय संख्या	बरौली खलीलाबाद	घुसवलकला	सेंवई	देवामऊ	अहमामऊ	हरिहरपुर
	1/26.05.2010	8.5625 🕏 0	10.06236 है0	3.0494 है0			-
	2/26.05.2010			2.5357 €0	0.38775 🕏 0	0.945 है0	-
	3/26.05.2010	28.92579 है0	0.8215 है0	0.072 है0	0.00773 60	0.945 60	-
	4/26.05.2010			8.11438 है0			
	5/09.06.2010	27.383348ह0	2.6595 乾0				
	6/26.08.2010	21.7843 है0	8.45569 80	20.321895 80	192845 80	0.474 30	200
	7/08.02.2011	2.4975 80	6.949816 है0	11.16839 80	1.32043.00	0.174 80	
	8/07.04.2011	13.53472285	5.73714999875	7.0356666656	3.0016333313		1.63825
	9/13.09.2011	-	11.2030999852	12.0226072326	2.50525	0.500	
	10/13.09.2011	1,143179761	4.31053326	3.8824166649	2.30325	0.589	
	11/26.03.2012	1.989666666	2.961	1.296	0.050000000	0.0675878	
	12/15.05.2012	2.8835	_		2.858683333		
	योग	108.70450726	53.16064924395	69.4984555631	10.681766664	1.7755878	1.63825



प्रश्नगत योजना में अब तक घोषित अभिनिर्णय व अवशेष भूमि के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत हैं :--

क्र0 सं0	ग्रास का नाम	धारा 7/17 का क्षेत्रफल हे0 मे	मजरूआ /कब्जा का क्षेत्रफल हे0 मे	अभिनिर्णीत भूमि का क्षेत्रफल है० मे	प्रस्तावित अभिनिर्णय का क्षेत्रपत्त है0 मे	अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल हे0 मे
1	देवामऊ	28-468	21-981	10-681766664	1-57849537	9-720737966
2	बरौली खलीलाबाद	160-953	123-376	108-70450726	0-58897916323	14-082513577
3	धुसवलकलॉ	115992	88-452	53-1606492439	6-517497929	28-7738528271
4	हरिहरपुर	72-756	46-585	1-63825		44-94675
5	सेंवई	97-148	82-391	69-4984555631	3-5462874986	9-3462569383
6	अहमामऊ	27-064	20-859	1-7755878		19-0834124
7	वरीना	39-043	35-507			35-507
8	सरसवॉ	75-715	75-715	***		75-715
		617-139	494-866	245-45921653	12-2312599608	237-17552351

वर्तमान अभिनिर्णय में उपरोक्त जिन ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव/समझौते प्राप्त हुए हैं, के अनुबन्ध का खातावार विवरण निम्नवत हैं :-

ग्राम-सेंवई

खाता संख्या 85:-

भूमि खसरा संख्या 269 रकवा 0.131 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परीदीन पुत्र रघुनाथ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनौर द्वारा प0क0 11क / 29.05.09 खाता सं0 85, 87 से मृतक परीदीन के स्थान पर रामेश्वर, दिनेश कुमार पुत्रगण परीदीन व श्रीमती अंगाना पत्नी स्व0 परीदीन नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर, दिनेश कुमार व अंगाना द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

14

खाता संख्या 173:-

भूमि खसरा संख्या 324 रकवा 0.304 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव ग्रा०वा० लालू, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशेखर पुत्रगण भगवानदीन रध्वर पुत्र देवी रामशरण पुत्र लक्ष्मीनरायन, शीतल, श्रीपाल पुत्रगण बैजनाथ, विकम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण बेचालाल, अहिवरन ना०बा० आयु 13 वर्ष तहसीलदार ना०बा० आयु 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं० शान्तीदेवी श्रीमती शान्तीदेवी, पत्नी पृथ्वीपाल, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राघेलाल, चन्दन नाठबाठ आयु 10 वर्ष प्रीतम सिंह नाठबाठ आयु 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल संठ कौशल्या देवी, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राघेलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकेत है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेश बाहवाला मृतक श्रीपाल व शीतल के सम्बन्ध में खा०सं० २७१ पर अंकित है। आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क/०२.०२.०६ खा०स० १७२. 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व0 मोल्हे नि0 चौधरी खेड़ा म0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 29.06.09 खा०स० 173,174 पर मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०बा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी स्व० पत्नी मंशाराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामशरण द्वारा 1/10, गजेन्द्र सिंह द्वारा 1/60, दिनेश सिंह द्वारा 1/60, जितेन्द्र सिंह द्वारा 1/60, कौशल्या (ना०बा० चन्दन व प्रीतम) प्रत्येक द्वारा 1/20, रामचन्द्र द्वारा 1/60, नन्हेलाल द्वारा 1/60, कल्लू द्वारा 1/60, करन द्वारा 1/60, बबलू द्वारा 1/60 व राजेश्वरी द्वारा 1/60 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 174:-

भूमि खसरा संख्या 205 रकवा 0.212 हे0, 283स/0.063हे0, 285स/0.145हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव प्रसाद, लालू, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशंखर पुत्रगण भगवानदीन, श्रीपाल, शीतल पुत्रगण वैजनाथ, रामसरन पुत्र लक्ष्मीनरायन, विकम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण वेचालाल. अहिवरन ना0वा0 आयु 13 वर्ष तहसीलदार ना0वा0 आयु 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं0 श्रीमती शान्तीदेवी, श्रीमती शान्तीदेवी, पत्नी पृथ्वीपाल, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राघेलाल, चन्द्रन सिंह ना0वा0 आयु 09 वर्ष प्रीतम सिंह ना0वा0 आयु 8 वर्ष पुत्रगण राघेलाल सं0 कौशल्या देवी, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 राघेलाल रघुवर पुत्र देवी नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश बाहवाला मृतक श्रीपाल व शीतल के सम्बन्ध में खा0सं0 271 पर अंकित है। आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/02.02.06 खा0स0 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व0 मोल्हे नि0 चौधरी

खेड़ा म0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/29.06.09 खा०स० 173,174 पर मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीप कुमार ना०बा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी स्व० पत्नी मंशाराम ि० ग्राम का नाम बतौर वारिरः वर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामशरन द्वारा 1/10, गजेन्द्र सिंह द्वारा 1/60, दिनेश सिंह द्वारा 1/60, जितेन्द्र सिंह द्वारा 1/60 व चन्दन, प्रीतम ना०बा० सं० श्रीमती कौशल्या (माता) पुत्रगण राधेलाल व श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व० राधेलाल द्वारा 1/20 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध

में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २४३:-

भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 0.122 हे0, 283स/0.063हे0, 285स/0.145हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसरन पुत्र लक्ष्मीनरायन ग्रामवासी, गर्जन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राघेलाल, चन्द्रन सिंह ना०वा० 9 वर्ष प्रीतम सिंह ना०वा० 8 वर्ष पुत्रगण राघेलाल सं० कौशल्या देवी मों श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राघेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामशरन द्वारा 1/2, गर्जन्द्र सिंह द्वारा 1/12, दिनेश सिंह द्वारा 1/12, जितेन्द्र सिंह द्वारा 1/12 व चन्द्रन, प्रीतम ना०वा० सं० श्रीमती कौशल्या (माता) पुत्रगण राघेलाल व श्रीमती कौशल्या पत्नी रव० राघेलाल द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६३:-

भूमि खसरा संख्या 146 रकवा 1.378 है0 व 181/0.333है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामसुन्दर, श्रीकृष्ण पुत्रगण नीलकंठ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनीर द्वारा प0क0 11क/13.07.07 खाता सं0 30, 263, 264 से मृतक श्यामसुन्दर के स्थान पर बुद्ध पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीकृष्ण द्वारा खसरा संख्या—146 में से अपने हिस्से की 1/2 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री राकेश यादव द्वारा आपित प्रस्तुत की गयी है। जिसके निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 271:-

भूमि खसरा संख्या 214 रकबा 0.084 है0, 294/0.278हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल, श्रीपाल पुत्रगण वैजनाथ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0िन0 बिजनीर द्वारा प0क0 11क / 05.01.06 खाता सं0 271, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर समयन्दर, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व0 शीतल व सूटू सुशील ना0बा0 आयु कमश. 12, 8 वर्ष सं0 श्रीमती सरोज पुत्रगण स्व0 छेदालाल व शीमती त्यरोज पत्नी स्व0 छेदालाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचन्द्र, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू व राजेश्वरी प्रत्येक द्वारा अपने—अपने हिस्से की 1/12 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ११४:-

भूमि खसरा संख्या 159 रकवा 0.269 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन पुत्र तुलसीराम, राजेश कुमार यादव पुत्र बिहारी लाल, प्रेमसागर उर्फ नन्कऊ पुत्र घूरू प्रसाद यादव निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नायब तहसीलदार बिजनौर वाद संख्या—662/06 गाटा संख्या—159/0.269 है0 गा0 गु0 60 ख के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि0 ग्राम धावाहार म0 सेवई का नाम निरस्त करके जनार्दन प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद यादव नि0 शारदा नगर निलमथा, लखनऊ का नमा सहखातेदार बतौर स0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार जनार्दन प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १६७:-

भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.357 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हें मुल्कराज, चन्द्रपाल, गाँतम पुत्रगण मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी बेवा मोतीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भाईलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १६८:-

भूमि खसरा संख्या 28 रकवा 0.231 है0, 29/0.271 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हें, श्यामलाल, गनेश, श्रीपाल पुत्रगण पितई, मुल्कराज, चन्द्रपाल, गौतम पुत्रगण मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व0 मोतीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित

J.

खातेदार मंशाराम द्वारा 1/8, हीरालाल द्वारा 1/8, चन्द्रपाल द्वारा 1/32, गाँतम, राजकुमारी द्वारा 1/32 व मुल्करांज द्वारा 1/32 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में 'कैये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री जावेद इकवाल, अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है, के निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या २१४:-

भूमि खसरा संख्या ८४ रकबा 0.596 है0, ८९/0.375 भूमि का अर्जन किया जा रहा हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्रीपाल, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्रगण शिव नरायन चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान, रामचन्द्र पुत्र राजाराम कनेडी, पुत्र ओमप्रकाश लितत कुमार पुत्र ओमप्रकाश, देवीशरन, नन्दिकशोर पुत्रगण जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ श्रीमती नान्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ श्रीमती माम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क/18.06.09 खाता संठ 139, 214, 215 से मृतक राम खेलावन के स्थान पर राघेश्याम, कमलेश कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व0 रामखेलावन व श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 रामखेलावन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार गौतम कुमार द्वारा 1/48 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२९:-

भूमि खसरा संख्या 191 रकवा 0.119 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामदीन पुत्र मंगल बेचालाल, दर्शन पुत्रगण पितई निवासी ग्राम चमनलाल पुत्र राम प्रसाद नि0 घुसवलकलाँ श्रीमती सताना देवी पत्नी स्व0 राम प्रसाद, महावीर, मनोजकुंमार, साहबदीन पुत्रगण रामखेलावन श्रीमती विशुनदेई पत्नी रामखेलावन नि0 घुसवलकलाँ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार मृतक बेचालाल के स्थान पर मुकेश, राजू, बाबूलाल, सुनील पुत्रगण बेचालाल व विद्या पत्नी स्व0 बेचालाल बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामदीन द्वारा 1/4, दर्शन द्वारा 1/8, चमनलाल द्वारा 1/8, सताना द्वारा 1/8, मुकेश द्वारा 1/40, राजू द्वारा 1/40, सुनील द्वारा 1/40 व विद्या द्वारा 1/40 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आघार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४१:-

भूमि खसरा संख्या 321 रकबा 0.276 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगा प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद पुत्रगण रामबली, दिनेश कुमार, संदीप कुमार, सत्यदीप

R,

पुत्रगण गया प्रसाद, श्रीमती नेमवती पत्नी स्व० गया प्रसाद नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगदम्बा प्रसाद द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 145:--

भूमि खसरा संख्या 305 रकवा 0.128 है0 व 312/0.093है0 कुल 0.221हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुकेश कुमार, रामकुमार ना0वा0 आयु 14 वर्ष नितेश कुमार ना0वा0 आयु 9 वर्ष पुत्रगण राम सुरेश सं0 पिता राम सुरेश, राम सुरेश पुत्र मिठाई लाल, शिवरतन पुत्र मेड़ई नि0 नरहराखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवरतन, मुकेश व राम सुरेश द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २४६:-

भूमि खसरा संख्या 37 रकबा 0.203 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र गुरू प्रसाद नि0 निलमथा इब्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1411 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 (आनन्द कुमार) द्वारा प0क0 11क / 12.08.10 खाता सं0 246 से मृतक रामसेवक के स्थान पर लक्ष्मीचन्द्र, बाबूलाल व लिलतकुमार व सुनील कुमार व पुत्रगण राम सेवक व श्रीमती एमावती पत्नी स्व0 रामसेव नि0 निलमथा इब्राहिमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। अभिलिखित खातेदार लक्ष्मी चन्द्र, बाबूला, लिलत कुमार, सुनील कुमार व श्रीमती एमावती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जात. है

खाता संख्या २५१:-

भूमि खसरा संख्या 318 रकबा 0.178 है0 भूमि का अर्जन किए जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लल्लू सिंह यादव पुत्र रामलाल यादव, शिवरतन एट नेर्ड़्ड् नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। श्रीमोलेखित खातेदार शिवरतन द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकाय भारषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आपा एक प्रिता जिला जिया जीता है।



खाता संख्या २७७:--

भूमि खसरा संख्या 302 रकवा 0.350 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में शिवरतन पुत्र मेड़ई जन्हू बालू सज्जू पुत्रगण रामस्वरूप नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवरतन द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३३३ :--

भूमि खसरा संख्या 125 रकवा 0.833 है0 व 126स/0.076है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती विमला कुमारी पत्नी दुर्गाप्रसाद श्रीमती मीना पत्नी सुरेश चन्द्र निवासी निलमथा बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती मीना द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री जावेद इकवाल अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या ३१२ :-

भूमि खसरा संख्या 107 रकबा 0.038 है0 व 129/0.622है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सेवाराम, राजकुमार व छोटे पुत्रगण भल्लर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सेवाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम-बराँलीखलीलाबाद

खाता संख्या 89:-

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकवा 0.262 हे0 1606/2/0.262हे0, 1641/0.569हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीतारावत पत्नी रामखेलावन, छेदा पुत्र रामनाथ, विनोद पुत्र रामनाथ, शिवराजा पत्नी रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा पुत्र शीतल, सन्तराम पुत्र पितम्बर, सुखलाल, हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण इश्वरीदास, सोहनलाल पुत्र शीतल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/27.03.05 खाता सं0 89 से मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम मिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी सुखलाल नि0 ग्राम का नाम बताँर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल व राममिलन प्रत्येक द्वारा अपने—अपने हिस्से की 1/96 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास

एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२९:-

भूमि खसरा संख्या 1637 रकबा 0.038 है0 1639/0.013हे0, 1635/0.050हे0, 1636/0. 114हे0, 1625/0.161हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती पुत्र सर्तर्ह, कु0 संन्जू ना0वा0 11 वर्ष पुत्री खिलाड़ी सं0 कालिका (नाना) छेदा, विनोद पुत्रगण रामनाथ शिवराजा बेवा रामनाथ परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा, सोहनलाल पुत्रगण शीतल सन्तराम, सुखलाल, हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार, शिवकुमार पुत्रगण इश्वरीदास नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/08.09.04 द्वारा खाता सं0 229 व 511 पर मृतक सुखलाल पुत्र पितम्बर के स्थान पर श्यामलाल, राममिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रुधराई पत्नी स्व0 सुखलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा 1/96, रागिनलन द्वारा 1/96, छेदा द्वारा 1/24, विनोद द्वारा 1/24, शिवराजा द्वारा 1/24 व वित्रण करण द्वारा 1/32 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध ने 1क्य गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७३:-

भूमि खसरा संख्या 17:5 रकवा 0.228 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेर 13:3 पुत्र पाँचू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिछ 2 1 आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनीर द्वारा प0क0 अर्भाक 37 दिनांक 16.07.04 द्वारा खाता सं0 273 से मृतक मथुरा पुत्र पाँचू के स्थान पर राधे पुत्र भोला व भूपकुमार पुत्र पुत्तीलाल, सोहनलाल, मेवा पुत्रगण छोटेलाल व श्रीमती पियारा पत्नी छोटेलाल, धसीटे, रामसुमिरन पुत्रगण वैजू, राम प्रसाद कल्लू लोला पुत्रगण शिवलाल नि0 घोधनखेड़ा म0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 विजनीर प0क011क दिनांक 01.06.09 खाता सं0 179 से मृतक राधे के स्थान पर रमेश चन्द्र, बृद्धूलाल, नन्हकऊ पुत्रगण स्व0 राधे व श्रीमती नन्ही देवी पत्नी राधे नि0 घोधनखेड़ा बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। पुनः आदेशानुसार रा0 नि0 विजनीर प0का0 11क दिनांक 15.06.09 खाता सं0 128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिभजन बा0 सुखदेव विशुनदेव ना0बा0 12, 9 वर्ष सरं0 श्रीमती राधा (माता) व श्रीमती राधा पत्नी स्व0 मेवालाल बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं तथा मृतक रामसुमिरन के स्थान पर धसीटेराम का नाम दर्ज किये जाने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार सोहनलाल होरा 1/12, मूपकुमार द्वारा 1/12, राम प्रसाद द्वारा 1/12, कल्लू द्वारा 1/14 व नन्हकऊ द्वारा 1/14, श्रीसार द्वारा 1/6, धसीटे द्वारा 1/4 व नन्हकऊ द्वारा 1/48

भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३६७:-

भूमि खसरा संख्या 1713 रकवा 0.202 हे0 1722/0.417हे0, 1723/0.190हे0, 1724/0.089हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूपकुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहनलाल पुत्र छोटेलाल नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/01.06.09 खाता सं0 179 से मृतक राधे के स्थान पर रमेशचन्द्र बुद्ध्लाल, नन्हकऊ पुत्रगण राधे व श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 राधे बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हकऊ द्वारा 1/24, भूपकुमार द्वारा 1/6, बुद्ध द्वारा 1/24 व नन्ही द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७०:-

भूमि खसरा संख्या 1805 रकबा 0.152 हे0 1808/0.051हे0. 1809/0.025हे0, 1810/0.016हे0. 1823/0.013हे0, 1824/0.076हे0, 1826/0.063हे0, 1827/0.101हे0, 1828/2/0.013हे0. 1829/2/0.132हे0, 1830/1/0.110हे0, 1833/0.051हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र मोला, भूपकुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहन लाल, मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठनिठ विजनौर द्वारा पठकठ 11क/01.06.09 खाता संठ 179 से मृतक राधे के स्थान पर रमेशचन्द्र बुद्धुलाल, नन्हकऊ पुत्रगण राधे व श्रीमती नन्ही देवी पत्नी रवठ राधे बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हकऊ द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

ग्राम-देवामऊ

खाता संख्या २१:-

भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.641 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धन्नू जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण चिरंजू व चन्द्रिका पुत्र धनी व मुन्नी देवी विधवा श्यागलाल रागू ना० 15 वर्ष संर० गुन्नी देवी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 1007/28.07.08 गाटा सं० 513/0.251, 51व/0.453 हे० के बकदार भाग रकबा 0.2505 है० से



धन्, जगन्नाथ बैजनाथ पुत्रगण चिरन्जू का नाम निरस्त करके अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्स्ट्रक्चर लि0 रिज0 आफिस 115 अंसल भवन 16 कस्तूरबा गाँधी मार्ग नई दिल्ली 110001 वर्तमान पता-तृतीय तल-वाई० एम०सी०ए० बिल्डिंग 13 राणाप्रताप मार्न लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। खातों के अन्य सहखातादारों के नाम यथावत दर्ज रहेंगे। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं0 1023/29.09.08 गाटा सं0 153/0.651 हे0 मे से अपना सम्पूर्ण अंश 0.081हे0 से मुन्नी देवी विधवा श्यामलाल व रामू नाठवाठ द्वारा संठ माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके सीताराम पुत्र मैकूलाल नि0 महमूदपुर मजरा मुजपफरनगर धुसवलकलों का नाम सं0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 969/27.09.08 गाटा सं0 51अ/10.215, 51ब/0.453 का 1/8 भाग 0.0855हें0 से मुन्नी देवी विधवा श्यामलाल व रामू नावबाव द्वारा संव माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके क्रेता अन्सल प्रापटींज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लि0 द्वारा अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी वरिष्ठ प्रबन्धक समन्वय वर्तमान पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं0 1318/30.09.09 गाटा सं0 513/0.215,51व/0.453हे0 के बकदर भाग में से रकवा 0. 334 हैं0 मां0 गुं0 60ख से चन्द्रिका पुत्र धनी का नि0ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फास्ट्रचर लि0 द्वारा बीरेन्द्र प्रताप सिंह गंगापाल सिंह वर्तमान पता तृतीय तल वाईएमसी लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार धन्नू द्वारा 1/8, जगन्नाथ द्वारा 1/8 व बैजनाथ द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४६:-

भूमि खसरा संख्या 141 रकवा 0.228 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में मैकूलाल पुत्र सोहन के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मैकूलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४७:-

भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 0.680 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठिनठ विजनौर द्वारा ५०क० 11क/21.08.07 खाता संठ 47, 48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राममिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रधुराई पत्नी रवठ नौमीलाल निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार राठिनठ बिजनौर द्वारा पठक० 11क/03.07.08 खाता संठ 47, 48 से मृतक सरवम के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्वठ नौमीलाल

3

नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मैकूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर कु0 गीता द्वारा आपित प्रस्तुत की गयी है, जिसके निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 48:-

भूमि खसरा संख्या 234 रकवा 0.081 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती व तुलाराम पुत्रगण झाऊलाल व व राजकुमार, पण्पू पुत्रगण परशुराम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/21.08.07 खाता सं0 47, 48 से मृतक नौगीलाल के स्थान पर रामिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौगीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व0 नौगीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/03.07.08 खाता सं0 47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व0 नौगीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मैकूलाल द्वारा 1/6 व राजकुमार द्वारा 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर कु0 गीता द्वारा आपित्त प्रस्तुत की गयी है, जिसके निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या ४९-

भूमि खसरा संख्या 126 रकवा 0.180 है0, 159/0.001है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्हा औसान पुत्रगण छेदा व राजेश सुरेश पुत्रगण परभू व रामदास, रामलाल पुत्रगण टीका व सत्य नरायन व रामदास पुत्र टीका व भगवानदीन पुत्र जोघा व बदलू पुत्र हेमराज व रामपाल रामकुमार सम्पत्ति कुमार पुत्रगण परीदीन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/29.05.07 खाता सं0 49, 93 से मृतक सत्यनरायन के स्थान पर श्रीमती रामादेवी पुत्री सत्यनरायन पत्नी रामिकशुन नि0 बरकवा खेड़ाम मऊ व मोहनलालगंज का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/29. 05.07 खाता सं0 49से मृतक रामलाल के स्थान पर देशराज वयस्क व विक्रम व विक्की अवयस्क आयु क्रमश 17, 13 वर्ष सं0 श्रीमती बदाला माता खेय पुत्रगण रामपाल व श्रीमती बदाला पत्नी स्व0 रामपाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/28.08.07 खाता सं0 49, 50 से मृतक मंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरजबली पुत्रगण मंगल व श्रीमती हसीला पत्नी रव0 मंगल नि0 ग्राम का नाम वर्तार वर्जिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/13.02.11 खाता सं0 49 से मृतक बदलू के



स्थान पर प्रेम कुमार व तिलक चन्द्र व राजू व धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण बदलू व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० बदतू नि० ग्राम नग नाम बतौर दारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनार द्वारा प०क० 11क/13.02.11 खाता सं० 68 से मृतक रामखेलावन के स्थान पर उमेश व शेष व गनेश व आशीष पुत्रगण राम खेलावन व श्रीमती सुनीता पत्नी राम खेलावन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हीरालाल द्वारा 1/36, सूरजबली द्वारा 1/36, छबीला द्वारा 1/36, औसान द्वारा 1/12, नन्हा द्वारा 1/12, भगवानदीन 1/9, देशराज द्वारा 1/108, बदाला द्वारा 1/108, रामकुमार द्वारा 1/27 व सम्पत्ति कुमार द्वारा 1/27 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ५९:-

भूमि खसरा संख्या 139 रकवा 0.460 है0, 215/0.201है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में राजकुमार, सन्तोष कुमार पुत्रगण नत्थू व सन्तताल, वालिकशुन पुत्रगण लेखराम व सुखलाल, शिवराज, फूलचन्द्र पुत्रगण चौहान व शिवराज पुत्र लेखराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठिनि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/12.03.08 खाता सं० 59 से मृतक फूलचन्द्र के स्थान पर सुशील कुमार, शिवकुमार, जय सिंह बा० सत्यनरायन नाठबाठ आयु 15 वर्ष पुत्रगण फूलचन्द्र सं० श्रीमती उर्मिला माता स्वयं व श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व० फूलचन्द्र नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार निर्मला द्वारा 1/5, सुखलाल द्वारा 1/5, सुशील कुमार द्वारा 1/25, जय सिंह द्वारा 1/25, सत्यनरायन नाठबाठ सं० श्रीमती उर्मिला (माता) स्वयं पुत्र स्व० फूलचन्द्र व श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व० फूलचन्द्र द्वारा 2/25, राजकुमार द्वारा 1/10, सन्तोष कुमार द्वारा 1/10, सन्तालाल द्वारा 1/15, बालिकशन द्वारा 1/15 व बबलू द्वारा 1/15 माग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

धुसवलकलो

खाता संख्या ६:-

भूमि खसरा संख्या 301 रकवा 0.455 है0, 436स रकवा 0.152है0, 437 रकवा 0.114है0 कुल 0.721है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप श्रीमती रामकली विधवा शम्भूदयाल ग्रामवासी राम कुमारी पत्नी शिव लिलत, आनन्द कुगार ग्रा०वा० राम कुमार पुत्र कृषण कुगार गु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार



रामकुमारी द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर कें सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४०:-

भूमि खसरा संख्या 123 रकबा 0.370 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दयाराम पुत्र मूलचन्द्र ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दयाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 52:-

भूमि खसरा संख्या 248 रकबा 0.603 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बहादुर पुत्र ब्रजलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या ३ रकवा 0.066 है0. 4/0.064है0. 5/0.044है0, 6/0.057है0. 7/0.114है0. 8/0.067है0. 19/0.240है0. 84/0.046है0. 85/0.057है0. 95/0.025है0. 96/0.018है0. 97/0.062है0. 98/0.082है0-भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद हिम्मत बहादुर पुत्रगण बिरजा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 70:-

भूमि खसरा संख्या 77 रकवा 0.125 है0, 78/0.056है0, 79/0.026है0, 86/0.038है0, 87/0.029है0, 135/0.239है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेशचन्द्र, दिनेश चन्द्र, उमेश चन्द्र, अरूण कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार पुत्रगण रामचन्द्र नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् पत्राली 1372 रो श्रेणी 1 क सक्रमणीय मृगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८५ :-

भूमि खसर। तंख्या 171 रक्क्या 0.025 हे0, 219अ/0.161हे0, 219व/0.066ेंट भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामआसरे पुत्र मंगल, रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण नन्हा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिचर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा 1/4 व रामआसरे द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 103 :-

भूमि खसरा संख्या 326 रकवा 0.284हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण हनोमान, ताराचन्द्र यादव पुत्र हरदेव नि0. चिरैयाबाग उत्तरिया के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 104 :-

भूमि खसरा संख्या 157 रकवा 0.011 हे0, 317/0.052हे0, 318/0.026हे0, 327/0. 175हे0, 328/0.036हे0, 329/0.056हे0, 330/0.071हे0, 493/0.057हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण हनोमान नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1379 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 113 :-

भूमि खसरा संख्या 448 रकवा 0.193 है0, 449/0.030है0, 450/0.097है0, 451/0. 104है0, 479स/0.010है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, सुन्दरलाल पुत्रगण जगन्नाथ, भोपाल सिंह मेहरा पुत्र हीरा सिंह मेहरा, राम सिंह मन्डारी पुत्र पान सिंह मन्डारी नि0 शान्ती नगर, घोघनखेडा म0 बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

17

खाता संख्या 116:—

भूमि खसरा संख्या 423 रकवा 0.368 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि

राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन, मिश्रीलाल, शंकरलाल पुत्रगण वृजलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली

1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शंकरलाल व शत्रोहन द्वारा

अपने—अपने हिस्से की क्रमशः 1/3 व 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 122 :
भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 0.778 है0, 238/0.297है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा
है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हिम्मत बहादुर पुत्रगण विरजा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली
1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिचर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा अपने हिस्से की
1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध
के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 126 :
भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.172 है0, 452/0.089है0, 453/0.090है0, 454/0.

104है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दर लाल, शत्रोहन, श्यामलाल पुत्रगण जगन्नाथ तुलसा सिंह, नेगी पत्नी जोघा सिंह, नेगी नि० शान्तीनगर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 128 :
भूमि खसरा संख्या 196 रकबा 0.228 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि
राजस्व अभिलेखों में सुभाषचन्द्र, पवन कुमार पुत्रगण रामपाल, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० रामपाल नि०
ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों
द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये
अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 130 :
भूमि खसरा संख्या 483 रकवा 0.537 हैं भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि
राजस्व अभिलेखों में सुशील कुमार पुत्र गनेश प्रसाद मुं कमला देवी बेवा गनेश प्रसाद, रमेश प्रसाद,
नरेश प्रसाद पुत्रगण राम स्वरूप, छोटेलाल पुत्र गया प्रसाद, अनन्त कुमार पुत्र शीतला प्रसाद, राहुल
ना०बा० आयु 16 वर्ष पुत्र शीतला प्रसाद सं० जय देवी श्रीमती जयदेवी पत्नी स्व० शीतला प्रसाद नि०
ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार

R

नरेश प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 139 :-

भूमि खसरा संख्या 490 रकबा 0.257 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदल नि0 फिरंगी खेड़ा म0 सालेहनगर के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गौरा द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 149-

भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.101 है0, 222/0.065है0, 303/0.089है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में किशोरी लाल पुत्र रामजियावन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार किशोरी लाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 152 :-

भूमि खसरा संख्या 1/1स रकवा 0.130 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में दुलीचन्द्र पुत्र संकठू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दुलीचन्द्र द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणींत किया जाता है।

खाता संख्या 158 :-

भूमि खसरा संख्या 343 रकबा 0.147 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में रामिकशोर पुत्र लक्ष्मीनरायन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामिकशोर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 160 -

भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 0.201 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि जिस्व अभिलेखों में लक्ष्मीनरायन पुत्र महावीर प्रसाद नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2



असंक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 01.10.07 खाता सं० 106, 160 से मृतक लक्ष्मीनरायन के स्थान पर रामिकशोर पुत्र, न्थ्मीनरायन व श्रीमती महराजा पत्नी स्व० लक्ष्मीनरायन नि० ग्राम का नाम बतौर दर्ज करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 13.07.11 खाता संख्या—106, 160 पर मृतक महराजा के स्थान पर रामिकशोर पुत्र लक्ष्मीनरायन नि० ग्राम का नाम बारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामिकशोर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १६३:-

भूमि खसरा संख्या 412 रकवा 0.040 है0, 413/1/0.209है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेन्द्र कुमार पुत्र मैकू नीरज, धीरज, सूरज ना0वा0 आयु 15, 13, 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं0 भु0 रामावती, रामावती बेवा वीरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जगेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों सुरेन्द्र, नरेन्द्र, जगेन्द्र रामावती, ना0वा0 नीरज, धीरज, सूरज द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 11:-

भूमि खसरा संख्या 127 रकवा 0.095 है0 भूमि का अर्जन किया जो रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में अनिल कुमार, विजय कुमार पुत्रगण बिहारी लाल नि0 म0न0 56/4041 तिलपुरवा हुसैनगंज आइना वीवी0 बाग शहर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अनिल कुमार व विजय कुमार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १५:-

भूमि खसरा संख्या 331 रकबा 0.347 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश पुत्र महावीर, राममिलन, राम सुमेर, अर्जुन हरिश्चन्द्र पुत्रगण श्रीराम नि0 लिछमन पुरवा म0 कबीर पुर त0 मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0-274/16.12.07 गाटा सं0 331/0.347 में से यथोचित भाग से ओम प्रकाश पुत्र महाबीर का नाम निरस्त करके श्रीमती कान्ती पत्नी विश्राम कुमार नि0 भुइय्यन का पुरवा म0 हसनपुर खेवली का नाम वतौर साम अंकित किया जाम खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेगें। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कान्ती द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवांस

एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७:-

भूमि खसरा संख्या 289 रकवा 0.009 हे0, 319/0.009हे0, 321/0.095हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र सूर्यवली, सुनील कुमार, लवकुश अव0 आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल प्रेमा बेवा नौमीलाल नरेन्द्र कुमार अव0 आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राघेश्याम सं0 मु0 प्रेमा माता मु0 प्रेमा विधवा राघेश्याम बाबूलाल पुत्र सूर्यवली भागूलाल पुत्र गयादीन छोटेलाल पुत्र रामदास चिरंजूलाल भाईलाल पुत्रगण बुद्ध रामशंकर पुत्र जंगली मु0 सरस्वती बेवा जंगली नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनीर द्वारा प०क० 11क/15,06,07 खाता सं0 26 व 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू रिकू पुत्रगण भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रिकू द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४७-

भूमि खसरा संख्या 209 रकवा 0.028 व 240/0.051 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हकऊ अनिलकुमार पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद ग्रा०वा० श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण नि0 धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/11. 06.09 खाता सं0 45, 46, 47 व 100 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार अनिल कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५७ :-

भिष्ट द्वारा संख्या 340अ रकवा 0.025 हैं मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजम्य जा में बाबूलाल पुत्र अहरवा सतनू पुत्र परीदीन मुं रामदेवी विधवा परीदीन लल्ला मुन्ना, जानू पुत्रगण अहरवा मुं रामकली बेवा अहरवा नान्ह पुत्र महावीर श्रीराम बृजेश राम विलास पुत्रगण सत्तीदीन श्रीमती रामरती पत्नी स्वर्ण सत्तीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठनि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 15.06.07 खाता स० 57,123 से मृतक रामदेवी के स्थान पर सतनू पुत्र परीदीन नि० ग्राम की नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बृजेश द्वारा 1/16,

श्रीराम द्वारा 1/16, श्री राम विलास द्वारा 1/16, श्रीमती रामरती द्वारा 1/16, श्री नान्हू द्वारा 1/4, श्री मुन्ना द्वारा 1/24, श्री मोनू द्वारा 1/24, श्रीमती रामकली द्वारा 1/24 व श्री सतन् द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रत आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 58:-

भूमि खसरा संख्या 314 रकवा 0.046 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, लल्ला, मुन्ना, सोनू, मोनू पुत्रगण अहरवा मु0 रामकली बेवा अहरवा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बाबूलाल, मोनू, सोनू, मुन्ना व रामकली प्रत्येक द्वारा अपने—अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 82:-

भूमि खसरा संख्या 480 रकवा 0.321 हे0, 481/0.086हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, राजाराम पुत्रगण धन्नू, श्रीमती गाँरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदलू, बाबूलाल, रामसनेही, राम सेवक व राजू पुत्रगण बुद्धा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गौरा द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ८८ -

भूमि खसरा संख्या 292 रकवा 0.018 है0, 293/0.285है0, 345/0.109है0, 347/0.118है0, 381/0.043हे0, 382/0.107हे0, 398/0.180हे0, 469/0.150हे0, 478/0.205हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगुलाम, रामआसरे, राम आधार पुत्रगण सियाराम, दिनेश, सुरेश पुत्रगण बाबूलाल निरंजन प्रसाद पुत्र हुबलाल नि0 शेरपुर म0 हरिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर ऑकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/09.09.11 खाता सं0 88 पर मृतक रामगुलाम के स्थान पर नन्दलाल पुत्र रामगुलाम नि0 शेरपुर म0 हरिहरपुर का नाम वताँर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राम अधार व नन्दलाल प्रत्येक द्वारा अपने—अपने हिस्से की 1/5 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 113:-

भूमि खसरा संख्या 448 रक्वा 0.193 हेंद्र, 149/7.030हेंद्र, 450/0.097हें0, 451/0. 104हें0, 479स/0.010हें0 कुल 0.434हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, सुन्दरलाल पुत्रगण जगन्नाथ भोपाल सिंह मेहरा पुत्र हीरा सिंह महेरा, राम सिंह भन्डारी पुत्र पान सिंह भन्डारी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुन्दरलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 122 :-

भूमि खसरा संख्या 187 रकवा 0.778 है0 व 238/0.297है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हिम्मत बहादुर पुत्रगण बिरजा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हिम्मत द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 126 :--

भूमि खसरा संख्या 407 रकवा 0.172 है0, 452/0.089हे0, 453/0.090हे0, 454/0. 104हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, शत्रोहन, श्यामलाल पुत्रगण जगन्नाथ तुलसा सिंह, नेगी पुत्र जोघा सिंह नेगी नि0 शान्ती नगर घोघन खेडा म0 बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकित है। अभिलिखित खातेदार सुन्दरलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १३८:-

भूमि खसरा संख्या 419 रकबा 0.172 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि ग़जरव अभिलेखों में श्रीमती गुड़डी पत्नी मेवालाल नि0 पिपराँली म0 हैवतमऊ मवैया के नाम पूर्व सन् कसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गुड़डी द्वारा नम्पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूगि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित पथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर तिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कतिपय खसरा संख्या—मिंजुमला के रूप मे अभिलेखों मे दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

2 3-11-12 (बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (मू०अ०)

लखनऊ।

अमानामां जातां वितांड 23-11-12 की हार्स प्रादि एवं उद्देशिक क्षेप

ITAZM OFF



र्मानुसम्बद्ध अन्तर सन्तर । १८५४

কৰে সময়	2 2010
90: E. RP.	प्रातीखतीलावाः
परगना तहसील व जिला	লপ্তৰত
अभिनिणीत् अंत्रफल	ब्रॉलीखलीलाबाद २-५६३६ हर
य्या जमीदारी विनाश अधिनियम लागृ है	नहीं ।
भूमे अध्याप्ति का प्रयोजन	सुल्तानपुर रांड भूमि विकास एवं
er and a part of the part of t	गृह स्थान योजना
७०५० आवास एव विकास परिषद अधिनियम	17 / 07 / 2004
की धान 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	
३०५० आयास एवं विकास परिषद अधिनियम	30/9/2006
की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	
गुगि अर्जन अधिनियम की घारा 7/17 के प्रकाशन	05 / 12 / 2007
के दिनाक	
अधिकार / कब्जा की तिथि	07:10:200B
अंभानण्य की तिथि	15.05.2012
ऑर्भनणंश की धनराशि	1,53,58,097-70
एखायात मृत्य	3994-40
अध्याप्ति व्यय	15.35,809-80

यह प्रस्ताव ७००० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एठ गृह स्थान याजना क भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनाव का विवरण उपरोक्त अंकित हैं।

अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकंर की घनराशि उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात भूमि अर्जन अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकंर की घनराशि उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात भूमि अर्जन अधिगियण की धारा १/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसे निगंत की गयी। उठप्रद आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरे निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रूठ 49.50 प्रतिवर्गणुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की घनराशि मी समितित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन माठ आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ क आदश सख्या 6810 / 08—9 (2009—10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया।

(20)

प्राचन के कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य क

अर्जन निकाय उ०प्र० आवास एए विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या १६६५ व १६ ३६६ हेवटयर भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास अधिनयम १९६५ के अन्तर्गत अधिसूचना निर्मत की गयी जिसका कजा। अर्जन निकाय को दिनांक 07.10.2008 को हस्तगत किया जा चुका है। तत्कम में उ६ प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा खसरा संख्या १६६५ के १५.4845हें० भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में समझौता निष्पादित करते हुए अभिनिणंय की कार्यवाही करार्यी जा चुकी हैं, उक्त १५.4845हें० भूमि में उपलब्ध करार्य गये समझौता प्रपन्नों के क्षेत्रफल का योग प्रधनगत खसरा के अधिसूचना के क्षेत्रफल १६.368हें० से अधिक हो जाता है। अत उक्त दानां समझौता प्रपन्नों में उक्त खररा संख्या १६६५ की अधिसूचना के क्षेत्रफल १६.368हें० से अधिक हो जाता है। अत उक्त दानां त्राउदेश को कम करते हुये गाँउ उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.04 १० को पारित आदेश के अनुपालन हेत अभिनिर्णय प्रस्तावित किया जा रहा है। तहसील की आख्या दिनांक 05.05.2012 से अधिक हो को प्रार्थ अधिक स्वर्ण में अधिक रक्त में अधिक स्वर्ण में अजन निकाय उठप्रध अववस्त में अधिक स्वर्ण में अजन निकाय उठप्रध आवास गर्व विकरण निम्नवत है। अलन स्वर्ण में कार्य उठप्रध माम का विवरण निम्नवत है। अलन स्वर्ण में कार्य होरा किया गया है। प्रस्तावित कार विवरण निम्नवत है। प्रस्तावित कार निकाय प्रार्थ में अजन निकाय उठप्रध मुक्त का विवरण निम्नवत है। अलन स्वर्ण में कार्य निम्नवत है। प्रस्तावित कार ने उठ्ठ अनुराध किया गया है। प्रस्तावित मुक्त का विवरण निम्नवत है।

ग्राम-बरौली खलीलाबाद

गता संख्या ४४३

Control of the Contro

भूमि खसरा सख्या 1665/1 मि रकबा 1.770 हं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवप्रसाद व बिन्दाप्रसाद स्कूल पानदरीबा चारबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1384 वारबाग लखनऊ मेनिजाय भूमिवर अंकित हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में शिवप्रसाद व बिन्दाप्रसाद स्कूल पानदरीबा वारबाग लखनऊ मेनिजाय कमेटी हारा प्रबन्धक श्री नंजीव सिन्हा हारा अपनी भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया गया है। उक्त किये गये अनुबन्ध के क्षेत्रफल 1.770 है0 विहं।

मिक्त के प्राप्त १७४६ में पहले अनुसार पूर्व **क**र अन्तर किया के तक गाउन अर्थ तर प्रधानम् । तरावत् नित् पर हमद्रा वित । सवन्त्र निह पुरु कुलक्त तर वानवाने स सन म भ एसके (40) २ वर्ण - व सक्तमणार भूगदा ऑक्ट के आमालांखन खानदा सवन्द सह पूर कलकर एक इतन अपने भाग के सम्बन्ध में उ०प्रत आवत्स एवं विकास परिषय से दर के सन्वन्ध में अनुबन्ध किय गए है। उक्त किय गर्म अनुबन्ध के क्षेत्रफल १ 2455 है। में से अधिसूचना वे क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल 0.056हैं। की कम करत हुए प्रतिका अभिनिर्णात किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौत के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है. स सर्वाधित शपथपट्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करन पर प्रतिकर क. भूगतान देथ होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एव विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की घारा 18 एव 26 (ए) का लाग अनुमन्य नहीं होगा।

> (वाबूलाल श्रीवास) अपः जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनकः।

Sie Ministrant mile rain 12.05-12 Sim mans Du 15:05-12 FOR LAIL



कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 33. कलेक्ट्रेट, लखनऊ। अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 11/2010

1-	वाद संख्या		1/.2010	
2-	ग्राम का नाम	-	धुसवलकलॉ, सेवई, वर देवामऊ ।	त्तलाखलावाद,
3-	परगना तहसील व जिला अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	3	लखनऊ । ध्सवलकला :	2.961 है0
4-	SHIPPORT GASACI		सेवई वरीलीखलीलाबाद:1.96 देवामऊ: 2.8	1.296 है0 896666666है0 58683333है0
			20	05349999 है0
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है		नहीं ।	0
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	+	सुल्तानपुर रोड भूमि गृह स्थान योजना	विकास एव
7-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	1	17/07/2004	
8-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	13	30/9/2006	
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकार की दिनांक	न :	05 / 12 / 2007	
10	अधिकार/कब्जा की तिथि	#	07.10.2008	
10-	20 - 200			
12-	DO 1 D	4	धुसवलकलॉ :	15770878.20
12	di ili i i i		सेवई	
			वरालीखलीलाबाद	
			देवामऊ .	15225919.17 48496915.17
	-	8	12947.60	
13-	- पूजीकृत मूल्य	20	4849691.52	
14-	- अध्यापि व्यय	स परिष		भूमि विकास ए

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एव गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०५० आवास एव विकास परिपद हारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करावी गवी तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। 3090 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की वैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व व्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमित बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्निलेखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये थे। जिनका अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए पूर्व में अभिनिर्णय घोषित किय

जा चके हैं। अभिनिर्णयवार विवरण निम्नवत है -

西0 和0	अभिनिर्णय संख्या	वरीली खलीलावाद	घुसवलकला	संबई	देवामऊ	अहमामऊ	हरिहरपुर
1	1/26.05.2010	8 5625 🕏 0	10.06236 🕏 0	3.0494 है0			
2	2/26.05.2010			2.5357 है0	0.38775 80	0.945 है0	
3	3/26052010	28 92579 है0	0.8215 ₹0	0.072 80			
4	4/26.05.2010			8.11438 हे0			
5	5/09.06.2010	27.383348ह0	2.6595 है0				
5	6/26082010	21.7843 80	8.45569 है0	20.321895 È0	1.92845 党0	0 174 EO	
7	7 / 08.02 2011	24975 है0	6.949816 ₹0	11.16839 है0			1 63825
B	8/07 04 2011	13.53472285	5.73714999875	7.0356666656	3.0016333313		
0	9/13/09/2011		11 2857666392	12.4096072326	2.50525	0.589	CAT.
10	10 / 13.09 2011	1.143179761	4.31053326	3.8824166649		0.0675878	
-	योग	103.8313406	50.2823159	68.58945556	7,823083331	1 7755878	1 63825

क्रo सo	ग्राम का नाम	धारा 7/17 का क्षेत्रफल है0 में	मजरूआ / कब्जा का क्षेत्रफल है0 मे	अभिनिर्णीत भूमि का क्षेत्रफल हैं0 में	प्रस्तावित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल है0 में	अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल हैं० : मे
1	देवामऊ	28-468	21-981	7-823083331	2-858683333	11-299233
2	वरीली ललीलावाद	160-953	123-376	103-8313406	1-989656666	17-554993
3	्रसंबलकलाँ	115-992	88-452	50-2823159	2-961	35-208684
4	हरिहरपर	72-756	46-585	1-63825		44-94675

5	संवई	97-148	82-391	68-58945556	1-296	12-505544
6	अहमामऊ	27-064	20-859	1-7755878		19-151
7	वरीना	39-043	35-507			35-507
8	सरसवॉ	75-715				75-71
		617-139	419-151	233-9400332	9-105349999	251-883

वर्तमान अभिनिर्णय में उपरोक्त जिन ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव/समझौते प्राप्त हुए हैं, के अनुबन्ध का खाताबार विवरण निम्नवत है :-

ग्राम धुसवलकलॉ

खाता संख्या 9 :-

भूमि खसरा संख्या 102 रकवा 0.560 है0, 122/0.234है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार, देवानन्द, मनोज मुल्कराज पुत्रगण हीरालाल मु0 माया देवी विधवा हीरालाल, मोहित अव0 आयु 16 वर्ष पुत्र रेवानन्द सं0 सर्वेश कु0 मु0 सर्वेश कु0विधवा रेवानन्द निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार अशोक कुमार, देवानन्द, मनोज, मुल्कराज, मायादेवी, सर्वेश कुमारी व मोहित ना0वा0 स0 सर्वेश कुमारी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54 :--

भूमि खसरा संख्या 148 रकवा 0.747 हे0, 225/1.567हे0, 369/0.022हे0, 370/0. 035हे0, 372/0.049हे0, 373/0.025हे0, 375/0.219हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण चेतई महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि0 जय सिंह खेडा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मायादेवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६१ :-

भूमि खसरा संख्या 237 रकवा 0.200 है0. 245/0.745है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवान पुत्र जमुना प्रसाद नि० छोटा वरहा कन्धई लाल पुत्र पराग नि० धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अकित है। अभिलिखित खातेदार कन्धई लाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या ८० :-

भूमि खसरा संख्या 203 रकवा 1.041 है0. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेशचन्द्र पुत्र हरी प्रसाद, रामेश्वर पुत्र गुरदीन, नरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, सदीप कुमार पुत्रगण राम प्रसाद, सुशीला पत्नी स्व० राम प्रसाद निर्व ग्राम के नाम पूर्व सन् फसती 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायव तहसीलदार नगर वाद संख्या—469/26.03.08 गाटा सं० 203/1.041है० में से 0. 347हे० से नरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण स्व० राम प्रसाद व श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० राम प्रसाद का नाम निरस्त करके रामरतन सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह नि० हसनपुर पी० बहादुरपुर जिला मऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार सदर, लखनऊ वाद सं० 840/10.06.08 गाटा सं० 203/1.040है० में से 0.0885हे० से रामेश्वर पुत्र स्व० गुरदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती ऊषा पाण्डेय पत्नी चन्द्रभूपण नाथ पाण्डेय निवासी कौसद जिला देवरिया का नाम वतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेगे। पुनः आदेशानुसार नायव तहसीलदार विजनीर वाद सं० 535/24.08.08 गाटा सं० 203/1.041हे० में से 1/3 भाग 0.347हे० में से 0.253 हे० के वकदर भाग से रामेश्वर पुत्र गुरदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती प्रीति शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा नि० 23 ताला फतेहगंज, लखनऊ का नाम वतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.0055हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परियद से दर के सम्बन्ध में किया गयं अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 101 :-

भूमि खसरा संख्या 233 रकवा 0.126 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र नन्हू लाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसेवक द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 150 :-

भूमि खसरा संख्या 358 रकवा 0.208 है0. 361/0.094है0, 366/0.051है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगा पुत्र बैजू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गंगा द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में 3000 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 151 :-

भूमि खसरा संख्या 65 रकबा 0.076 है0, 66/0.048है, 67/0.063है0, 68/0.086है0, 80/0.023है0, 94/0.085है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र तोताराम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रपाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्र0 आवास एवं विकास परिपद सं दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १५७ :-

भूमि खसरा संख्या 413/2 रकवा 0.253 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम नरायन पुत्र कामता, मनोज नाबा0 आयु 15 वर्ष मन्टू नाबा0 आयु 10 वर्ष पुत्रगण दशरथ सं0 श्रीमती मीरादेवी, श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व०दशरथ राम लोटन पुत्र कामता नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनरायन, रामलोटन, मीरादेवी मनोज व मन्टू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १६२ :-

भूमि खसरा संख्या 2 रकवा 0.041 है0, 211/0.089है0, 179/0.101है0, 241मि0/0.047है0, 259/0.076है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखराना पत्नी राधेलाल नि0 मो0 मदरसा तह0 मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रंणी 2 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुखराना द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

सेंवई

खाता संख्या ३४1 :-

भूमि खसरा संख्या 108 रकवा 0.063 हे0, 282स / 0.822हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में अशोक कुमार पुत्र गुन्नू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अशोक कुमार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३२१ :-

भूमि खसरा संख्या 275 रकवा 0.531 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री केशन पुत्र दौलत ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री केशन द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

वरौलीखलीलाबाद

खाता संख्या 83 :-

भूमि खसरा संख्या 1652 रकवा 0.152 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुरुदेव पुत्र इन्द्रपाल, रामकरन पुत्र जगमोहन यदुवेश सिंह पुत्र ओम प्रकाश वीरन्द्र सिंह पुत्र वाबूलाल भौगनाथ पुत्र पितम्बर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1362 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नायव तहसीलदार विजनौर वाद सं0 1078 / 7.03.11 गाटा सं0 1652 सं0 रकवा 0.088हे0 मा0 गु0 60ख से विक्रेता डा0 एच0 सिद्दीकी पुत्र शाहिद हुसैन सिद्दीकी व खाता सं० ००१६१ में १६५२स रकवा ०.०८९हे० मा० गु० 60 ख से विक्रेता मों0 नईम पुत्र स्व0 पीर बक्श का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी कनवा माफी पोस्ट पैंडी अजब सिंह जनपद गोण्डा का नाम बतौर सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार गायत्री सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या १६० :-

भूमि खसरा संख्या 1714 रकवा 0.215 है0, 1718/1/0.139है0, 1721/0.164है0, 1756/0.304巻0、1759/0.215巻0、1766/0.177巻0、1769/0.126巻0、1770/0.114巻0、1761/ 0.063है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में श्रीमती नन्हका वेवा भगवानदीन व श्रीमती कल्लो पुत्री धनी व नन्हकऊ पुत्र नन्हें नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० विजनीर द्वारा प०क० ११क / १५.०६.०९ खाता सं० २७८ से मृतक श्रीमती कल्लो के स्थान पर हरिश्चन्द पुत्र राजाराम निo घोधन खेड़ा मo ग्राम कल्लो पुत्री का नाम वतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हका द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९१ :-

भूमि खसरा संख्या 1599/2 रकवा 0.035है0, 1620/0.139है0, 1621/0.278है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मो0 शाहिद पुत्र अब्दुल रहमान नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार रा0 नि0 विजनौर द्वारा प0क0 11क/12.06.07 खाता सं0 291 से मृतक शाहिद के स्थान पर मो0 आरिफ, मो0 आतिक मो0, कासिफ पुत्रगण मो0 शाहिद नि0 देवामऊ वर्तमान नि0 सिविल लाईन नेहरू नगर वाराबंकी का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मो0 कासिफ द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३२६ :--

भूमि खसरा संख्या 1775 रकवा 0.177 है0. 1784/0.266है0. 1785/0.278है0. 1755/0.215है0. 1765/0.278है0. 1773/0.158है0. 1777/0.266है0. 1783/1/0.316है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम व वावूलाल पुत्रगण धनेवा, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदलू नि0 फिरंगी खेड़ा म0 मालेहनगर के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गौरा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 526 :--

भूमि खसरा संख्या 1667/4िम0 रकवा 0.314 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशर्फीलाल पुत्र मोहकम नि0 घोघनखेडा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1401 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अशर्फीलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। प्रतिकर की धनराशि का भुगतान स्वत्व सम्बन्धी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिया जायेगा।

खाता संख्या 533 :-

भूमि खसरा संख्या 1787/3 रकवा 0.126 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवराज पुत्र वैजनाथ नि0 घोधनखेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1397से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवराज द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। प्रतिकर की धनराशि का भुगतान स्वत्व सम्बन्धी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिया जायेगा।

देवामऊ

खाता संख्या 3 :-

भूमि खसरा संख्या 1753 रकवा 0.106 है0, 175व/0.016है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आँसान पुत्र छेदा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार आँसान द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 18 :-

भूमि खसरा संख्या 143 रकवा 0.582 है0, 214/0.160हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में तुलाराम पुत्र झाऊलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार तुलाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२ :-

भूमि खसरा संख्या 176 रकवा 0.058 है0, 2303/0.093है0, 2304/0.030है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हा पुत्र छेदा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372सं श्रंणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हा द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या २६ :--

भूमि खसरा संख्या 155 रकवा 0.087 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र मैकू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठिनिठ बिजनीर द्वारा पठकठ 11क/27.12.08 खाता संठ 26 से मृतक परसाद के स्थान पर नन्हकऊ पुत्र परसाद व श्रीमती छेदाना पत्नी स्वठ परसाद व मंगेश नठबाठ 16 वर्ष पुत्र रामलखन संठ श्रीमती छेदाना निठ ग्राम का नाम वर्तार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार छेदाना द्वारा अपने हिस्से

की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४ :--

भूमि खसरा संख्या 164 रकबा 0.355 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलंखों में वंशीलाल पुत्र नन्दा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार वंशीलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 :-

भूमि खसरा संख्या 177 रकवा 0.185 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवानदीन पुत्र जोधा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 640/16.03.09 गाटा सं0 94/0.228 है0 गा0 गु0 60ख से भगवानदीन पुत्र जोधा नि0 ग्राम देवामऊ का नाम निरस्त करके महावीर पुत्र रामचरन निवासी—194 थोक चांद ग्राम ज्योति थाना ज्योति जिला हमीरपुर का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार भगवानदीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४७ :-

भूमि खसरा संख्या 142 रकवा 0.680 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नाँमीलाल पुत्र मोती निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनाँर द्वारा प0क0 11क/21.08.07 खाता सं0 47.48 से मृतक नाँमीलाल के स्थान पर राम मिलन, रामसमुडा रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नाँमीलाल व श्रीमती रधुराई पत्नी स्व0 नाँमीलाल नि0 ग्राम का नाम बताँर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 विजनाँर द्वारा प0क0 11क/03.07.08 खाता सं0 47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रधुराई पत्नी स्व0 नाँमीलाल नि0 ग्राम का नाम बताँर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन व रधुराई द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर कुमारी गीता पुत्री जगदेव पुत्र नाँमीलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर प्रतिकर नियमानुसार देथ होंगा।

खाता संख्या ४८ :-

भूमि खसरा संख्या. 234 रकवा 0.081 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती व तुलाराम पुत्र झाऊलाल व राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क / 21.08.07 खाता सं0 47.48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राम मिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व0 नौमीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क / 03.07.08 खाता स0 47.48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व0 नौमीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार तुलाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 50 :-

भूमि खसरा संख्या 197 रकवा 0.024 हे0, 225/0.023हे0, 226/0.013हे0, 227/0. 014हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्हा व औसान पुत्रगण छेदा व राजेश, सुरेश पुत्रगण परभू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनीर द्वारा प0क0 11क/21.08.09 खाता सं0 49, 50 से मृतक मंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरजवली पुत्रगण मंगल व श्रीमती छवीला पत्नी स्व0 मंगल नि0 ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हीरालाल, सूरजवली, छवीला, नन्हा, व औसान द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ५५ :-

भूमि खसरा संख्या 138 रकवा 0.610 है0, 229/0.058है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रघुवीर, रामखेलावन, राम स्वरूप, रामदुलारे, अशोक कुमार पुत्रगण मोल्हें व शिव शंकर, राम सेवक पुत्रगण नौमीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रघुवीर, रामखेलावन, रामस्वरूप, रामदुलारे, अशोक व शिवशंकर द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या 144 रकवा 0.442 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन, दुलीचन्द्र, छंदीलाल पुत्रगण शिवनाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 आनन्द त्रिपाठी द्वारा प0क0 11क/22.01.11 खाता सं0 67 पर मृतक रामखेलावन के स्थान पर उमेश व शेष, गनेश व आशीष पुत्रगण राम खलावन व श्रीमती सुनीता पत्नी स्व0 रामखेलावन नि0 ग्राम का नाम बतार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेद्वर दुलीचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 82 :-

भूमि खसरा संख्या 150 रकवा 0.041 है0. 151/0.042है0, 149/0.038है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल पुत्र पियारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 102 :-

भूमि खसरा संख्या 206 रकवा 0.057हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम, सीताराम पुत्रगण राम चरण व वंशीलाल पुत्र नन्दा व बरातीलाल, मातादीन पुत्रगण खेम्मा व मु0 जगदेई बेवा सुखलाल व चन्द्रपाल, रामपाल विधासागर पुत्रगण भोगई नि0 ग्राम व तिलक चन्द्र प्रेमचन्द्र अजय पुत्रगण श्रीपाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनीर हारा प0क0 11क/14.02.09 खाता सं0 18 से पर मृतक मातादीन के स्थान पर हेमन्त कुमार अमित कुमार पुत्रगण कैलाश व श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व0 कैलाश व सतीश चन्द्र बसन्त कुमार अविनाश चन्द्र पुत्रगण मातादीन नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार वंशीलाल हारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 105 :-

भूमि खसरा संख्या 168 रकवा 0.678है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सियाराम पुत्र जागेश्वर प्रसाद व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर अनिल कुमार पुत्र शत्रोहन व श्रीमती धनेश्वरी पत्नी गंगा प्रसाद शिवपाल, गनेश प्रसाद कुँबर बहादुर मनोहर लाल ताराचन्द्र पुत्रगण किशुन व श्रीमती सुखरानी पत्नी स्व0 किशुन के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार न०त० विजनौर वाद सं0 452 / 19.06.07 गाटा सं0 77 / 0208 व खाता सं0 105 की गाटा सं0 3 / 0.089 व 22 / 0. 399 के वकदर भाग से शिवपाल, गनेश प्रसाद कुँवर बहादुर, मनोहरलाल, तारा चन्द्र पुत्रगण स्व0 किशुन का नाम निरस्त करके नरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम किशन वर्मा नि0 एल0 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ के नाम बतार सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार ना० त० विजनौर वाद सं० 432/19.06.01 गाटा सं० 3/0.089, 22/0.399 के वकदर भाग व खाता सं0 106 की गाटा सं0 16/0.117 के सम्पूर्ण भाग से सियाराम पुत्र जागेश्वर व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर व अनिलकुमार पुत्र शत्रोहन का नाम निरस्त करके वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम किशन वर्मा नि0 एल0 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम स0 भू0 द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार धनेश्वरी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप मे अभिलेखों में दर्ज हैं। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)

लखनऊ।

Bring From mili Parist 26-03-12 st



कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ। अभिनिर्णय आदेश संख्या :-- 10/2010

वाद संख्या 1-1/2010 सेंवई, धुसवलकलॉ, बरौली खलीलाबाद, ग्राम का नाम अहमामऊ परगना तहसील व जिला लखनऊ । अभिनिर्णीत क्षेत्रफल संवर्ड 3.8824166649 ध्रसवलकला : 4.31053326 वराली खलीलावादः 1.143179761 अहमामऊ 0.0675878 9.4037174859 क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है नहीं । भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 17/07/2004 की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक उ०प्र० आवास एवं विकास परिवद अधिनियम 30/9/2006 की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक

९- भूमि अर्जन अधिनियम की घार 7/17 के प्रकाशन : 05/12/2007

की दिनांक

10- अधिकार / कच्चा की तिथि : 07.10.2008 11- अभिनिर्णय की तिथि : 13-9-2011

12- अभिनिर्णय की धनराशि : सेवई : 20678523.64

धुसवलकलों : 22958762.60 बरौली खलीलाबाद: 6088804.04 अहमामऊ : 359986.27

50086076.55

13- पूंजीकृत मूल्य : 50992.50 14- अध्याप्ति य्यय : 5008607.65

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अंन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उठप्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व व्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमित बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है:-

ग्राम सेवई

खाता संख्या ५९ :-

भूमि खसरा संख्या 254 रकवा 0.076 है0, 255/0.114है0, 277/0.142है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवीशरन, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायव तहसीलदार बिजनौर वाद सं0 522/22.05.06 मू०नं0 773/0.164, 880/0.405 के बकदर भाग से नन्द किशोर पुत्र स्व0 जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मो0 सलीम पुत्र अब्दुल गफ्फार नि0 तेलीबाग बाजार, लखनऊ का नाम स0मू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। पुनः आदेशानुसार रा० नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/07.07.08 खाता सं0 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि0 ग्राम का नमा बतौर बारिस दर्ज हो। अभिलिखित खातेदार देवीशरन द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६१ :--

भूमि खसरा संख्या 111 रकवा 0.311हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजख अभिलेखों में दर्शनलाल पुत्र भरोसे ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद 763/09.05.08 गाटा संठ 111/0.311हे0 मे से 0.076हे0 से दर्शन लाल पुत्र राम भरोसे का नाम निरस्त करके केदार यादय पुत्र रामजन्म यादय नि० सुदामापुरी कालोनी कोतवाली चिनहट के पीछे लखनऊ का नाम संठ भूठ द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। अभिलिखित



खातेदार दर्शनलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री केदार यादव एवं श्री जावेद इकबाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 196 :-

भूमि खसरा संख्या 233स रकवा 0.034है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजेश कुमार पुत्र गुरूदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश कुमार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २१४ :-

भूमि खसरा संख्या ८४ रकवा ०.५९६ हे०, ८९ / ०.३७५ हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्रीपाल, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्रगण शिव नरायन चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान रामचन्द्र पुत्र राजाराम ग्रामवासी कनेडी पुत्र ओमप्रकाश, ललित कुगार पुत्र ओम प्रकाश, देवीशरन, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ निo ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद 883/178/ 31.05.08 गाटा सं0 84 / 0.596 है0, 89 / 0.379 है0 से नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मेर्सस सिकारा रियल स्टेट एण्ड डेवलर्नस प्रा० लि० रजि० आफिस ३३ कम्युनिटी सेंटर न्यू० फेंण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह विन्द्रा पुत्र शेर सिंह विन्द्रा से० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम वतौर सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित किया जाये। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनीर द्वारा प०क० 11क/07.07.08 खाता सं० 29, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्हीं देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः राठनि० बिजनीर द्वारा प०क० 11क / 18.06.09 खाता सं० 139, 215, 214 से मृतक राम खेलावन के स्थान पर राघेश्याम, कमलेश कुमार, गीतम कुमार पुत्रगण स्व० राम खेलावन व श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० राम खेलावन का नाम वतार वारिस दर्ज करने के आदेश अकित है। अभिलिखित खातेदार श्री देवीशरण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २४२ :--

भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 1.159हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि0 चिरईबाग मा0 उतरिवया देवीशरन पुत्र जगन्नाथ,



नन्ही देवी पत्नी जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठनिठ विजनीर द्वारा पठकठ 11क/07.07.08 खाता संठ 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दिकशोर पुत्रगण जगन्नाथ निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री देवीशरण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९६ :--

भूमि खसरा संख्या 71 रकवा 0.025है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरजूदेई विधवा कुशहर, हनोमान, महाबीर पुत्रगण कल्लू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनीर द्वारा प0क0 11क / 29.06.09 खाता सं0 296 पर मृतक हनोमान के स्थान पर वाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान, मनोज कुमार, मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद मृतक महावीर के स्थान पर वाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री वाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार, मनोज कुमार व मंजीत कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३२५ :-

भूमि खसरा संख्या 140 रकवा 0.853हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीफल पुत्र वदलू नि० मखदूमपुर, प्यारंलाल पुत्र मैकूलाल नि० मकदूमपुर अर्जन सिंह, सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह पुत्रगण चौंहान सिंह नि० जवाहिर खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर हारा प०क० 11क/24.10.05 खाता सं० 325 पर मृतक श्रीपाल के स्थान पर श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० श्रीपाल व रामकेश बा० सत्य प्रकाश, जुग्गीलाल, कौंशल ना०बा० आयु क्रमशः 16, 12, 8 वर्ष स्व० श्रीमती विद्यावती माता स्वयं पुत्रगण राजधरम व श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० राजधरम मकदूमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामकेश, सत्य प्रकाश, विद्यावती, जुग्गीलाल, श्री अर्जुन, सहदेव व शत्रोहन हारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुत्तीलाल हारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 19 :-

भूमि खसरा संख्या 276/2 रकवा 0.386है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल व विशेश्वर पुत्रगण इब्बा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार राठिनिठ विजनौर द्वारा पठकठ 11क/21.09.09 खाता संठ 19 पर मृतक विशेश्वर के स्थान पर अरूण कुमार वालिग व विजय कुमार नावाठ 12 वर्ष सरंठ श्रीमती कलावती माता व श्रीमती कलावती पत्नी स्वठ विशेश्वर निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार ओरीलाल, अरूण कुमार, कलावती व विजय कुमार नावाठ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री कमलेश सिंह व श्री राम नरेश सैनी द्वारा आपित प्रस्तुत की गयी है। आपित के निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या २२ :-

भूमि खसरा संख्या 19 रकवा 0.266हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल व विशेश्वर पुत्र डाव्वा श्रीकृष्ण पुत्र दांलत व लक्षमन पुत्र राम चरन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठनिठ बिजनार द्वारा पठकठ 11क/21.09.09 खाता संठ 19 पर मृतक विशेश्वर के स्थान पर अरूण कुमार वालिग व विजय कुमार नाबाठ 12 वर्ष सरंठ श्रीमती कलावती माता व श्रीमती कलावती पत्नी स्वठ विशेश्वर निठ ग्राम का नाम वतार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीकृष्ण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 51 :--

भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 0.063है0. 49/0.697है0, 52/0.114है0, 53स/0.126है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छबीले पुत्र उमराव, प्रेमचन्द्र पुत्र पियारे, राजकुमार, राजेन्द्र प्रताप पुत्र अर्शफीलाल, पंकज पुत्र रामनरेश विकास नावा0 13 वर्ष सं0 श्रीमती मीना माता व मीना बेवा रामनरेश, रामेश्वरी, जनाका पुत्री मोलहे नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजकुमार, प्रताप, पंकज, विकास ना0 बा0 सं0 मीना व मीना बेवा रामनरेश द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में विवे गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णित किया जाता है। उक्त

भूमि के सम्बन्ध में द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या ६६ :-

भूमि खसरा संख्या 13 रकवा 0.190हे0, 14/0.266हे0, 148/0.228हे0, 248/0.185हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उवत भूमि राजरव अभिलेखों में दिनेश कुमार व कमलेश कुमार यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव पुत्रगण रामपाल यादव, वृजमोहन, रामनरायन, नेपालकुँवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शन्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि0 धावाहार निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आजाओं में आदेशानुसार नायव तहसीलदार विजनीर वाद सं0 764 23.09.07 गाटा सं0 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं0 113 गाटा सं0 160/0.252 के वकदर भाग से वृजमोहन पुत्र तुलसी राग का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र रव0 शीतला प्रसाद नि0 कुल्लीखेड़ा गां0 अहमामऊ का नाम वतीर वैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राकेश हास अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गयं अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनेर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 113 :-

भूमि खसरा संख्या 160 रकवा 0.252हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वृजमोहन रामनरायन, नेपाली कुंवर पुत्र तुलसीराम व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि० धावाहार ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार बिजनौर वाद सं० 764 23. 09.07 गाटा सं० 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं० 113 गाटा सं० 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसी राम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व० शीतला प्रसाद नि० कुल्लीखंडा मा० अहमामऊ का नाम बतार बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राकेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 174 :-

भूगि खसरा संख्या 205 रकवा 0.212है0, 283स / 0.063है0, 285स / 0.145है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उद्देश भूगि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र वल्देव लालू, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशंखर पुत्रभण भगवान दीन श्रीपाल, शीतल पुत्रभण वैजनाथ, रामसरन पुत्र लक्ष्मी नरायन विक्रम, पण्नू सहजराम पुत्रभण बैचालाल अहिंबरन नावा० 13 वर्ष तहसीलदार नावा० 9 वर्ष पुत्रभण पृथ्वीपाल संश्व शान्ती देवी, शान्ती देवी पत्नी स्था पृथ्वीपाल व गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रभण



राधेलाल चन्दन, प्रीतम सिंह नाबा० 10 व 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कौशल्यादेवी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी रव० राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/02.02.06 खाता सं० 172, 173, 174 पर मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रगार सिंह, समर विजय सिंह, धरमवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रधुराई पत्नी रव० मोल्हे नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/05.01.06 खाता सं० 272, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्दर, नन्हेलाल, कल्लू करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० शीतल व सुट्टू नाबा० 12, 8 वर्ष सं० सरोज पत्नी स्व० छेदालाल व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० छेदालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रगार सिंह, समर विजय, धरमवीर, रधुराई, पण्यू नन्हेलाल, कल्लू करन, बबलू व राजेश्वरी द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 200 :-

भूमि खसरा संख्या 100/1 रकवा 0.452है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र ईश्वरदीन, दीपक कुमार नाबाо 15 वर्ष पुत्र ईश्वरदीन संठ जिलाधिकारी लखनऊ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दीपक द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री हनुमान प्रसाद, रामिशलन सिंह यादव, श्रीमती रामलली, कैलाश व श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या २१० :-

भूगि खसरा संख्या ६४ रकवा 0.127हे0, 72स/0.177हे0, 73/0.006हे0, 74/0.359हे0, 75/0.013हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में रामकुमारी बेवा मंडीलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में अर्देशानुसार नायब तहसीलदार बिजनौर वाद सं0 761/28.08.06 गाटा सं0 73/0.240 व 738/0.25६ से रामकुमारी पत्नी मंडीलाल का नाम निरस्त हो कर श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी चन्द्रिका प्रसाद नि0 निलमथा वाजार लखनऊ बतौर बनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार रा0नि0 विजनौर प0क0 11क 20.08.08 खाता 210 पर मृतक रामकुमारी के स्थान पर प्रेमवती पत्नी मगवानदीन पुत्री मेडीलाल बतौर बारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेवार प्रेमवती हारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।



खाता संख्या २८० :--

भूमि खसरा संख्या 78 रकवा 0.295है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हेमराज पुत्र वृजलाल, दिलीप कुमार पुत्रगण वराती निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हेमराज, दिलीप व वृजलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम धुसवलकलॉ

खाता संख्या 7 :-

भूमि खसरा संख्या 435 रकवा 0.304 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप, रामकुमारी पत्नी शिवलित, रामकली वेवा शम्भू दयाल, राकेश कुमार, सुजीत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण बैजनाथ, जगदम्वा प्रसाद, जगतनरायन पुत्रगण औतार ग्रामवासी आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद ग्रामवासी रामकुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सुनील कुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश नावा० 10 वर्ष पुत्र नौमीलाल सं० मु० प्रेमा माता स्वयं प्रेमा पत्नी स्व० नौमीलाल नरेन्द्र कुमार नावा० आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० प्रेमा माता व प्रेमा पत्नी स्व० राधेश्याम काशीप्रसाद, वाबूलाल पुत्रगण सूर्यवली नि० ग्राम श्रीमती विलासा देवी पत्नी स्व० सूर्यवली के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14 :--

भूमि खसरा संख्या ४३१स रकवा 0.006 हे0, ४३२स/0.15३हे0, ४३३स/0.11३हे0, ४३४स/0.044हे0, ५०६स/0.003हे0, ३९१/0.082हे0, ४०९/0.200हे0, ४४४/2.187हे0, ४४६/0.018हे0, ४४७/1.197हे0, ४५६/0.202हे0, ४५७/0.010हे0, ४५९/0.039हे0, ४६४/0.104हे0, ४६५/0.068हे0, ४४४/0.371हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा, राममिलन, कौशल किशोर, लल्लन पुत्रगण मैकूलाल, राम आँतार पुत्र त्रिलोकी नि0 ग्राम रामनेरश पुत्र रागचरन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली १३७२ से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनरेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २३ :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकवा 0.728 है0, 394/0.200है0, 401/0.205है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग, उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कन्धई द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 :--

भूमि खसरा संख्या 421 रकवा 0.350 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में दुलारे, श्रीकृष्ण, रज्जन पुत्रगण गुरप्रसाद, दशरथ सिंह अव आयु 16 वर्ष राघे सं० श्रीकृष्ण (चाचा) के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दशरथ व श्रीकृष्ण द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३९ :-

भूमि खसरा संख्या 132 रकवा 0.409 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलीचन्द्र, सत्यनरायन पुत्रगण संकटू ग्राठवाठ श्यामलाल पुत्र बेचालाल मैकी पत्नी रखा बेचालाल नि० ग्राम वारिद्धाल इग्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिशर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे मृतक श्रीमती मैका के स्थान पर श्यामलाल पुत्र बेचालाल का नाग बतौर वारिस उर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल, दुलीवन्द्र व सत्यनरायन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर्श के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 53 :--

भूगि खसरा संख्या 249 रकवा 0.387हे0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अभिलेखों में वेचालाल. दर्शनलाल पुत्रगण पितई, रामदीन पुत्र मंगला नन्हकऊ, साहबदीन पुत्रगण रागखेलावन, चमनलाल पुत्र रागप्रसाद, श्रीमती सत्तो पत्नी स्व० राग प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राठिनेठ विजनार द्वारा पठकठ 11क/15.06.07 खाता सं० 53 से मृतक वेचालाल के स्थान पर मुकेश, राजू, वाबूलाल, सुनील पुत्रगण बेचालाल व श्रीमती विद्या पत्नी स्व० वंचालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रागदीन, दर्शनलाल, श्री मुकेश, राजू, सुनील, श्रीमती विद्या, श्रीमती सत्तो, चमनलाल, नन्हकऊ व साहबदीन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

149

खाता संख्या ५४ :--

भूगि खसरा राख्या 148 रकवा 0.747 है0, 225/1.567है0, 369/0.022है0, 370/0. 035है0, 372/0.049है0, 373/0.025है0, 375/0.219है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण चेतई महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल नि0 गांधीनगर तेलीवाग श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यागलाल नि0 धुसवलकला श्रीमती मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि0 जय सिंह खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शान्ती देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 57 :--

भूगि खसरा राख्या 343अ रकवा 0.025 हैं0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल पुत्र अहरवा, सतनू पुत्र परीदीन मु0 रामदेवी विधवा परीदीन, लल्ला मुन्ना, सोनू मोनू पुत्रगण अहरवा मु0 रामकली बेवा अहरवा नान्हू पुत्र महावीर श्रीराम बृजेश रामविलास पुत्रगण सत्तीदीन श्रीमती रामरती पत्नी स्व0 सत्तीदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बाबूलाल, सोनू व लल्ला द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ९४ :--

भूगि खसरा संख्या 273अ रकवा 0.074हे0, 163/0.035हे0, 263/0.114हे0, 264/0.295हे0, 265/0.094हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में रामशंकर पुत्र जंगली छोटे लाल पुत्र रामदास दिवाकर रावत पुत्र रामकुमार नि0 कुण्डराकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनार द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता सं0 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि0 ग्राम का नाम बतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव व वंशीलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 98 :--

भूगि खसरा संख्या 220 रकवा 0.405 है0, 438/0.354है0, 439/0.077है0, 440/ 0.081है0, 441/0.069है0, 442/0.077है0, 503/0.367है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसनेही पुत्र गया प्रसाद, प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशीलकुमार, अनिलकुमार, शिवकुमार, सुनीलकुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिकराम पुत्र मुझ्यादीन, जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र गजीधर पुत्र रधुवर मंशाराम पुत्र जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसनेही द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 123 :-

भूमि खसरा संख्या 312 रकबा 0.046है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सतनू पुत्र परीदीन मु0 रामदेवी विधवा परीदीन के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनीर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता सं0 57, 123 से मृतक रामदेवी के स्थान पर सतनू पुत्र परीदीन नि0 ग्राम का नाम बतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सतनू द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ० ग्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 131 :-

भूमि खसरा संख्या 395 रकवा 0.062है0, 396/0.025है0, 487/0.134है0, 486/0. 124है0, 101/0.200है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में संदीप कुमार पुत्र शंकर, अरविन्द कुमार पुत्र बाबू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अरविन्द द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 136 :--

भूमि खसरा राख्या 389 रकवा 0.019हे0, 390/0.024हे0, 393/0.111हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती अनीता पत्नी उमेश चन्द्र नि0 रामटोला म0 खरिका श्रीमती प्रतिभा देवी पत्नी उमेश कुमार नि0 1273 से0 आई0एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती प्रतिभा देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के अधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



ग्राम बरौलीखलीलाबाद

खाता संख्या 65 :--

भूमि खसरा संख्या 1922 रकवा 0.159 है0, 1923/0.182है0, 1924/0.253है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गौरी शंकर पुत्र कुशहर, नौमीलाल, रामकुमार, सालिगराम, गंगाराम, हरीलाल, रामचन्द्र, रामसनेही पुत्रगण सीताराम श्रीमती रामप्यारी वेवा सीताराम नि0 विरूत के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातंदार रामकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 160 :-

भूमि खसरा संख्या 1714 रकवा 0.215हे0, 1718/1/0.139हे0, 1721/0.164हे0, 1756/0.304हे0, 1759/0.215हे0, 1766/0.177हे0, 1769/0.126हे0, 1770/0.114हे0, 1761/0.063हे0 भूमि का अर्जन् किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती नन्हका बेवा भगवानदीन व श्रीमती कल्लो पुत्री धनी व नन्हकऊ पुत्र नन्हे नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 सं श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राठिनि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.09 खाता संठ 278 से मृतक श्रीमती कल्लो के स्थान पर हरिचन्द्र पुत्र राजाराम नि० धोधनखेड़ा म० ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलेखित खातेदार हरिश्चन्द्र व नन्हकऊ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 250 :-

भूमि खसरा संख्या 1614 रकबा 0.102है0, 1648/0.266है0, 1649/0.202है0, 1650/0.493है0, 1651/0.139है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुड़ेथादीन, छमा, रामस्वरूप रामआसरे पुत्रमण लालता, लीहर पुत्र झाऊ मथुरा, देवी प्रसाद पुत्रमण सीताराम, कालिका प्रसाद पुत्र जगवहादुर नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार श्रीमान नावतह0 विजनीर दि0 13 वाद सं0 514 कालिका प्रसाद बनाम पच्चो में न्यायहित में आदेश दिनांक 30.09.01 का कियान्वयन भूमि का विक्रय बैनाना मुकदयान न कर दिया जाय रोका जाये। अभिलिखित खातेदार मुझ्यादीन हारा अपने हिरसे की भूमि के सन्बन्ध में 6000 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।





खाता संख्या ४३७ :--

भूमि खसरा संख्या 1611 रकवा 0.632हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू सुन्दारा पत्नी कल्लू जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे, रामदास पुत्र घना, शत्रोहन लाल पुत्र घना नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ बाद सं0 379/23.12.08 गाटा सं0 1611/0.632हे0 के वकदर भाग में से 0.0126हे0 से श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व0 कल्लू का नाम निरस्त करके राममिलन पुत्र नौमीलाल नि0 देवामऊ का नाम वतौर सं0 भू० द्वारा वैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुन्दारा द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से विक्रीत भूमि घटाकर अवशेष भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७३ :-

भूमि खसरा सख्या 1841/2 रकवा 0.002 है0, 1842/0.051है0, 1843/1/0.123है0, 1844/2/0.025है0, 1846/1/0.044है0, 1847/1/0.044है0, 1848/0.009है0, 1849/2/0.050है0, 1850/1/0.018है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम किशोर पुत्र अयोध्या, रामचन्द्र, रामकुमार, श्याम कृमार पुत्रगण पराग, कुँजन, श्रीपाल साहबदीन पुत्रगण देवी, बजरंग पुत्र पुत्तीलाल, दिनेश पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। मृतक साहबदीन के स्थान पर केशवचन्दन पुत्र साहबदीन व श्रीमती रामेश्वरी पत्नी स्व0 साहबदीन का नमा वतार वारिस दर्ज हुआ है। अभिलिखित खातेदार श्रीपाल, कंशवचन्दन व रामेश्वरी द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिधद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

अहमामऊ

खाता संख्या ४५७ :-

भूमि खसरा संख्या 1139 रकवा 0.378 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेश पुत्र राम सेवक उर्फ लल्लू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 397/18 गाटा सं0 1139/0.379हे0 मा0गु0 60 ख से सुरेश पुत्र राम सेवक उर्फ लल्लू का नाम निरस्त करके रामलोटन पुत्र भुईयादीन नि0 लालपुर निगोहा, तहसील मोहनलालगंज लखनऊ व श्रीमती प्रीति पत्नी सुरेश नि0 अहमामऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज हैं। श्री रामलोटन द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.1214122हे0 भूमि विक्रय की गयी है। जिसके सम्बन्ध में क्रेता श्री बदी प्रसाद, जोखई, लालचन्द्र, विधान चन्द्र, रामधारी व रामानन्द द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। शेष 0.0675878हे0 भूमि श्री रामलोटन के हिस्से की बचती



है, किन्तु श्री रामलोटन द्वारा 0.189हे0 में से 0.12829हे0 का समझौता उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया गया, जब कि विक्रीत क्षेत्रफल 0.1214122हे0 को घटाते हुये 0.0675878हे0 का अभिनिर्णय घोषित किया जा रहा है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर भुगतान नियमानुसार देय होगा।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कितपय खसरा संख्या—मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू0अ0अ0 की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुगन्य नहीं होगा।

(बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनऊ।

TE min lung min love 12.02-11 41

(12)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०३१०)उ०५० आयासं एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 9/2010

1 बाद रांख्या : 1/2010

2- ग्राम का नाम : सेंवई, अहमामऊ, देवामऊ, धुसवलकलॉ

उ-- परगना तहसील व जिला : लखनऊ ।

4- अभिनिर्णात क्षेत्रफल : सेवई : 12.0226072326है0

अहमागऊ : 0.589है0 देवामऊ : 2.50525है0

धुसवलकलॉ : 11.2030999852हे0

26.3199572178前0

5- क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है : नहीं ।

६- भृति अध्याप्ति का प्रयोजन : सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं

गृह स्थान योजना

7- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम : 17/07/2004

की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक

8- ७ ७०५० आवार: एवं विकास परिषद अधिनियम : 30/9/2006

की घारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक

भृमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन : 65/12/2007

की दिनांक

10 अधिकार / कव्या की विथि : 07.10.2008

u = अभिनिर्णय की दिथि : 13.9-2011

12- अभिनिर्णय की धनकारी : सेवई : 64034810-64 : अहमामक: 3137131-80

देवामऊ : 13343462-55 ध्सवलकलॉ : 59669950-98

140185355-97

13- पूंजीकृत मूल्य : 40472-80 14- अध्याप्ति व्यय : 14018535-60

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं

के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्वश्चात् भूमि अर्जन अभिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी।

(177)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमित बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन गा० आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्निलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :--

ग्राम सेवई

भूमि खसरा संख्या 141 रकवा 0.890 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन सिंह सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह पुत्रगण चौहान सिंह व जगराना पत्नी फूलचन्द्र निवासी जवाहिर खेड़ा म0 सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अर्जुन, सहदेव, शत्रोहन व जगराना द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 14:
भूमि खसरा संख्या 184 रकवा 0.157 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि

राजस्व अभिलेखों में अलीरजा वुत्र लतीफ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क

सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अलीरजा द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र०

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत

किया जाता है।

भूगि खसरा संख्या 156 रकवा 0.277हे० भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि सजस्य अभिलेखों में किशुन, सुखई पुत्रगण ख्याम, रमेश, प्रकाश पुत्रगण पंचम श्रीमती मीनाकुमारी पत्नी स्व० पंचम श्रीमती आशा पत्नी शिवराग वर्गा नि० 100/1 अशोक बिहार आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी । क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार प्रा० नि० बिजनौर हारा पठक० 11क खाता सं० 36, 37, 38 से मृतक किशुन

के स्थान पर कल्लू, सन्तराम पुत्रमण किशुन नि0 ग्राम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कल्लू व सन्तराम द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४२ :-

भूमि खसरा संख्या 124 रकवा 0.043 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगादेई विधवा छोटेलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गंगादेई द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५१ :-

भूगि खसरा संख्या 47 रकवा 0.063 हे0, 49/0.697हे0, 52/0.114हे0 व 53स/0. 126हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में छवीले पुत्र उमराव व प्रेमचन्द्र पुत्र प्यारे व राजकुमार, राजेन्द्र प्रताप पुत्रगण अशफीलाल, पंकज पुत्र राम नरेश, विकास ना0बा0 13 वर्ण सं0 भीमा पत्नी राम नरेश व मीना बेवा राम नरेश व रामेश्वरी जनाका पुत्री मोलहे नि0 ग्राम के नान पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि0 विजनीर द्वारा प०क० 11क 29.06.09 खाता सं० 51 पर मृतक समेश्वरी के रथान पर रामदयाल, रामरतन पुत्रगण राजाराम नि0 ग्राम का नाम वतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रेमचन्द्र रामरतन, रामदयाल, जनाका व छवीले द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवस्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्रं व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या ५४ :-

भूमि खसरा संख्या 203 रकवा 0.180 है0, 262/0.316है0, 299/0.565है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र सरजू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार छोटेलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है।



खाता संख्या 57 :--

भूगि खसरा संख्या 157 रकवा 0.326हैं0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जनक दुलारी पत्नी गरीबे व राजू पुत्र रामआसरे नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जनक दुलारी व राजू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८४:-

भूमि खरारा संख्या 102 रकवा 0.363 है0, 152/0.895है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र हरी नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनीर द्वारा प0क0 11क 04.04.08 खाता सं0 84 से मृतक प्रसाद के स्थान पर रामस्वरूप, घरमेश्वर, नन्हकऊ पुत्रगण परसाद का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार परमेश्वर व नन्हकऊ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गयं अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ९१ :-

भूमि खसरा संख्या 94 रकवा 0.104हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पुनवासी व रोशन लाल पुत्रगण मुन्ना नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार पुनवासी व रोशनलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जाता है। उक्त भूमि पर श्रीमती रेनू द्वारा एक आपित प्रस्तुत करते हुये भुगतान रोकने की याचना की गयी है, जिसके निरतारण के उपरान्त प्रतिकर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या ९७ :-

भूमि खसरा संख्या 244 रकवा 0.316हें0, 245/0.058हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा कि उचत भूमि राजरव अभिलेखों में फूलचन्द्र, रागलखन, नन्हकंड पुत्रगण गया प्रसाद परशुराम, विन्देश कुमार पुत्रगण राधेलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिद्यर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सावन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ विजनीर द्वारा पठकंठ 11क 1802.10 खाता संठ 97 से मृतक नन्हकंड के रथान पर सुरेश वाठ व सुजीत कुमार नाठवाठ अनिकेत नाठवाठ आयु कमशः 15, 12 वर्ष संठ श्रीमती देवकी पत्नी स्वठ नन्हकंड का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अमिलिखित खातेदार सुरेश, सुजीत,

अनिकेत, श्रीमती देवकी व रामलखन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ९९ :-

भूमि खसरा संख्या ६० रकवा 0.392हे0, 44/0.067हे0, 64/0.025हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में फूलन, नन्हकई मुदुरा पुत्री मंगलू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती फूलन, श्रीमती नन्हकई व श्रीमती मुदुरा द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर संतराम सिंह व कमला सिंह एवं अन्य द्वारा आपिता प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की। याचना की गयी है। आपिता के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 127 :-

भूमि खसरा संख्या 57 रकवा 0.144हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वाबादीन पुत्र कल्लू सुखदीन पुत्र पितग्बर, विजय कुमार पुत्र वलई नि0 उसरी वंगला वाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुखदीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपित प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खारा। संख्या १६६ :-

भूगि खसरा संख्या 28 रकवा 0.231हं0, 29/0.271हं0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्य अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रमण नन्हें, श्यामलाल, मनेश, श्रीपाल पुत्रमण पितई मुल्कराज, चन्द्रपाल गौतम पुत्रमण गोतीलाल श्रीमती राजकुमारी पत्नी मोतीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीपाल, मनेश व श्यामलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जायेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या 173 :-

भूमि खसरा संख्या 324 रकवा 0.304हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र वलदेव. लालू रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशेखर पुत्रगण भगवानदीन रघुवर पुत्र देवी, रामशरण पुत्र लक्षमी नरायन, शीतल, श्रीपाल पुत्रगण वैजनाथ, विक्रम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण वेचालाल, अहिवरन, तहसीलदार नावा० 13, 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल संर० श्रीमती शान्ती देवी श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी स्व0 पृथ्वीपाल गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राघेलाल, चन्दन नावा0 प्रीतम नावा० क्रमशः 10, 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कीशल्या देवी कीशल्या देवी पत्नी राधेलाल नि० गाम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० विजनीर द्वारा प०क० 11क 02.02.06 खाता सं० 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व0 मोल्हे नि0 चींधरी खेड़ा का नाम वतार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० ११क ०२.०६.०९ खाता सं० १७३, १७४ से मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०वा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी ख0 मंशाराम नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार विक्रम, सहजराम, लालू, चन्द्रशेखर, शान्तीदेवी, सन्तोष कुगारी, रागलाल, श्रंगार सिंह, समर सिंह, धर्मवीर सिंह, रधुराई देवी एवं सरोज द्वारा अपने-अपने हिस्से की मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 174 :-

भूमि खसरा संख्या 205 रकवा 0.212हे0, 283स / 0.063हे0, 285स / 0.145हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उवत भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव, लालू, रामलाल मंशाराम, चन्द्रशंखर पुत्रगण भगवादीन, श्रीपाल, शीतल पुत्रगण वैजनाथ, रामसरन पुत्र लक्ष्मी नरायन, विक्रम, पण् राहजराम पुत्रगण वेचालाल, अहिवरन, तहसीलदार नाठवाठ आयु 13, 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सठ श्रीमती शान्ती देवी पत्नी पृथ्वीपाल, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राधेलाल चन्दन नाठवाठ व प्रीतम नाठवाठ आयु 10, 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल संठ श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राधेलाल निठ ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ विजनीर द्वारा पठकठ 11क 05.01.06 खाता संठ 271, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्दर, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्वठ शीतल सुदू, सुशील नावाठ आयु क्रमशः 12, 8 वर्ष संठ श्रीमती सरोज पुत्रगण स्वठ छंदालाल व श्रीनती सरोज पत्नी स्वठ छंदालाल निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार राठ निठ विजनीर द्वारा पठकठ 11क 02.02.06 खाता संठ 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर सिंह, विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्वठ मोल्हे निवासी चौधरी खेडा मठ ग्राम का नाम बतौर

वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 29.06.09 खाता सं० 173, 174 से मृतक मंशारान के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०वा० आयु क्रमशः । 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० मंशाराम नि० ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार विक्रम, सहजराम, रागलाल, सन्तोष कुमारी, श्रीमती शान्तीदेवी, लालू, चन्द्रशंखर व सरोज द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 186 :-

भूमि खसरा संख्या 77 रकवा 0.328हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, दिनेश, सुरेश पुत्रगण मेवालाल व मेवालाल पुत्र विश्राम नि0 ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1390 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश, दिनेश, सुरेश व मेवालाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 195 :--

भूमि खसरा संख्या 226 रकवा 0.025हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में राजेश कुमार पुत्र गुरदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या २०७ :-

भूमि खसरा संख्या 15 रकवा 0.120हें0, 16/0.132हें0, 18/0.296हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम उचित पुत्र राम नाथ, रामपाल पुत्र सूरजबली, राकेश कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, दयानन्द यादव पुत्रगण बहादुर यादव, राजधर्म पुत्र श्रीपाल नि0 ग्राम श्रीमती सुशीला पत्नी श्रीपाल प्यारेलाल पुत्र मैकूलाल नि0 मकदूमपुर जगराना पत्नी फूलचन्द्र नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 24.10.05 खाता सं० 207, 329 से मृतक राजधरम के स्थान पर राकेश बा० सत्य प्रकाश जुग्गीलाल, कौशल नाबा० आयु क्रमशः 16, 12,8 वर्ष सं० श्रीमती विद्यावती माता स्वयं पुत्रगण राजधरम व श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० राजधरम नि० मकदूमपुर का नाम बतौर बारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०ता० बिजनौर द्वारा प०क०11क/26.03.10 खाता सं० 207 पर रामनाथ पुत्र धनी नि० ग्राम का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय। अभिलिखित खातेदार रामउचित, रामनाथ, रामकेश, सत्यप्रकाश,

श्रीमती विद्यावती (जुग्गीलाल, कौशल नाबाо) सर्वेश व दयानन्द द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या २६१ :--

भूमि खसरा संख्या 166 रकवा 1.191हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्याम देवी यादव पत्नी सूरज पाल यादव नि० पिपराली प्रताप पुत्र रामदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार न्यायिक लखनऊ वाद सं० 501/789/28.02.06 गाटा सं० 166/1.201 का वकदर प्रताप पुत्र रामदीन का नाम खारिज करके श्री भगवान पुत्र स्व० जमुना प्रसाद नि० छोटा वरहा आलमवाग शहर लखनऊ का नाम वतौर सहखातेदार सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार न्यायिक दिनांक 17.04.06 द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा एक पक्षीय आदेश दि० 28.02.06 आंशिक संशोधन करते हुए विकीत भूमि सं० 166 में विकेता के साथ केता श्री भगवान का नाम वतौर सहखातेदार सं० भू० दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार नाठत० विजनौर वाद सं० 239/30.01.08 गाटा सं० 166/1.201 में से 0.0953 रो प्रथम विकेता प्रताप पुत्र स्व० रामदीन एवं द्वितीय विकेता विनोद कुमार यादव पुत्र स्व० बाबूलाल यादव का नाम निरस्त करके श्रीमती राजकुमारी पत्नी रामसनेही यादव नि० 555ज/2 मेंहदीखेडा मानक नगर आलमवाग लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार राजकुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परियद से दर के सम्बन्ध में कियो गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६८ :--

भूमि खसरा संख्या 278 रकवा 0.051हे0, 279/0.177हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहनलाल, शिवराम पुत्रगण बद्री मनोजकुमार पुत्र मेड़ीलाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मनोज कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७५ :-

भूमि खसरा संख्या 246 रकवा 0.202हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में शिवगंगल पुत्र भगौती प्रसाद ग्रां० वां० मदन पुत्र मोहनलाल निo कैलाशपुरी श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्वo मोहनलाल निo ग्राम लल्लन पुत्र कल्लू निo कैलाशपुरी आलमवाग लखनऊ विनोद कुमार पुत्रगुरू नि० कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवमंगल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 284 :-

गूगि खसरा संख्या 229 रकवा 0.093हं0, 230/0.025हे0, 231/0.021हे0 गूगि का अर्जन किया जा रहा है। जक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में हनोमान पुत्र कल्लू सरजू देई विधवा कुशहर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 21.09.07 खाता सं० 282, 283, 284 से मृतक हनोमान के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान व मनोज कुमार मंजीत कुमार पुत्रगण गोबिन्द प्रसाद नि० ग्राम का नाम वर्तौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सरजूदेई द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३०४ :--

भूमि खसरा संख्या 95 रकबा 1.000हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, रामकुमार, हजारीलाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोधर नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना0त0 बिजनौर वाद सं0 224/947/257/23.02.06 गाटा सं0 95/1.000 मा0 गु0 68. 05 पैसो के बकदर भाग से सुन्दरलाल पुत्र गजोधर का नाम पृथक करके रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि0 चिरैयाबाग म0 उत्तरिया का नाम अन्य सहखातेदारों के नाम के साथ बतौर सहखातेदार सं0 भू0 हारा वैनामा अंकित करने के आदशे दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रामकुमार व नन्हकऊ हारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३०८ :-

भूगि खसरा संख्या 61स रकवा 0.151हं0, 62स / 0.089हं0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि रांजस्व अभिलेखों में सुशील कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामसेवक नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1395 व 1982 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुशील व सुनील द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर श्री जावेद इकवाल एवं श्री रज्जन लाल आदि द्वारा आपित प्रस्तुत कर भुगतान रोकने



हेतु याचना की गयी है। आपितत के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को देय होगा।

खाता संख्या ३१० :-

भूमि खसरा संख्या 105 रकवा 0.076हें0. 106/0.076हें0. 289स/0.038हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सहजराम, रामू, सुभाषचन्द्र, सुमन्त कुमार पुत्रगण पल्टूराम श्रीमती रामप्यारी पत्नी पल्टूराम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सहजराम, रामू, सुभाषचन्द्र, सुमन्त कुमार व श्रीमती रामप्यारी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या ३१४:-

भूमि खसरा संख्या 83 रकवा 0.844हे0, 251/0.145हे0, 252/0.145हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सावित्री देवी पुत्री मन्ना पत्नी नान्हू नि0 हैंदरगढ़ वारावंकी के नाम पूर्व सन् फसली 1374 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सावित्री देवी द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३१६ :-

भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 0.313हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सालिकराम शंकर, गनेश, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रगण धूरू मु0 विटाना विधवा ठाकुर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शंकर, गनेश, नान्हू व नन्हकऊ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री उमेश द्वारा आपित प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है।

खाता संख्या ३२४ :-

भूगि खसरा संख्या 24 रकवा 0.089हे0, 25/0.076हे0, 26/0.238हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीकृष्ण पुत्र रघूबीर रूप चन्द्र पुत्र शम्भू ग्रामवासी तुलसीराम पुत्र पाँचू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 6.10.6 खाता सं0 323, 324 से मृतक श्रीकृष्ण के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्रीकृष्ण व श्रीमती प्यारा पत्नी स्व0



श्रीकृष्ण नि0 ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0 नि0 विजनीर द्वारा प0क0 11क 21.09.07 खाता सं0 323, 324 से मृतक श्रीप्यारा के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्रीकृष्ण नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सन्तराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५७ :--

भूमि खसरा संख्या 254 रकवा 0.076हे0, 255/0.114हे0, 277/0.142हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवीसरन, नन्दिकशोर पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्द किशोर द्वारा भूमि खसरा संख्या—254, 255 व 277 की अर्जित भूमि मे से अपने हिस्से की भूमि का समझौता श्री नन्द किशोर द्वारा आवास एवं विकास परिषद से कर लिया गया है, जबिक खसरा संख्या—254 व 255 मे अपने हिस्से की भूमि वह पूर्व मे ही विक्रीत कर चुके है। ऐसी स्थिति मे श्री नन्दिकशोर द्वारा भूमि खसरा स0 277 रकवा 0.142 हे0 मे से अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या ५६ :-

भूमि खसरा संख्या 38 रकवा 0.624है0. 217/0.304है0. 303/0.152है0. 307/0. 379है0, 311/0.101है0, 314/0.132है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जगन्नाथ व बद्री प्रसाद, मेवालाल पुत्रगण परसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगन्नाथ द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६० :-

भूमि खसरा संख्या 287 रकवा 0.556है0, 295/0.266है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखां में देवी प्रसाद व वावूलाल पुत्रगण नन्दा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 14/31/184 दिनांक 18.01.08 गाटा सं0 287/0. 556है, 295/0.266 व 430/0.100 मां0 गुं0 42.30 के यथोचित भाग से चन्नी पत्नी स्व0 गंगाराम का नाम निरस्त करके जमुना पुत्र विहारी का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार जमुना द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद सं दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 147 :-

भूगि खसरा संख्या 32 रकवा 0.638है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेश चन्द्र पुत्र सालिकराम व शिव प्यारी पत्नी शत्रोहन लाल नि0 घोघनखेड़ा म0 बरौलीखलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार शिवप्यारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १५७ :--

भूमि खसरा संख्या 30 रकवा 0.156है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में मेवालाल पुत्र विश्राम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १७६ :-

भूमि खसरा संख्या 282स रकवा 0.506है0, 284/0.068है, 286/0.135है0, 296/0.291है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिठाईलाल व मिश्रीलाल पुत्रगण नगई नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिश्रीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २०० :-

भूमि खसरा संख्या 100/1 रकवा 0.452है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र ईश्वरदीन व दीपक कुमार नावा0 15 वर्ष पुत्र ईश्वरीदीन संव जिलाधिकारी लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामखेलावन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री हनुमान प्रसाद, राम मिलन सिंह यादव, श्रीमती रामलली, कैलाश व श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या २५८ :-

भूमि खसरा संख्या 187 रकवा 0.514हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वारिस अली पुत्र तंई नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री वारिस द्वारा 0.488हें0 में से अपने हिरसे की भूमि के सम्बन्ध में उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७१ :-

भूमि खसरा संख्या 214 रकबा 0.084है0, 294/0.278है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल, श्रीपाल पुत्रगण बैजनाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 05.06.06 खाता सं० 271, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्दर, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० शीतल व सुट्टू सुशील ना०वा० आयु 12, 8 वर्ष सं० श्रीमती सरोज पत्नी स्व० छेदालाल नि० ग्राम का नाम वर्तार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती सरोज द्वारा अपने हिस्से की भूमे के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७७ :--

भूमि खसरा संख्या 302 रकवा 0.350हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवरतन पुत्र मेड़ई व नान्हू, बवलू, सजनू पुत्रगण रामस्वरूप नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बवलू व सजनू हारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

अहमामऊ

खाता संख्या 122 :-

भूमि खसरा संख्या 1169 रकवा 0.542 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलारे पुत्र डल्लू नि0 वरियामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दुलारे द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७२ :-

भूमि खसरा सख्या 1125 रकवा 0.047 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमे राजरव अभिलेखों में लालाराम पुत्र मैंकू नि0 ग्राम के नान पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से शहीद पथ योजना में कितनी भूमि अर्जन की गयी है की पुष्टि के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। अभिलिखित खातेदार लालाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवांस एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

देवामऊ

खाता संख्या 4 :--

भूगि खसरा संख्या 158 रकवा 0.117 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कुवेंरलाल व श्याम बिहारी पुत्रगण बदलू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कुवेंरलाल व श्याम बिहारी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में ठ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणींत किया जाता है।

खाता संख्या २१ :-

भूगि खसरा संख्या 153 रकवा 0.641 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में धन्नू, जगन्नाथ, वैजनाथ पुत्रगण चिरंजू व चन्द्रिका पुत्र धनी व मुन्नी देवी विधवा श्यामलाल रागू नावा0 15 वर्ष सं0 मुन्नी देवी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या की भूगि 5 फिट नीचे हैं (भट्टे से प्रभावित) जिस पर नियमानुसार कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु अध्याप्ति निकाय द्वारा लिखा गया है। प्रतिकर वितरण नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 103 :--

भूमि खसरा संख्या 163 रकवा 0.252 है0 व 211/0.152है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम, सीताराम पुत्रमण रामचरन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीराम व सीताराम द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८७ :-

भूमि खसरा संख्या 128 रकवा 0.0130 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में शिवबालक, रधुनन्दन पुत्रगण रोस्तम व गुरू प्रसाद पुत्र रमई नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार



शिवबालक पुत्र रोस्तम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के संम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८८ :-

भूमि खसरा संख्या 235 रकवा 0.696 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में हरनरायन, शिवदत्त, हरिहर, रवेन्द्र कुमार पुत्रगण मुन्नालाल, विनोद कुमार, आनन्द नरायन, शशी कुमार पुत्रगण उदित नरायन नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभितिखित खातेदार श्री हरिहर, श्री रवीन्द्र पुत्रगण मुन्नालाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर अनीता शुक्ला द्वारा आपिता प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 130 रकवा 0.2020 हे0. 147/1.030हे0, 244/0.0630हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में यार मोहम्मद पुत्र श्री फकीरे व गुलाम वारिस पुत्र फकीरे ग्राम देवामऊ पोस्ट बरौना के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार यार मोहम्मद व गुलाम वारिस पुत्रगण श्री फकीरे द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८६ :--

भूमि खसरा संख्या 156 रकवा 0.035 हैं भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिववालक, रधुनन्दन पुत्रगण रोस्तम नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकेत है। अभिलिखित खातेदार शिववालक पुत्र रोस्तम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री पवन कुमार, रामदेवी के अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत कर प्रतिकर रोकने हेतु याचना की गयी है। प्रतिकर का भुगतान पात्र व्यक्ति को पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा।



धुसवलकलॉ

खाता संख्या 3 :-

भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 1.292 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन प्रसाद पुत्र नान्हू, श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्रीराम वर्मा ग्रामवासी नि० छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 0.861हे0 भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 20 :--

भूमि खसरा संख्या 106 रकवा 0.349 है0 व 352मि0/0.076है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलंखों में कृष्ण कुमार, रामजीत, हरिशचन्द्र पुत्रगण भुइयादीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामजीत द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 21 :-

भूमि खसरा संख्या ?1 रकबा 0.114 है0 130/0.261है0 व 134/0.421है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार पुत्र छंगा लाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 व 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कृष्ण कुमार पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 51 :--

भूमि खसरा संख्या 1983 रकवा 0.210 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बहादुर पुत्र बृजलाल नि0 घुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६३ :-

भूमि खसरा संख्या 308 रकबा 0.989 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र भगवानदीन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगौती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 115 :--

भूमि खसरा संख्या 265 रकवा 0.253 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन, श्यामलाल, सुन्दरलाल, भारत पुत्रगण जगन्नाथ, छोटेलाल पुत्र रामलाल, सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जागेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू नीरज नावा0 आयु 15 वर्ष, धीरज नावा0 आयु 13 वर्ष, सूरज नावा0 आयु 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं0 मु0 रामावती, रामावती बेवा वीरेन्द्र कुमार के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भारत, छोटेलाल, सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जागेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू नीरज नावा0 आयु 15 वर्ष, धीरज नावा0 आयु 13 वर्ष, सूरज नावा0 आयु 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं0 मु0 रामावती, रामावती बेवा वीरेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 117 :-

भूमि खसरा संख्या 124 रकवा 0.247 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल पुत्र महंगू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शीतल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 131 :-

भूमि खसरा संख्या 355 रकबा 0.062 है0, 396/0.025है0, 487/0.134है0, 486/0. 124है0, 101/0.200है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में संदीप कुमार पुत्र शंकर, अरविन्द कुमार पुत्र बाबू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार संदीप द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १६ :-

भूमि खसरा संख्या 253 रकवा 0.556 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उदयराज, धर्मराज, हंसराज पुत्रगण गनेश प्रसाद नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1400 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार उदयराज, धर्मराज व



हंसराज द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२ :-

भूमि खसरा संख्या 260 रकवा 0.076 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुगार पुत्र छंगालाल, ओग प्रकाश, जय प्रकाश, शिव प्रकाश चन्द्र प्रकाश पुत्रगण सालिकराम ग्रागवासी महेशचन्द्र, दिनेश चन्द्र, उमेश चन्द्र अरूण कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार पुत्रगण रामचन्द्र नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न0भू०सी० लखनऊ पत्रांक 13/अमलदरामद/न0भू०सी०/07 दिनांक 07.01.08 के अनुपालन मे सं0 1882/21.05.93 वाद सं0 1787 गाटा सं0 260 रकबा 189.70 वर्ग मी० के 1/4 भाग से 34/701, 88, 88/84, 31, 89/126, 46, 92/632, 32 के 1/3 भाग से 131मि०/4239.14 वर्गमीटर कुल रकवा 5974.41 वर्गमी० सालिगराम का नाम निरस्त अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज होने के आदेश अकित है। अभिलिखित खातेदार कृष्ण कुमार व किशोर कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकवा 0.728 है0, 394/0.200है0, 401/0.205है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग, उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६ :-

भूमि खसरा संख्या 104 रकवा 0.126 हे0, 324/0.425हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में काशीप्रसाद पुत्र सूर्यवली ग्रामवासी सुनील कुमार, लदकुश अव0 आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल, प्रेमा बेवा नौभीलाल नि० ग्राम नरेन्द्र कुमार अव0 आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार अव0 आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० मु० प्रेमा माता नि० ग्राम मु० प्रेमा बेवा राधेश्याम नि० ग्राम बाबूलाल पुत्र सूर्यवली ग्रागवासी भागूलाल पुत्र गयादीन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रंणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा०नि० विजनीर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बवलू रिकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व० भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोकुल, रामदेवी व रिकू द्वारा अपने—अपने

हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९ :-

भूमि खसरा संख्या 188 रकवा 0.406 है0, 254/1.097है0, 498/0.237है0, 254/509/0.067है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गनेश प्रसाद पुत्र छोटेलाल, मुझ्यादीन, चन्द्र प्रकाश पुत्रगण बद्री प्रसाद मु० सीता पती वेवा बद्री प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर ऑकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनीर द्वारा प0क0 11क/11.06.04 खाता सं० 29 से मृतक गनेश प्रसाद के स्थान पर उदयराज हंसराज, धर्मराज पुत्रगण गनेश प्रसाद व श्रीमती सावित्री पत्नी स्व०. गनेश प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार उदयराज, हंसराज, धर्मराज व सावित्री द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सन्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४९ :-

भूमि खसरा संख्या 149अ रकवा 0.067 है0, 149व/0.782है0, 201/0.623है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिवकुमार, सुनील कुमार पुत्रगण अमरनाथ सालिक राम पुत्र भुइयादीन जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, प्रेमचन्द्र, विजय, सुनील, अनिल, शिवकुमार, जितेन्द्र व सुशील द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रांतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 50 :-

भूमि खसरा अख्या 176 रकवा 0.013 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रेमचन्द्र विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिवकुमार, सुनीलकुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिकराम पुत्र भुइयादीन जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र मंशाराम पुत्र जगन्नाथ गजीधर पुत्र रधुवर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, प्रेमचन्द्र, विजयकुमार, अनिलकुमार, शिवकुमार, सुनील, जितेन्द्र, मंशाराम व सुशील द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या 58 :--

भूमि खसरा संख्या 314 रकवा 0.046 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, लल्ला, मुन्ना, सोनू, मोनू पुत्रगण अहरवा मु0 रामकली वेवा अहरवा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार लल्ला द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सन्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६७ :--

भूमि खसरा संख्या 3 रकवा 0.066 है0, 4/0.064है0, 5/0.044है0, 6/0.057है0, 7/0.114है0, 8/0.067है0, 19/0.240है0, 84/0.046है0, 85/0.057है0, 95/0.025है0, 96/0.018है0, 97/0.062है0, 98/0.082है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद हिम्मत, बहादुर पुत्रगण बिरजा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हिम्मत द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 72 :--

भूमि खसरा संख्या 1913 रकवा 0.059 है0, 40/0.021है0, 191व/0.646है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम पुत्र जगन्नाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मंशाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 73 :-

भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 0.215 है0, 387/0.418है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम पुत्र जगन्नाथ, गजोधर पुत्र रधुवर, प्रेमचन्द्र, विजय कुगार, सुशील कुगार, अनिल कुगार, शिवकुगार, सुनील कुगार पुत्रगण अमरनाथ, सालिकराम पुत्र भुइयादीन कमलचन्द्र पुत्र भुइयादीन ग्रागवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठिन विजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता संठ 73 से मृतक कमलचन्द्र के स्थान पर जितेन्द्र कुगार पुत्र कमलचन्द्र व श्रीमती चन्द्रावती पत्नी स्वठ कमलचन्द्र निठ ग्राम का नाम वतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, प्रेमचन्द्र, विजय, सुनील, अनिल, शिवकुमार, मंशाराम, सुशील जितेन्द्र व चन्द्रावती द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 98 :- .

भूमि खसरा संख्या 220 रकवा 0.405 हे0, 438/0.354हे0, 439/0.077हे0, 440/0. 081हे0, 441/0.069हे0, 442/0.077हे0, 503/0.367हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसनेही पुत्र गया प्रसाद, प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिव कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिक राम पुत्र भुइयादीन, जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र गजोधर पुत्र रधुवर मंशाराम पुत्र जगन्नाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, विजय, प्रेमचन्द्र, अनिल, शिवकुमार, सुनील, जितेन्द्र मंशाराम व सुशील द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 114 :--

भूमि खसरा संख्या 119 रकवा 0.276 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में ध्याम सुन्दर, रामनिवास, राजकुमार पुत्रगण रामशंकर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार ध्यामसुन्दर, रामनिवास व राजकुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ११९ :-

भूमि खसरा संख्या 278 रकवा 0.042 है0, 279/0.026है0, 280/0.045है0, 281/0.402है0, 283/0.017है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिववालक, रधुनन्दन पुत्रगण रूस्तम नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिववालक द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 120 :-

भूमि खसरा संख्या 11 रकवा 0.036 हे0, 12/0.057हे0, 13/0.067हे0, 14/0.067हे0, 15/0.053हे0, 16/0.105हे0, 18/0.089हे0, 26/0.048हे0, 27/0.041हे0, 28/0.082हे0, 29/0. 052हे0, 30/0.052हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवलित पुत्र काशी प्रसाद नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नाठतठ विजनीर वाद संठ 167/873/18.08.07 गाटा संठ 12/0.057, 13/0.067, 14/0.067 से शिव ललित पाण्डेय पुत्र स्वठ काशी प्रसाद व द्वितीय



विक्रेता मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र शिवलित पाण्डेय का नाम निरस्त करके श्रीमती विन्देश्वरी यादव पत्नी उमेश चन्द्र यादव नि0 ग्राम 13/6 नेहरू रोड सदर कैण्ट लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार विन्देश्वरी व शिवलित द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 130 :--

भूमि खसरा संख्या 483 रकवा 0.537 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुशील कुमार पुत्र गनेश प्रसाद मु0 कमलादेवी बेवा गनेश प्रसाद रमेश प्रसाद नरेश प्रसाद पुत्रगण रामस्वरूप छोटेलाल पुत्र गया प्रसाद अनन्त कुमार पुत्र शीतला प्रसाद राहुल नावा0 आयु 16 वर्ष पुत्र शीतला प्रसाद सं0 जयदेवी श्रीमती जयदेवी पत्नी शीतला प्रसाद नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुशील, कमलादेवी, रमेश, अनन्त, राहुल नाववा0 संव जयदेवी व श्रीमती जयदेवी पत्नी शीतलाप्रसाद द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या १९ :-

भूमि खसरा संख्या 34 रकवा 0.138 है0, 88/0.017है0, 89/0.025है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार पुत्र छंगालाल, ओमप्रकाश, जय प्रकाश, शिवप्रकाश, चन्द्र प्रकाश पुत्रगण सालिकराम, महेशचन्द्र, दिनेश चन्द्र, उमेशचन्द्र, अरूण कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार पुत्रगण रामचन्द्र निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न0भू०सी० लखनऊ पत्रांक 13/अमलदरामद/न0भू०सी०/०७ दिनांक 07.01.08 के अनुपालन में सं0 1882/21.05.93 वाद सं0 1787 गाटा सं0 260 रकवा 189.70 वर्ग मी० को 1/4 भाग से 34/701.88, 88/84.31, 89/126.46, 92/632.32 के 1/3 भाग से 131भि०/4239.14 वर्गमीटर कुल रकवा 5974.41 वर्गमी० सालिगराम का नाम निरस्त अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज होने के आदेश अकित है। अभिलिखित खातेदार कृष्ण कुमार व किशोर कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सन्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणींत किया जाता है।

खाता संख्या 27 :-

भूमि खसरा संख्या 289 रकवा 0.009 है0, 319/0.009है0. 321/0.095है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में काशी प्रसादपुत्र सूर्यवली, सुनील कुमार, लयकुश अव0 आयु 10 वर्ष युत्रगण नाभीलाल प्रेमा वेवा नामीलाल नरेन्द्र कुमार अव0 आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार अव0 आयु 11 वर्ष पुत्रगण राघेश्याम सं0 मु0 प्रेमा माता व मु0 प्रेमा विघवा राघेश्याम बाबूलाल पुत्र सूर्यबली भागूलाल पुत्र गयादीन छोटेलाल पुत्र रामदास चिरंजूलाल, भाईलाल पुत्रगण बुद्ध रामशंकर पुत्र जंगली मु0 सरस्वती बेवा जंगली नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता सं0 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, बंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि0 ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता सं0 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू रिकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व0 भागूलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोकुल, रामदेवी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६४ :--

भूमि खसरा संख्या 261 रकवा 0.253है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयादीन पुत्र बद्रोप्रसाद, चन्द्र प्रकाश पुत्र बद्रीप्रकाश के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भुइयादीन व चन्द्रप्रकाश द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ७५ :-

भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.049 हे0, 62/0.075हे0, 63/0.051हे0, 64/0.059हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिटाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामचन्द्र पुत्र रामनरायन नि0 धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न0गू०सी0 लखनऊ पत्रांक 13/अमलदरामद/न0भू०सी0/07 दिनांक 07.01.08 के अनुपालन मे सं0 1698/27.03.88 वाद सं0 1752 गाटा सं0 63 रकवा 255.36 वर्ग गी0 राग प्रसाद का नाम निरस्त करके अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज होने के आदेश अकित है। अभिलिखित खातेदार रागचन्द्र हारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८७ :-

भूगि खसरा संख्या 501 रकवा 0.011 हे0, 502/0.013हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकुमारी पत्नी शिव ललित, शीतला प्रसाद, रमेश प्रसाद, नरेश प्रसाद, सुरेश प्रसाद पुत्रगण रामस्वरूप, सुशील कुमार पुत्र गनेश प्रसाद मु० कमला देवी बेवा गनेश प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/02.07.08 खाता 87 से मृतक शीतला प्रसाद के स्थान पर अनन्त कुमार, राहुल पुत्रगण शीतला प्रसाद व श्रीमती जयदेवी पत्नी स्व० शीतला प्रसाद नि० ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश प्रसाद, सुरेश कुमार, सुशील कुमार, गु० कमला देवी, अनन्त कुमार, राहुल ना०वा० सं० जयदेवी व श्रीमती जयदेवी पत्नी शीतलाप्रसाद व राम कुमारी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ९१ :-

भूमि खसरा संख्या 69 रकवा 0.077 है0, 70/0.052है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राननरायन, रामलोटन पुत्रगण कामता, मनोज नावा0 आयु 15 वर्ष गन्टू नावा0 आयु 10 वर्ष पुत्रगण दशरथ सं0 श्रीमती मीरा देवी श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 दशरथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामलोटन व मनोज नावा0 व मन्टू नावा0 सं0 मीरादेवी व मीरादेवी स्वयं द्वारा अपने—अपने हिस्से की ग्री के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 121 🛩

भूमि खसरा संख्या 155 रकवा 0.089 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरिश्चन्द्र, ईश्वरदीन पुत्रगण रामसहाय भगौती पुत्र भगवानदीन, जीतबहादुर पुत्र सत्यनरायन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/21.09.07 खाता 121 से मृतक ईश्वरदीन के स्थान पर राम सजीवन, पवनकुमार पुत्रगण ईश्वदीन व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी रव0 ईश्वरदीन नि0 ग्राम का नाम वतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगौती द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १२९ :-

भूमि खसरा संख्या 60 रकवा 0.097 हे0, 429/0.120हे0, 430/0.021हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उका भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेन्द्र कुमार पुत्र मैकू नीरज नावा0 आयु 15 वर्ष धीरज नावा0 आयु 13 वर्ष सूरज नावा0 आयु 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं0 मु0 रामावती रामावती वेवा वीरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जयेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से

श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेन्द्र, नरेन्द्र, जयेन्द्र व रामावती नाबा० नीरज, सूरज, धीरज नाबालिकगण सं० रामावती व रामावती स्वयं द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शक्थपत्र व स्वाभित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेन्द्र पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम सेंवई व देवामऊ के कितपय खसरा संख्या—मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनऊ।

25.09-11

(147)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०३१०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ। अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 8/2010

1/2010 वाद संख्या बरौलीखलीलाबाद, धुसवलकॅला ग्राम का नाम लखनऊ । परगना तहसील व जिला रोवर्ड अभिनिणीत क्षेत्रफल : 7-0356666656 देवामऊ : 3-0016333313 बरौलीखलीलाबाद: 13-53472285 ध्सवलकला : 5-73714999875 योग : 29.3091728456 क्या जर्भदारी विनाश अधिनियम लागू है नहीं । 5-मुमि अध्याप्ति का प्रयोजन सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना उ०५० आंवास एवं विकास परिषद अधिनियम 17/07/2004 7-की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक 30/9/2006 उ०५० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 8-की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक भूगि अजंन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन 05/12/2007 की दिनांक अधिकार/कब्जा की तिथि 10-07.10.2008 अभिनिर्णय की तिथि 07.04.2011 11-अभिनिर्णय की धनराशि सोवर्ड 12 - 37473367.79 देवामऊ -15987299.45बरौलीखलीलाबाद- 72088640.83 ध्सवलकला -30557208.32- 156106516.39

13- पूंजीकृत मूल्य : 156069.00 14- अध्याप्ति व्यय : 15610651.64

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूगि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुगानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम य खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास

(146)

एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में सिगति गठित की गयी। गठित सिगति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सिग्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निग्निलिखत खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सिम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निग्नवत् है:-

ग्राम सेवई

खाता राख्या ४७ :-

भूगि खरारा संख्या 97 रकवा 0.534 है0, 113/0.043 है0 कुल 0.577हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 52 :--

भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.474 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों में छोटेलाल पुत्र सियाराम, जगदेव, वास देव, रूपदेव पुत्रगण पूर्वीदीन व श्रीमती कैलाशा पत्नी स्व0 पूर्वीदीन नि0 ग्राम व श्रीमती कलावती पत्नी छत्रपाल नि0 नवाब पुरवा गोमती नगर लखनक के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अगिलिखित खातेदार छोटेलाल, वासुदेव, रूपदेव द्वारा अपने—अपने हिरसे की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 56 :-

भूमि खसरा संख्या 38 रकवा 0.624 है0, 217/0.304है0, 303/0.152है0, 307/0. 379है0, 311/0.101है0, 314/0.132है0 कुल 1-692है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जगन्नाथ बद्दी प्रसाद, मेवालाल पुत्रगण परसाद ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल व बद्रीप्रसाद द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में ट0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है।

भूमि खरारा संख्या 147 रकवा 1.135 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ६७ :-राजस्व अभिलेखों में दिनेश यादव, कमलेश यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव पुत्रगण रामपाल यादव नि० धावाहार म०सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दिनेश, कमलेश, संजय, सन्दीप व रंजीत द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

मूमि खसरा संख्या 159 रकबा 0.269 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता राख्या ११४ :-राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि० घावाहार रोवई व राजेश कुमार यादव पुत्र बिहारी लाल नि८ मेन्डुसा सराय बेलदार लालबाग, लखनऊ व प्रेमसागर उर्फ नन्हकऊ पुत्र घूरू प्रसाद यादव नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद संख्या-662/06 गाटा सं० 159/0.269 हे० मा० गु० 60 ख के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि० ग्राम घावाहार म० सेवई का नाम निरस्त करके जनार्दन प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद यादव नि० शारदा नगर निलमथा लखनऊ का नाम सहखातेदार बतौर सं० मू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रेमसागर द्वारा अपने हिस्से की मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.215 हे0, 27/0.114हे0 कुल 0.329हे0 भूमि का अर्जन किया जा खाता संख्या 138 :-रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू रामा देवतादीन पुत्रगण कुले नि० देवामक, भगवान बख्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू ग्रा० वा० राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल नि० घावाहार राम कुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल नि० घावाहार के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं0 929/894/26.06.08 गाटा सं0 17/0.215, 27/0.114हे0 के बकदर भाग से राजेन्द्र कुमार, राम कुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिव दयाल का नाम निरस्त करके एनसिएट टाऊन प्लानर प्राo लिए 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 13.05.09 खाता रां० 138 रो मृतक रामा के स्थान पर गुट्टा कल्लू नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० रामा नि० देवामऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार भगौती द्वारा अपने हिस्से की मूमि के शम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 207 रकबा 0.381 हे0, 290/0.019हे0, 292/0.238हे0, 298/0. खाता संख्या १६४ :-253हैं0 कुल 0.891हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में माता प्रसाद पुत्र नरायन, अमर नाथ पुत्र दयाराम ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/18.11.06 खाता सं0 7, 164 से मृतक अमरनाथ के स्थान पर वासुदेव पुत्र अमरनाथ व श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 अमरनाथ नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार वासुदेव व रामकली द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अमिनिणींत किया जाता है।

खाता संख्या 197 :--

भूमि खसरा संख्या 189 रकवा 0.853 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राघेलाल पुत्र मंगल नि० शाहखेड़ा म० सरसवा श्री केशन पुत्र नीलकंठ नि० धावाहार सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री केशन व राघेलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद रो दर के राग्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणींत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 0.431 है0 व 265/0.028है0 भूमि का अर्जन किया जा खाता संख्या २५६ :--रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लालता प्रसाद, जयहिन्द, जागर पुत्रगण लीला ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार लालता, जयहिन्द व जागर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 112 रकबा 0.152 है0. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ३१८ :-राजस्य अभिलेखों में सालिकराम, शंकर, गनेश, नान्ह्, नन्हकऊ पुत्रमण घूरू, बिटाना विधवा ठाकुर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.01.09 खाता सं० 315, 316, 317 व 318 से मृतक सालिकसम के स्थान पर रामिकशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण

- 4 -

144

सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व0 सालिक राम नि0गण धावाहार म0 सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शंकर, गनेश, नान्हू व नन्हकऊ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्त खाते पर श्री उमेश पुत्र गनेशी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर प्रतिकर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। आपत्ति के निरतारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 13:-

भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.443 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अलीरजा पुत्र लतीफ, पुत्तन, रहमत अली पुत्रगण फज्जू, वशीर पुत्र शमशेर नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अलीरजा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३१:-

भूमि खरारा संख्या 155 रकवा 0.521 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू बेचा, राजकुमार पुत्रगण गुरूदीन श्रीमती कौशल्या पत्नी गुरूदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बेचा, राजकुमार व कौशल्या द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38:-

भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 0.277 है0 मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों में किशुन व सुखई पुत्रगण ख्याम रमेश, प्रकाश पुत्रगण पंचम श्रीमती मीना कुमारी पत्नी पंचम श्रीमती आशा पत्नी शिवराग नि0 100/1 अशोक बिहार, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुखई, रमेश, प्रकाश, भीन व आशा द्वारा अपने—अपने हिररो की भूमि के राम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४९:-

भूमि खरारा संख्या 101 रकवा 0.228 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में वन्द्रिका प्रसाद, शिवलाल पुत्रमण शिव दयाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवलाल द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६९:-

भूमि खसरा संख्या 9 रकवा 0.291 है0, 11/0.266है0, 12/0.354है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अगिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रागदास पुत्रगण लालता, महादेव, रामसागर पुत्रगण रामऔतार, राम सतीश पुत्र लालता नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसागर द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०९० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 190:-

मूमि खसरा संख्या 224 रकबा 0.051 है0, 225/0.049है0, 232/0.051है0, 237/0. 059है0, 239/0.081है0 मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, राकेश पुत्रगण चतुरी दुर्गेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, मीनां कुमारी बेवा ओम प्रकाश, राजेश कुमार पुत्र गुरूदीन निट ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 216:-

भूगि खसरा संख्या 266 रकबा 0.383 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगुलाम, रामपाल, रामसागर पुत्रगण बैजनाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामगुलाम, रामपाल व रामसागर द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 239:-

भूमि खसरा संख्या 39 रकबा 0.162 है0, 41/0.228है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामपाल पुत्र बैजनाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामपाल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 31 रकबा 0.152 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ३३९:-राजस्व अभिलेखों में श्रीराम पुत्र मेड़ीलाल, धनवती पुत्री शीतला पत्नी मेड़ीलाल निo ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीराम व घनवती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खाते पर श्री जावेद इकबाल द्वारा आपिता प्रस्तुत की गयी है। आपिता निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

देवागक

खाता संख्या 2:-

मूमि खसरा संख्या 133 रकवा 0.274 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में अविनाश चन्द्र पुत्र मातादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अविनाश चन्द्र द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 13:-

भूमि खसरा संख्या 125 रकवा 0.556 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र भोगनाथ व हनोगान प्रसाद पुत्र मेड़ीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1390 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हनोमान द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23:-

भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 0.230 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हा पुत्र मेजू नि0 ग्राम यासीन पुत्र रमजान व सब्बीर अली मुजीम अली वा0 मो0 पतेल अली पुत्रगण अशरफ अली नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिशर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सब्बीर, मुजीम अली, पतेल अली व यासीन द्वारा अपने—अपने हिस्रों की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या/रकबे पर अपने हिस्से के सम्बन्ध मे शायराबानों पुत्री वशीर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

भूमि खसरा संख्या 238स रकवा 0.063 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या २४:-राजस्व अभिलेखों में नौमीलाल पुत्र जोधा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में अ देशानुसार उपजिलाधिकारी, सदर, लखनक वाद सं0 188/06-0 02.08.07 घारा 166/167 गाटा सं0 12/2/0-131 भूमि पर से विकेता खातेदार नौगीलाल पुत्र जोधा का नाग निरस्त करके भूगि सभी भार बन्धन से मुक्त होकर विकय के दिनांक से राज्य सरकार में निहित की जाती है। अभिलिखित खातेदार नौमीलाल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 165 रकबा 0.278 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ३२:-राजस्व अभिलेखों में बसन्त कुमार पुत्र मातादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बसन्त कुमार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 0.680 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ४७:-राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन समबन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 21.08.07 खाता सं० 47, 48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राममिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रधुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प0क0/03.07.08 खाता सं0 47 व 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व0 नौमीलाल नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार विनोद कुमार व रामनरेश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 0.291 हे० व 162/0.360हे० कुल 0.651हे० भूमि का खाता संख्या 51:-अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में गातादीन पुत्र खेम्मन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1382 से श्रेणी 1 क राक्रमणीय गूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन समबन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 02.07.08 खाता सं० 51 से मृतक मातादीन के स्थान पर हेमन्त कुमार, अमित कुमार पुत्रगण कैलाश व श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 कैलाश व सर्तीश चन्द्र बसन्त कुमार अविनाश चन्द्र पुत्रगण मातादीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हेमन्त कुभार, अगित कुमार, भीरादेवी, सतीश चन्द्र, बसन्त कुमार व अविनाश द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा रांख्या 138 रकबा 0.610 हे0 व 229/0.058हे0 कुल 0.668हे0 भूमि का खाता संख्या ५५:-अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रघुवीर, रामखेलावन, रामस्वरूप, रामदुलारे, अशोक कुगार पुत्रगण मोल्हे व शिवशंकर रागरोवक पुत्रगण नौमीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसेवक द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 173 रकबा 0.413 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ६०:-राजस्व अभिलेखों में राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 170 रकबा 0.225 हे0 व 203/0.187हे0 कुल 0.412हे0 भूमि का खाता संख्या 73:-अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामस्वरूप, रामेश्वर पुत्रमण सकदू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1377 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामस्वरूप द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 0.038 है0, 209/0.025है0 व 242/0.114है0 कुल 0. राता संख्या 78:-177है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वारिस पुत्र जुम्मन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार वारिस हारा अजित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध क आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

17

भूमि खसरा संख्या 146 रकबा 0.039 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ८४:-राजस्व अभिलेखों में शम्भू पुत्र मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन समबन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/16.11.07 खाता रांठ 84 से मृतक शम्यू के स्थान पर सुशील कुमार पुत्र शम्यू निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुशील कुमार द्वारा अर्जित भूभि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खरारा संख्या 104 रकबा 0.250 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या १०१:--राजरव अगिलेखों में श्रीमती सोनापती पत्नी भाईलाल, चन्द्रिका पुत्र धनी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 206 रकवा 0.057 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाना संख्या 102:-राजस्व अभिलेखों में श्रीराम, सीताराम पुत्रगण रामचरन व वंशीलाल पुत्र नन्दा व बराती लाल, मातादीन पुत्रगण खेम्मन व मु0 जगदेई बेवा सुखलाल व चन्द्रपाल, रामपाल, विद्यासागर पुत्रगण भोगई नि0 ग्राम व तिलक चन्द्र, प्रेमचन्द्र अजय पुत्रगण श्रीपाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1314 व 1418 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन समबन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क / १४.०२.०९ खाता सं० १०२ से मृतक मातादीन के स्थान पर हेमन्त कुमार, अमित कुमार पुत्रगण कैलाश व श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व० कैलाश व सतीश चन्द्र, बसन्त कुमार, अविनाश चन्द्र पुत्रगण मातादीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगदेई, हेमन्तकुमार, अमित कुमार, मीरादेवी, सतीश चन्द्र, बसन्त कुमार, अविनाश, चन्द्रपाल, श्रीराम व सीताराम द्वारा अपने—अपने हिरसे की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 105:-

भूमि खसरा रांख्या 168 रकबा 0.678 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सियाराग पुत्र जागेश्वर प्रसाद व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर व अनिल कुमार पुत्र



शत्रीहन व श्रीमती परमेश्वरी पत्नी गंगाप्रसाद शिवपाल, गनेश प्रसाद, कुंवर बहादुर, मनोहर लाल पुत्रगण किशुन व ताराचन्द्र पुत्र किशुन सुखरानी पत्नी स्व० किशुन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अकित है। आदेश एवं परिवर्तन समबन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 432/19.06.07 माटा सं० 3/0.089, 22/0.399 के बकदर भाग व खाता सं० 106 की गाटा सं० 16/0.117 के सम्पूर्ण भाग से सियाराम पुत्र जागेश्वर व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर व अनिलकुगार पुत्र शत्रोहन का नाम निरस्त करके वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र रामिकशन वर्मा नि० एल० 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा नगर लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा नगर लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अकित करने के आदेश दर्ज है। आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/29.03.10 खाता सं० 105, 107 पर मृतक सुखरानी के स्थान पर शिवपाल, गनेश प्रसाद, कुंवर बहादुर, मनोहरलाल, तात्राचन्द्र पुत्रगण किशुन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेरार शिवपाल, गनेशप्रसाद, कुंवर बहादुर, गनोहरलाल, कालिका व अनिल कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 1613 रकवा 0.316 है0 व 1617अ/0.006 कुल 0.322है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण शीतला प्रसाद श्रीमती उर्मिला देवी बेवा शीतला प्रसाद ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद पुत्रगण गुरू प्रसाद नि0 ग्राम के माम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद व प्रमोद कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४४ :-

भूमि खसरा संख्या 1890/0.783है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्ला राम नरेश पुत्र जगदेव रामदास पुत्र धना सत्रोहनलाल पुत्र धना श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू पुत्र डोरी श्रीमती सुन्दारा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई सुरेन्द्र कुमार पुत्र धसीटे नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगदीश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद रो दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

136

खाता संख्या ४६ :-

भूमि खसरा संख्या 1768 रकवा 0.278 हेo 1778/0.063हेo, 1781/0.051हेo, 1774/o. 056हें0, 1776 / 0.051हें0, 1782 / 2 / 0.266हें0, 1779 / 0.101हें0 कुल 0.866हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, रांतराम पुत्रमण जम्मू सरजू देई भगवान देई रूपरानी पुत्रीगण लालादास शिव देवी पत्नी सत्य नरायन नि० घोघन खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० त० बिजनौर द्वारा प० क० 11 क 23/03.06.09 खा० रां० 25 पर दर्ज भगवानदीन पुत्र चेतराम के स्थान पर शुद्ध नाम श्रीमती भगवानदेई पत्नी चेतराम दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.07.09 खाता सं० 25, 26 पर मृतक भगवान देइ के स्थान पर श्रीमती उषा पत्नी नन्हे पुत्री वेतराग नि० यदक्तस्य का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क ५.१०.०९ खाता सं० २५, २६ पर मृतक केदार के स्थान पर फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल, पुत्रगण केदार व श्रीमती रामप्यारी पत्नी केदार नि० धोधनखेडा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल, रामप्यारी, सन्तराम, सरजूदेई, उषादेई, रूपरानी व शिवदेवी द्वारा अपने-अपने हिरसे की गूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

भूगि खरारा संख्या 1606/1 रकवा 0.262 है0, 1606/2/0.262है0, 1641/0.569है0 खाता संख्या ८९ :-भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीता रावत पत्नी रामखेलावन छेदा पुत्र रामनाथ नि० ग्राम विनोद पुत्र रामनाथ नि० ग्राम श्रीमती शिवराजा पत्नी रामनाथ परसादी पुत्र दुर्ग सुदामा पुत्र शीतल सन्तराम, सुखलाल व हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरीदास, सोहनलाल पुत्र शीराल नि० ग्राम के नाग पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अमिलिखित खातेदार गीता रावत, सुदामा, हनोमान, शिवकुगार, सोहनलाल व परसादी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के राग्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है।

भूभि खसरा संख्या 1921रा रकवा 0.759 हे0, भूगि का अर्जन कियां जा रहा है। उक्त खाता संख्या १९४ :-भूगि राजस्व अभिलेखों में रघुवर पुत्र तुला ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1370 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर हारा प०क० 11क / 05.04.10 खाता सं० 166 से गृतक रागप्रसाद के स्थान पर जयकरन पुत्र राम प्रसाद व कुं0 रानी नाठबाठ 16 वर्ष राठ गाई जयकरन पुत्री रागप्रसाद दर्ज हों। मृतक लल्लू के स्थान पर मोपी पुत्र लल्लू व गोविन्द रामू श्यामू, पंकज आयु क्रमशः 17, 11, 11, 6 वर्ष व मोनी, सरोजनी ना०बा० 13, 8 वर्ष संव रामजानकी पुत्री लल्लू व श्रीमती रामजानकी पत्नी लल्लू बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोपी, रामजानकी व जयकरन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रव आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

साता संस्था २९२ -

भूमि खसरा संख्या 1914/4 रकवा 1.265 है0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में मेवारी पुत्र समाजीत नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अगिलिखित खातेदार मेवाती द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता रांख्या १७९ :-

भूमि खसरा संख्या 1718/2 रकबा 0.039 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पंचम पुत्र गंगादीन औसान पुत्र मोहन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार पंचम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२९ :-

भूमि खसरा संख्या 1637 रकवा 0.038 हे0, 1639/0.013हे0, 1635/0.050हे0, 1636/0.

114हे0, 1625/0.161हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती पुत्र सातई कु0 संजू ना0 आ0 11 वर्ष पुत्र खिलाडी सं0 कालिका (नाना) स्वयं छेदा, विनोद पुत्रगण रामनाथ, शिवराजा बेवा रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा, सोहनलाल पुत्रगण शीतल, सन्तराम, सुखलाल, हनोमान पुत्रगण पितम्बर, विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरीदारा नि0 ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क 31/08.09.04 द्वारा खाता सं0 229 व 511 पर मृतक सुखलाल पुत्र पितम्बर के स्थान पर श्यामलाल, राममिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रधुराई पत्नी स्व0 सुखलाल नि0 ग्रा० का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन, सोहनलाल, संजू सुदामा, हनोमान, शिवकुमार, परसादी व संतराम द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर शिभिनिर्णीत किया जाता है।



भूमि खसरा संख्या 1646 रकवा 0.063 हे0, 1647 / 0.189हे0 कुल 0.252हे0 भूमि का खाता संख्या २४1 :--अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्य अगिलेखों में भुद्धमांदीन, रामनिरंजन, भगौती प्रसाद पुत्रमण किशुन शम्यू बाबूलाल पुत्रमण जवाहिर बाबू मतऊ बुद्धू पुत्रमण छवीले नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० महोदय जरिए ५०क० ११क कमांक २५/१७.०६.०४ छारा खाता रां० २४१ से मृतक बुद्ध पुत्र छिबले के स्थान पर तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क कमांक 29/24.08.04 द्वारा खाता सं0 241 से मृतक बाबू पुत्र छिबले के स्थान पर मतऊ पुत्र छबीले व शम्भू व बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर व तुलसी पुत्र बुद्धू व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्धू का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मतऊ व शम्भू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ८प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1664 रकबा 0.076 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या ३०८ :-राजस्व अभिलेखों में मुकेश कुगार पुत्र गंगल नि० मुराईन खेड़ा म० मदरूख के नाग पूर्व सन् फराली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मुकेश कुमार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खरारा रांख्या 1836/4 रकवा 0.267 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त सीता संस्था 313 भूगि राजरव अभिलेखों में मेवालाल व राजू पुत्रमण परीदीन के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क राक्रमणीय मूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल हारा अपने हिस्से की मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1914/1 रकबा 0.253 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त खाता संख्या 315:-भूमि राजस्व अभिलेखों में योगेन्द्र नाथ पुत्र समाजीत नि० पिपरी खेड़ा मजरा ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1403 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय गूगिघर अंकित है। अगिलिखित खातेदार योगेन्द्र नाथ द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गर्ये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४1 :-

भूमि खसरा संख्या 1622 रकबा 0.013 है0, 1623/0.417है0 कुल 0.430है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उकत भूमि राजस्य अगिलेखों में रमेश चन्द्र पुत्र बुद्धू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1363 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४३ :-

भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकबा 1.005 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन, रामकुमार, जंगबहादुर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण जग्गू नि0 धोधन खेड़ा म0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामलखन व जंगबहादुर द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७२ :-

भूगि खरारा राख्या 1612 रकवा 0.203 हे0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में राजनरायन, जगत नरायन पुत्रगण जगदीश, श्रीमती सुमन देवी पत्नी तेज नरायन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ नि0 बिजनौर द्वारा पठकठ 11क 19.08.06 खाता संठ 324, 372 से मृतक राज नरायन के स्थान पर आशीष कुमार, आनन्द कुमार, सतीश कुमार पुत्रगण राजनरायन व श्रीमती नीलम देवी पत्नी स्वठ राजनरायन नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगत नरायन, आशीष कुमार, आनन्द कुमार, सतीश कुमार व नीलम देवी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४५१:-

भूमि खरारा संख्या 1580/1मि० रकबा 0.008 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे शीतल पुत्र नत्था नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शीतल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में



8090 आवास एवं विकास परिषद सो दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४८८:-

भूमि खसरा संख्या 1914/2िन० रकबा 1.265 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। एका भूमि राजस्व अभिलेखों में रामाजीत तिवारी पुत्र ठाकुर प्रसाद तिवारी नि० पिपरी खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1374 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अमिलिखित खातेदार समाजीत द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५१३:-

भूगि खरारा राख्या 1915 रकवा 0.152 है0, 1916/0.430हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे हीरालाल पुत्र ओरीलाल नि0 विरूरा के नाम पूर्व सन् फसली 1399 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हीरालाल द्वारा अर्जित मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 522:-

भूमि खसर। राख्या 1799/4िग० रक्तवा 0.253 है0, 1854/1िम०/0.500है0, 1886/4िम०/0.512हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरीशंकर, योगेन्द्र नरायन व भूपेन्द्र नरायन पुत्रगण समाजीत तिवारी नि० पिपरी खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरीशंकर, योगेन्द्र नाथ व भूपेन्द्र नरायन द्वारा अपने—अपने हिरसे की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता राख्या २७ :-

भूमि खसरा संख्या 1601/1 रकवा 0.190 है0 व 1662/1मि0/0.126है0 कुल 0.316है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में औसान पुत्र शीतल, रामलोटन, रामू पुत्रमण लिएमन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामू व औसान द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या ४० :-

भूगि खरारा संख्या 1914/2 रकबा 0.379 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूभि राजस्व अभिलेखों में कन्धई व बसंत पुत्रगण जैराम, नन्द किशोर पुत्र टन्नू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1367 रो श्रेणी 1 क रांक्रगणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों कन्धई, बरान्तलाल व नन्दिकशोर द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सन्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 65 :-

भूमि खसरा संख्या 1922 रकबा 0.159 हे0, 1923/0.182हे0, 1924/0.253हे0 कुल 0.594हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में गौरी शंकर पुत्र कुशहर, नौगीलाल, रागकुमार, सालिकराग, गंगाराग, हरीलाल, रागचन्द्र, रामसनेही पुत्रगण सीताराग, श्रीमती रामपियारी बेवा सीताराम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ८३ :-

भूमि खरारा संख्या 1654 रकबा 0.149 हे0. 1655/0.253हे0 कुल 0.402हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में गुरूदेव पुत्र इन्द्रपाल, रामकरन पुत्र जगमोहन युद्वोश पुत्र ओग प्रकाश, वीरेन्द्र शिंह पुत्र बाबूलाल भोगनाथ पुत्र पितम्बर नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1362 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय गूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार इन्द्रपाल, बाबूलाल, जगमोहन व ओमप्रकाश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८९-

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकबा 0.262 है0, 1606/2 रकबा 0.262 है0, 1641/0.569है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे श्रीमती गीता रावत पत्नो राम खेलावन, छेदा पुत्र राम नाथ नि० ग्राम, विनोद पुत्र राम नाथ, श्रीमती शिवराजा पत्नी रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा, सुदामा पुत्र शीतल, सन्तराम पुत्र पितम्बर, सुखलाल पुत्र पितम्बर, हनोमान पुत्र पितम्बर विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरदीन, सोहनलाल पुत्र शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूनिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११७ / २७.०३.० खाता रां० ८९ से मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम मिलन पुत्रमण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र०



आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

शासा संस्था १४२

भूमि खरारा संख्या 1656 रकबा 0.948 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों मे दिलीप रिंह, गंगा रिंह पुत्रमण कुंवर रिंह नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं0 40/85/1/91/08/18.03.10 खाता सं0 84. 91. 94 व 115 से मृतक खातेदार दिलीप सिंह पुत्र कुँवर सिंह नि0 तेलीबाम का नाम निरस्त करके श्रीमती राधा पुत्री स्व0 दिलीप सिंह पत्नी गमवान सिंह व श्रीमती कान्ता पुत्री स्व0 दिलीप सिंह पत्नी नैना सिंह नि0 खतीगाँव जनपद पिथौरामढ़ उत्तरांचल का नाम जरिये उत्तराधिकार अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कान्ता व श्रीमती राधा द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रट आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 227-

मूमि खसरा संख्या 1605 रकवा 0.069है0, 1610/0.096है0 मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बलराम, रामफेर पुत्र धनीराम नि0 मठनखेड़ा म0 गौरा तह0 मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में 1410 फ0 आदेशानुसार श्रीमान सह0 (न्यायिक) लखनऊ वाद सं0 402/07. 04.03 द्वारा गाटा सं0 1653/0.322 लगान 60 ख से बलराम व रामफेर प्रत्रगण स्व0 धनीराम का नाम निरस्त करके नरेन्द्र कुमार रावत व राजन कुमार रावत पुत्रगण मुरूचरन लाल रावत नि0ग्राम का नाम सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नरेन्द्र व राजन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 229-

भूमि खसरा संख्या 1637 रकबा 0.038 है0, 1639/0.013है0, 1635/0.050है0, 1636/0.114है0, 1625/0.161है0 कुल 0.376है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती पुत्र सतई कु0 संजू ना0 आ0 11 वर्ष पुत्री खिलाड़ी सं0 कालिका (नाना) स्वयं छेदा, विनोद पुत्रगण रामनाथ शिवराजा बेवा रामनाथ परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा, सोहनलाल पुत्रगण शीतल

सन्तराम सुखलाल हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरीदास नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 08.09.04 खाता सं० 229 व 511 पर मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम मिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल व बराती द्वारा अपने—अपने हिररो की भूगि के राम्बन्ध में उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २४९ :-

भूगि खरारा संख्या 1913/2 रकवा 0.759 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में भरोसे, राजेश पुत्रगण छेदा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भरोसे व राजेश द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 241-

भूगि खरारा रांख्या 1646 रकबा 0.063हे0, 1647/0.189हे0 कुल 0.252हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयाँदीन, राम निरंजन, भगौती प्रसाद पुत्रगण किशुन, शम्भू बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर बाबू मतऊ बुद्धू पुत्रगण छबीले नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क कमांक 25/17.06.04 खाता सं० 241 से मृतक बुद्धू पुत्र छबीले के स्थान पर तुलसी पुत्र बुद्धू व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्धू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क कमांक 29/24.08.04 द्वारा खाता सं० 241 से मृतक बाबू पुत्र छबीले के स्थान पर मतऊ पुत्र छबीले व शम्भू व बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर व तुलसी पुत्र बुद्धू व श्रीमती कुमारी पत्नी स्व० बुद्धू व श्रीमती कुमारी पत्नी स्व० बुद्धू का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक भुइयादीन के स्थान पर हरिवंश लाल व लक्ष्मीकान्त व धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण रव० मुद्द्यादीन व श्रीमती रामरानी पत्नी स्व० मुद्द्यादीन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिवंश, लक्ष्मीकान्त धर्मेन्द्र व रामरानी द्वारा अपने—अपने हिरसे की भूमि के राम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४४०:-

भूमि खरारा राख्या 1750 रकवा 0.253 है। भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उका भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवशंकर पुत्र गुलजारी निए धौरहा कोठी, उरमानपुर जिला बाराबंकी, विजयपुर पुत्र



पन्ना लाल नि० उक्त, लालता प्रसाद, राजू, गुड्डू पुत्रगण गुरू प्रसाद नि० ग्राम श्रीमती कान्ती देवी बेवा मैय्यालाल नि0 ग्राम मुनेश्वर पुत्र गुलजारी लाल श्रीमती यशोदा देवी पत्नी फूलचन्द्र कुलदीप ना०बा० आयु 14 वर्ष सं0 फूलमती पुत्र रागकुमार संजय नाठबाठ आयु 12 वर्ष सं0 फूलमती पुत्र रामकुमार शिवशंकर पुत्र गुलजारी लाल नि0 ग्राम के नाग पूर्व रान् फराली 1412 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान नाठतठ बिजनौर वाद संठ 5/2/734, 23. 04.04 द्वारा गाटा सं0 585 / 0.063, 600 / 0.025, 602 / 0.190, 1012 / 0.051, 1750 / 0.253, 744 / 2 / 0. 233, 911/0.068है0 लगान 36-50 बक्दर भाग मृत्यु वसीयत कर्ता फूलचन्द्र पुत्र बचनू व उनकी विधवा अंकित खाते दातिल श्रीगती यशोदा देवी विधवा फूलचन्द्र का नाम निरस्त करके वसीयत प्राप्तकर्ता श्रीमती सुरजरानी पत्नी अयोध्या प्रसाद व श्रीमती विजय पत्नी राकेश कुमार नि० ग्राम नं० 50/220 नौहाड़ा कानपुर का नाम सहस्थातेदार रांठ भूठ द्वारा वसीयत दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० नगर वाद सं० 18/22.11.06 गाटा सं० 1750/0.253 के बकदर शिवशंकर पुत्र गुल्जारी लाल व मुनेश्वर पुत्र गुलजारी व वलदियत मुख्तार आम श्रीमती कान्ती देवी बेवा भैयालाल व कुलदीप व संजय ना०वा० पुत्र रामकुमार द्वारा सं० माता स्वयं श्रीमती फूलमती पत्नी रामकुमार व शिवशंकर पुत्र गुलजारी लाल का नाम निरस्त करके श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी रामायण प्रसाद नि० बरौली खलीलाबाद का नाम सहखातेदार द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार अनीता द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४५४ :-

भूमि खसरा संख्या 1920/2 रकबा 0.202 हे0, 1925/0.152हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीपाल पुत्र देढ़े ि 10 विरूरा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीपाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४६३ :-

भूगि खरारा रांख्या 1616 रकवा 0.045 हे0, 1642/0.163हे0, 1709/0.291हे0, 1726/0.051हे0, 1743/0.430हे0 कुल 0.980हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सुनीता पत्नी राम चन्दर, श्रीमती नन्हकई पत्नी फूलचन्द्र नि0 नबाव पुरवा, लखनऊ राजकुमारी अव0 12 वर्ष सं0 पिता स्वयं पुत्री रामनरेश नि0 सेंवई सतनाम अव0 10 वर्ष सं0 पिता स्वयं पुत्र मतऊ नि0 मझगवाँ मातादीन पुत्र शिवरतन नि0 सरसवाँ छंगालाल पुत्र, राम भरोसे, भगौती गरीबे पुत्रगण जियालाल लंकेश्वर, रामऔतार पुत्रगण मैकू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क रांक्रगणीय गूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन राम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि0 बिजनौर हारा प0क0 11क /21.06.05 खाता सं0 463 व 465 से मृतक श्रीमती नन्हकई के स्थान पर मोनू

नाठनाठ आयु 10 वर्ष पुत्र फूलचन्द्र संठ पिता स्वंय नि० ननाव पुर्वा लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार राठ नि० बिजनौर द्वारा पठक० 11क /26.12.08 खाता संठ 46, 301, 302 से मृतक लंकेश्वर के स्थान पर छंगा व गुड्डू व महेश बाठ व कमलेश व नाठनाठ आयु वर्ष संठ श्रीमती परवाता माता स्वंय पुत्रगण लंकेश्वर व श्रीमती परवाता पत्नी स्वंठ लकेंश्वर नि० ग्राम व मृतक भगौती के स्थान पर संजय कुमार व हरिओम व कल्लू पुत्रगण भगौती नि० हुसैनगंज लखनऊ का नाग बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार परवाता, गुड्डू, महेश व रातनाग द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जाता है।

खासा रांख्या ४६७:-

मूमि खरारा संख्या 1893 रकवा 0.144 हे0, 1896/0.040हे0, 1902/0.213हे0, 1851/0. 040章0, 1852/0.167章0, 1874/0.063章0, 1875/0.063章0, 1876/0.313章0, 1877/0.051章0, 1878/0.126、1879/0.038その、1880/0.013その、1881/0.025その、1882/0.013その、1883/0.025その。 1884 / 0.038 है 0. 1885 / 0.038 है 0.1918 मि 0 / 0.038 है 0. 1919 / 0.215 है 0 कुल 1.663 है 0 मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सूबेदार व श्रीकेसन, शंकरलाल, राघेलाल, सत्यनरायन पुत्रगण राग प्रसाद व जमुना प्रसाद पुत्र रामजियावन नि० संस्थुवा प० त० मोहनलालगंज, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फराली 1360 रो श्रेणी 1 क रांक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज़ाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /29.01.10 खाता सं० 259 व 260 से मृतक शंकरलाल के स्थान पर आशीष कुमार, अजीत कुमार अव० आयु कमशः 10, 5 वर्ष सं० श्रीमती कमला देवी माता स्वयं पुत्रगण कु० ज्योति आयु ८ वर्ष सं० श्रीमती कमलादेवी माता स्वयं पुत्री शंकर लाल व श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व0 शंकरलाल नि0 सरथुवा का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक श्री केशन के स्थान पर चन्द्रशेखर, मनोज बृजमोहन (ना०बा०) सं० कमला (माँ) पुत्र केशन व श्रीमती कमला पत्नी स्व० केशन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक जमुना प्रसाद के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र जमुना प्रसाद, दुर्गेश कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार (ना०बा०) आयु कमशः 12, 10, 5 सं० सुबैदा (माँ) पुत्रगण जमुना प्रसाद व श्रीमती सुबैदा पत्नी २व० जगुना प्रसाद का नाग बतौर वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। अभिनिखित खातेदार राघेलाल, कमलादेवी, सूबेदार, सत्यनरायन, चन्द्रशेखर, बृजमोहन(ना०बा०) व कमलादेवी, अनिल व दुर्गेशकुगार, गनीष कुगार, संजीव कुगार सं० सुवैदा (गाता) व श्रीमती सुवैदा द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४६८ :-

गूगि खरारा राख्या 1840/4 रचना 0.013हे0, 1845/0.009हे0, 1886/4/0.050हे0, 1892/4/0.076हे0 कुल 0.148हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में

127



सूबेदार, श्रीकेसन, शंकरलाल, राघेलाल, सत्यनरायन पुत्रगण राम प्रसाद नि० संरथुवा प० व त० मोहनलालगंज, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1367 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार मृतक श्रीकेसन के स्थान पर चन्द्रशेखर, मनोज, बृजमोहन (ना०बा०) सं० कमला(माँ) पुत्र केसन व श्रीमती कमला पत्नी रव० केशन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार गृतक शंकरलाल के स्थान पर आशीष कुमार, अजीत कुमार, ज्योति नावबाव आयु कमशः १०, ५, ८ वर्ष संव कमलादेवी व श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्वव शंकर लाल का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सूबेदार, चन्द्रशेखर, सत्धनरायन, बृजमोहन ना०बा० सं० कमला (माता) व कमला तथा आशीष कुमार, अजीत कुमार, कु० ज्योति ना०बा० सं० कमला (माता) व कमला तथा राधेलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में ५०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

मूगि खरारा संख्या 1836/2गि० रकवा 0.044 है0, मूगि का अर्जन किया जा रहा है। खाता राख्या ५०६ :--उक्ता भूगि राजरव अभिलेखों में राकटू पुत्र गुरू बख्श. भरोरो पुत्र डोरी, रागरवरूप पुत्र खेगई बेचालाल व ओगप्रकाश पुत्रगण सन्तू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भरोसे पुत्र डोरी द्वारा अपने हिस्से की मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 515 :-

भूमि खसरा संख्या 1607 रकवा 0.787 हे0, 1608/0.116हे0 कुल 0.903हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरीशंकर, कृष्णशंकर पुत्रगण रामलाल, कृपाशंकर पुत्र बाबूराम, ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद पुत्रगण गुरू प्रसाद नि० ग्राम लाल सिंह नेगी पुत्र दूला सिंह नेगी श्रीमती भवानी नेगी पुत्री लाल सिंह नेगी, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण शीतला प्रसाद श्रीमती उर्भिला देवी बेवा शीतला प्रसाद नि० शान्ती नगर म० बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० 11क /11.08.05 खाता रां० 516 व 515 से मृतक कृपाशंकर के स्थान पर अशोक कुमार, कृष्ण कुमार पुत्रगण, रामशंकर व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व० रामशंकर व राजेन्द्र कुमार पुत्र गोबिन्द शंकर व श्रीमती रामलली पत्नी रव० गोबिन्द शंकर व सन्तोष कुमार, देवेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार पुत्रगण उमाशंकर व श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व० उमाशंकर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरीशंकर, कृष्णशंकर, ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद, प्रमोद कुमार, उर्गिला व अशोक कुमार हारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूगि खसरा संख्या 506स रकवा 0.003 हे०, 391/0.082हे०, 409/0.200हे०, 444/2. खाता संख्या १४ :-187章0. 446 / 0.018章0. 447 / 1.197章0. 456 / 0.202章0. 457 / 0.010章0. 459 / 0.039章0. 464 / 0. 101रें0, 465 / 0.068रें0, 484 / 0.371रें0 कुल 4.481रें0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अगिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा, राममिलन, कौशल किशोर, लल्लन पुत्रमण मैकूलाल, रामऔतार पुत्र त्रिलोकी रामनरेश पुत्र रामचरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 15:-

भूमि खसरा संख्या 331 रकबा 0.347 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों मे ओग प्रकाश पुत्र महावीर नि० भद्दीखेडा तह० मोहनलालगंज, रामभिलन, रामसुमेर, अर्जुन, हरिश्चन्द्र पुत्रगण श्रीराम नि० लिछमन पुरवा म० कबीरपुर तह० मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 274/16.12.07 गाटा सं0 331/0.347 मे से यथोचित भाग रो ओग प्रकाश पुत्र महावीर का नाम निरस्त करके श्रीमती कान्ती पत्नी विश्राम कुमार नि० भुईयन कापुरवा म0 हसनपुर खेवली का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित किया जाये खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन, रामसुमेर व अर्जुन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के राम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 20-

भूमि खरारा संख्या 106 रकवा 0.349 हे0, 352मि०/0.076हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्य अभिलेखों में कृष्ण कुमार, रामजीत, हरिश्चन्द्र पुत्रगण मुझ्य्यादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिशचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७-गूमि खसरा संख्या २८९ रकवा ०.००९ हे०, ३१९/०.००९हे०, ३२१/०.०९५हे० गूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र सूर्यवली, सुनील कुमार, लवकुश अव0 आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल प्रेमा बेवा, नौमीलाल नरेन्द्र कुमार अव0 आयु 13 वर्ष, वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राघेश्याम सं0 मु0 प्रेमा माता मु0 प्रेमा विधवा र घेश्याम बाबूलाल पुत्र सूर्यवली मागूलाल पुत्र गयादीन छोटेलाल पुत्र रामदास चिरंजूलाल माईलाल पुत्रगण बुद्ध रामशंकर पुत्र जंगली मु0 सरस्वती बेवा जंगली नि0 ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0 क 11क/15.06.07 खाता रां0 27, 32, 33, 34, 94, 133 से गृतक छोटेलाल के रथान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, बंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश ऑकित है। पुनः आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता सं0 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल बबलू रिंकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व0 भागूलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव, वंशीलाल, मुरारी, सुनील, व लवकुश ना0बा0 सं0 प्रेमा व प्रेमा, रामशंकर, सरस्वती, बबलू, काशीप्रसाद, बाबूलाल, चिरंजू व माईलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ३३-

मूगि खसरा संख्या 228 रकबा 0.076 है0, 229/0.076है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र रामदास नि० ग्रा० वा० रामशंकर पुत्र जंगली मु० सरस्वती बेवा जंगली नि० ग्राम चिरंजूलाल, भाईलाल पुत्रगण बुद्ध अनुरूद्ध पुत्र रामऔतार बाबादीन पुत्र किलेका नि० ग्रामवासी रामआसरे पुत्र पल्टू रामजानकी बेवा पल्टू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 33, 60 से मृतक बाबादीन के स्थान पर कृपाशंकर, पुरूषोत्तमलाल पुत्रगण बाबादीन नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/02.07.08 खाता सं० 33 से मृतक रामजानकी के स्थान पर रामआसरे पुत्र पल्टू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भाईलाल, चिरंजू, पुरूषोत्तम, रामशंकर, सरस्वती, कृपाशंकर, मुरारी, प्रकाश, सुखदेव व वंशीलाल द्वारा अपने—अपने हिरसे की गूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४-

भूगि खरारा रांख्या 286 रक्ता 0.044 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों मे छोटेलाल पुत्र रामदास, रामशंकर पुत्र जंगली मु0 सरस्वती बेवा जंगली चिरंजू लाल

(123)

माईलाल पुत्रगण बुद्ध् अनुरूद्ध पुत्र रामऔतार नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार रा0नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, बंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार चिंरजू, भाईलाल, रामशंकर, सरस्वती, ग्रारी, सुखदेव, प्रकाश व वंशीलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३६-

भूगि खरारा संख्या 325 रकना 0.274 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्ता भूगि राजरव अगिलेखों में जंगवहादुर पुत्र लिएमन ग्रागवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1377 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार जंगवहादुर द्वारा अर्जित भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 76-

भूगि खरारा रांख्या 72 रकवा 0.052 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिठाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामसागर, गंगासागर पुत्रगण श्रीराम नि0 ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 विजनौर द्वारा प0 क 11क/02.07.08 खाता सं0 76 से मृतक रामसागर के स्थान पर विनोद कुमार नावा0 आयु 13 वर्ष सं0 श्रीमती सरिता माँ पुत्र रामसागर व श्रीमती सरिता पत्नी स्व0 रामसागर नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गंगासागर व विनोद कुमार नाठबाठ संठ श्रीमती सरीता व श्रीमती सरिता द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ९१-

भूमि खसरा संख्या 69 रकबा 0.077 है0, 70/0.052है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उका भूमि राजस्व अभिलेखों मे रामनरायन, रामलोटन पुत्रमण कामता, मनोज नाबाо 15 वर्ष, मन्टू नाबाо आयु 10 वर्ष पुत्रमण दशस्थ सं० श्रीमती मीरादेवी नि० ग्राम श्रीमती मीरा देवी पत्नी दशस्थ नि० ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1372 रो श्रेणी 1 क रांक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातोदार रामनरायन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार भर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। खाता संख्या 112-

भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.572 हे0, 333/0.772हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे श्यामलाल, भगवादीन पुत्रगण मैकू नि0ग्रा0 के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0 क 11क/21.09.07 खाता सं0 112 से मृतक श्यामलाल के स्थान पर अयोध्या प्रसाद माता प्रसाद पुत्रगण श्यामलाल व श्रीमती ब्रहमा देवी पत्नी स्व0 श्यामलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अवित है। पुनः आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/24.12.08 खाता सं0 112 से मृतक भगवानदीन के स्थान पर राममनोहर यादव पुत्र भगवानदीन नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममनोहर व अयोध्या द्वारा अपने—अपने हिस्सो की भूगि के राग्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के राग्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणींत किया जाता है।

खाता संख्या 118-

भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.330 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे शीतल पुत्र मंहगू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शीतल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 121-

भूमि खसरा संख्या 155 रकवा 0.089 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरिश्चन्द्र, ईश्वरदीन पुत्रगण रामसहाय, भगौती पुत्र मगवानदीन, जीतबहादुर पुत्र सत्य नरायन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क/16.10.08 खाता संठ 121 से मृतक रामसजीवन के स्थान पर नितिन अभिषेक नाबाठ आयु कमशः 6 व 5 वर्ष संरठ रामकुमारी माँ पुत्रगण राम सजीवन व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्वठ रामसजीवन निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नितिन, अभिषेक नाठबाठ राठ रामकुमारी व रामकुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38-

भूमि खरारा संख्या 421 रकबा 0.350 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलारे, श्रीकृष्ण, रज्जन पुत्रगण गुरप्रसाद, दशरथ सिंह अव0 आयु 16वर्ष पुत्र राधे सं0 श्री कृष्ण (चाचा) नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित



है। अभिलिखित खातेदार श्री दुलारे द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54-

भूमि खसरा संख्या 148 रकवा 0.747 है0, 225/1.567 है0, 369/0.022है0, 370/0.035हे0, 372/0.049हे0, 373/0.025हे0, 375/0.219हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वृजलाल, अयोध्याप्रसाद पुत्रगण चेतर्ड, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरीलाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि० ग्राग के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री महेन्द्र कुमार, देवेन्द्रकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ७५-

भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.049 है0, 62/0.075 है0, 63/0.076है0, 64/0.059है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे मिठाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामचन्द्र पुत्र रामनरायन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी न0भू0सी0 लखनऊ गाटा संख्या 63मि0 रकबा 255.36वर्गमी0 रामप्रसाद का नाम निरस्त करके अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग नाम दर्ज हों, के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिठाईलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में अ090 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ७६--

भूमि खसरा संख्या 72 रकबा 0.052 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्ता भूमि राजस्व अभिलेखों मे मिठाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामसागर, गंगासागर पुत्रगण श्रीराम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राठिन0 बिजनौर द्वारा प0 क 11क/02.07.08 खाता सं0 76 से मृतक रामसागर के स्थान पर विनोद कुमार नाबा0 आयु 13 वर्ष सं0 श्रीमती सरिता माँ पुत्र रामसागर व श्रीमती सरिता पत्नी स्व0 रामसागर नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिठाईलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या 77-

भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.512 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों मे मिठाईलाल, मोहनलाल पुत्रमण सूरजबली, नौमीलाल पुत्र कुंवर लाल, श्रीमती बसन्ती जोशी पत्नी हीरा बल्लग जोशी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय गुगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गिठाईलाल, मोहनलाल, नौमीलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 78-

भूमि खरारा संख्या 9 रकवा 0.655, 192 रकवा 0.724 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों मे गिठाईलाल, मोहनलाल पुत्रगण सूरजबली, नौमीलाल, रागसागर, देशराज पुत्रगण कुंवरलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मोहनलाल, नौमीलाल, देशराज, रागराागर व गिटाईलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या 106-

भूभि खसरा संख्या 108 रकबा 0.056 हे0 भूभि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लक्ष्मीनरायन पुत्र महावीर निo ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा मृतक लक्ष्मीनरायन के स्थान पर रामिकशोर पुत्र लक्ष्मीनरायन व श्रीमती महराजा पत्नी स्व० लक्ष्मीनरायन का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामिकशोर व श्रीगती गहराजा द्वारा अपने अपने हिरसे की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 107-

भूमि खसरा संख्या 287 रकबा 0.452 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे विद्यासागर पुत्र भोगनाथ, उमाकान्त पुत्र श्रीराम नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1400 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री विद्यासागर व उमाकान्त द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणींत किया जाता है।



खाता संख्या १६१-

भूमि खरारा संख्या 374 रकबा 0.093 है0, 376/0.038है0, 377/0.106है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उनत भूगि राजरन अगिलेखों में हुनलाल पुत्र मैकू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फराली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार हुनलाल द्वारा पूर्ण भाग भूगि के सम्बन्ध में उठप्रक आनास एनं निकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुनन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुसवल कलों के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साहय तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कितपय खसरा संख्या—मिंजुमला के रूप मे अभिलेखों मे दर्ज है। अतः पर्याप्त साहय व जॉचोंपरान्त सही पाये जान पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाग अनुगन्य नहीं होगा।

(बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनऊ।

25 2011 20 10 10 2010 Bris 0704-11 26 204-11

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

		अभि	निर्णय आदेश संख्या :- 7/2010
1-	वाद संख्या	20	1/2010
2-	ग्राम का नाम		हरिहरपुर, धुसवलकॅला, सेंवई. बरौलीखलीलाबाद
3-	परगना तहसील व जिला	1	लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	- 62	हरिहरपुर- 1-63825 है0
10.0			धुसवलकॅला- 6-949816 है0
			सेंवई- 11-16839 है0
		17.	बरौलीखलीलाबाद - 2-4975 है0
	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A		22-253956 है0
5	वया जगीदारी विनाश अधिनियम लागू है -		નહી 1
6-	भूगि अध्याप्ति का प्रयोजन	1	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आधेनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिन	र्गक	17/07/2004
8-	उ०प्रत आवात एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिन	1	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्र की दिनांक	काशन :	05/12/2007
10-	244		07.10.2008
11-	201 100	30	08.02.2011
12	अभिनिर्णय की धनराशि		हरिहरपुर- 87,25,647-15
100			धुरावलकॅला 3,70,16,110-00
			सेंवई- 5,94,85,078-81
			बरौलीखलीलाबाद—1,33,02,184—50
			योग - 11,85,29,020 46
13-	पूंजीकृत मूल्य		1,43,722-50
14	अध्यापि व्यय	- 1	1,18,52,90200
	भर प्रसाव सम्प्रा आवास एवं विक	त्रस परिषद	द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह
5511-	न योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध करा	या गया है,	उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के
प्रका	शन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है	1	Q

-1

117

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हुन भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमे अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलत है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08—9(2009—10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्निलिखत खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है:—

ग्राम हरिहरपुर

स्थाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 675 रकबा 0.076 हे0, 689/0.095हे0, 736/0.038हे0, 763/0. 143हे0 कुल 0.352हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, जगदीश प्रसाद पुत्रगण महावीर श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी महावीर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/20.06.09 खा0स0 13 से मृतक श्रीमती संतोष कुमारी के स्थान पर ओम प्रकाश व जगदीश पुत्रगण महावीर निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओम प्रकाश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

साता संख्या ६२ :-

भूगि खरारा राख्या 250 रकबा 0.541हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में छेदा लाल पुत्र ईश्वरी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाना संख्या ८९ :-

भूमि खसरा संख्या 872 रकबा 0.440हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में दि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0 लखनऊ द्वारा सचिव विजय कुमार सिंह

1

निवासी 1308/56 दीनदयाल नगर, खदरा चुँगी, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नाठतठ नगर वाद संख्या 608/98 दिठ 11.02.10 गाटा संठ 872स/0.440हेठ मे से 0.3635हेठ माठ गुठ 60 ख से विक्रेता दि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिठ लखनऊ रिथत दीनदयाल नगर खदरा लखनऊ निवासी 1308/56 द्वारा सचिव विजय कुमार सिंह पुत्र स्वठ वंशी निठ इन्दरगंज मोहिबुल्लापुर जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता जावेद इकबाल पुत्र मोइनुद्दीन निवासी मठ नठ 156 सेनानी बिहार, तेलीबाग लखनऊ का नाम बतौर संठ भूठ द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री जावेद इकबाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

स्राता संख्या ९३ :-

भूमि खसरा संख्या 269 रकबा 0.140हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्दलाल पुत्र सखी राम निंठ 559ख/411 हरिनगर, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

साता संख्या ११५ :-

भूगि खसरा संख्या 348 रकवा 0.051हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में परीदनी, रामलखन पुत्रगण महावीर, कुज बिहारी पुत्र मेडीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार परीदीन द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 233 :-

भूमि खसरा संख्या 340रकबा 0.076है0, 344/0.085है0, 642/0.095है0 कुल 0.256है0
भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0
मलाक सुरेन्द्र कुमार, सुधीर कुमार बाо आशीष कुमार ना० बाо आयु 16 वर्ष मनीष कुमार ना० बाо आयु
14 वर्ष पुत्रगण श्रवण कुमार सं० मीरा देवी (माता) श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्रवण कुमार नि0 मलाक के
नाम पूर्व सन् फसली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकुमार
होरा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये
गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खना संख्या ३३९ :-

मूमि खसरा संख्या 305 रकबा 0.012है0, 332/0.025है0, 333/0.025है0, 334/0. 025है0, 343/0.063हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती कृष्ण कुगारी पत्नी शिव प्रसाद नि० निलमधा श्याम मनोहर, महादेव पुत्रगण राम दयाल नि० हरिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कृष्ण कुगारी द्वारा अपने हिस्से की मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ४३२ :-

भूगि खरारा संख्या 750 रकबा 0.227 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती उमा रावत पत्नी शिवमंगल रावत निवासी निलमथा बाजार, इब्राहिमपुर के नाग पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अर्जित भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के अहमर पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम धुसवलकॅला

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 75 रकबा 0.183 है0, 76/0.187है0, 90/0.274है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा निवासी ददुरी जमालपुर पो0 करोरा लखनऊ, सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र अशफी लाल वर्मा नि0 कासिमपुर, लखनऊ श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतगुरू प्रसाद नि0 रहीम नगर, महानगर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेश चन्द्र वर्मा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 1,138है0, 143/0.069है0, 338/0.661है0 कुल 1,868है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों में आशाराम, राजेश कुमार पुत्रगण श्याम लाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार आशा राम व राजेश कुंगार द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



भूमि खसरा संख्या 104 रकवा 0.126 हे0, 324/0.425हे0 कुल 0.551हे0 भूमि का अर्जन क्या जा रहा है। उन्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र सूर्यवली ग्रामवासी, सुनील कुमार, तक्कुश अन् आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल सं मु0 प्रेमा माता व श्रीमती प्रेमा विघवा नौमीलाल नि0 जाम नरेन्द्र कु अव् आयु 13 वर्ष, वीरेन्द्र कुमार अव् आयु 11 वर्ष पुत्रगण राघेश्याम सं मु0 प्रेमा माता प्रेमा विघवा राघेश्याम नि0 ग्राम बावूलाल पुत्र सूर्यवली नि0 ग्राम भागू लाल पुत्र गयादीन नि0 ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाठस० 26, 27 से मृतक मागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू रिंकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व0 भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुनील कुमार, नवकुश नावा० सं० माता प्रेमा, काशी प्रसाद, बाबूलाल व बबलू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३२ :-

भूमि खसरा संख्या 288अ रकबा 0.042है0, 231/0.288है0, 288ब/0.212है0 कुल 0.542 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र रामदास ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खा0स0 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेवएवं वंशीलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये हमे अनुबन्ध के अनुबन्ध के

खात हत्या ४६ -

भूमि खसरा संख्या 137 रकवा 0.705हैं0, 133, 0.319हैं0 कुल 1 024 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हकऊ, अनिलकुमार पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद निव्याम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार राव निव्यानौर द्वारा पवक्व 11क/11.06.09 खावसव 45, 46, 47, 100 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर अनिलकुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निव्याम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव एवं वंशीलाल द्वारा अपने हिस्से की 0.989हैं0 भूमि के सम्बन्ध में उवप्रव आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६० :-

भूमि खसरा संख्या 150 रकवा 0.739 हे0. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कालिका निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क राक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 15.06.07 खा०स० ३३, ६० से मृतंक बाबादीन के स्थान पर कृपाशंकर, पुरूषोत्तम लाल पुत्रगण बाबादीन निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के वाद सं0 115/07-08 घारा 166/167 उ०प्र0ज0वि0अधि0 सरकार बनाम अंजनी कुमार तिवारी ता०फै० २६.०८.०९ ग्राम धुसवलकॅला की गाटा सं० 150/0.759हे0 के बकदर भाग से रकबा 0.0696हे0 से कृपाशंकर पुत्र बाबादीन नि0 ग्राम नाम निरस्त होकर समस्त भार बन्धन से मुक्त होकर राज्य सरकार के पक्ष मे निहित की जाय। पुनः आदेशानुसार नाठतह० बिजनौर वाद सं० 301/26.09.09 गाटा सं० 150/0.739हे० मे से रकबा 0.012 हे० माठगु० 60ख से पुरुषोत्तम पुत्र स्व० बाबादीन नि० ग्राम का नाम निरस्त करके श्रीमती पिंकी पत्नी चन्द्रिका प्रसाद नि० PIO नं0 285/32क करेहटा ऐशबाग, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार पुरूषोत्तम लाल द्वारा अपने हिस्से 0.3575हे0 भाग एवं कृपाशंकर द्वारा अपने हिस्से 0.2999हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ७९ :-

भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 0.291 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में रघुनन्दन पुत्र रूस्तम नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1394 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनक वाद सं0 341/1223/22.12.07 गाटा सं0 272/0.291 से रघुनन्दन पुत्र स्व0 रूस्तम का नाम निरस्त करके अरूण कुमार लाल पुत्र स्व0 कन्हाई लाल नि0 युसूफ नगर बिगयामक का नाम बतौर सं0 भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार अरूण कुमार लाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८८ :-

भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 0.018 है0, 293/0.285है0, 345/0.109है0, 347/0.118है0, 381/0.043है0, 382/0.107है0, 398/0.180हे0, 469/0.150हे0, 478/0.205है0 कुल 1.215हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में रामगुलाम, रामआसरे, रामअधार पुत्रगण सियाराम नि0 ग्राम दिनेश सुरेश पुत्रगण बाबू लाल नि0 ग्राम निरंजन प्रसाद पुत्र हुबलाल नि0 शेरपुर म0 हरिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनेकु वाद सं0

909/257/10.06.08 गाटा सं0 292/0.018, 293/0.285, 345/0.109, 347/0.118, 381/0.043, 382/0.122, 398/0.180, 469/0.150, 478/0.205 है0 से सुरेश कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल का नाम निरस्त करके गोपीकृष्ण पुत्र स्व0 रामनाथ नि0 रहमतनगर अमेठी जिला लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 2.12. 09 खाता सं0 88 से मृतक रामआसरे के स्थान पर श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 रामआसरे नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद सं० 579/11.01.10 गाटा सं० 292/0.018, 293/0.285, 345/0.109, 347/0.118, 398/0.180, 469/0.150, 478/0.205हे० के बकदर भाग से श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 राम आसरे नि० ग्राम का नाम निरस्त करके मोनू कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद नि० निलमथा कैण्ट, लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दिनांक 03.12.09 अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार दिनेश, निरंजन व मोनू कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद रो दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या 112:-

भूमि खरारा संख्या 244 रकबा 0.572 है0, 333/0.772 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, भगवानदीन पुत्रगण मैकू नि0 ग्रामवासी के नाम पूर्व सान फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/21.09.07 खा०स० 112 से मृतक श्यामलाल के स्थान पर अयोध्या प्रसाद माता प्रसाद पुत्रगण श्यामलाल व श्रीमती ब्रहमा देवी पत्नी स्व० श्यामलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.12.09 खा०स० 112 से मृतक भगवानदीन के स्थान पर राम मनोहर यादव पुत्र भगवानदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार माता प्रसाद व ब्रहमा देवी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 119 :--

भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.042 हे0, 279/0.026हे0, 280/0.045हे0, 281/0.402हे0, 283/0.017हे0 कुल 0.532 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रूस्तम नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रघुन-दन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०९० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 124 :-

भूमि खसरा संख्या 276 रकबा 0.702 है0, 277/0.010 है0 भूमि का अर्जन किया जा खा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरवन कुमार, अवध कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण गुरू प्रसाद ि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अवध कुमार व मनोज कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के राम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

साता संख्या 125 :-

भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 0.142 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, रामकुमार, हजारी लाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोघर नि0 सेवई के नाम पूर्व रान् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /23.06.09 खा०स० 125 से मृतक सुन्दरलाल के स्थान पर राम कुमार, हजारीलाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोघर नि० सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राम कुमार व नन्हकऊ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आघार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १४१ :-

भूमि खसरा संख्या 54 रकबा 0.3230 है0, 198ब/0.483 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवस्थी नि0 घुसवलकॅला के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना0त0 नगर वाद सं0 452/03.08.07 गाटा सं0 54/0.323 मे से 0.253 से श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधा कृष्ण अवस्थी का नाम निरस्त करके श्याम किशोर पुत्र राम सिंह नि0 दिरायाई पुरवा म0 हसनपुर जिला बाराबकी का नाम सं0भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय शेष रकबे पर विकेता का नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनक वाद सं0 480/18.02.08 गाटा सं0 198ब/0.483है0 से श्रीमती विद्यावती पत्नी हीरालाल के स्थान पर ना0त0 बिजनौर के आदेश दिनाक 24.04.03के द्वारा वसीयत प्राप्त कर्ती श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधा कृष्ण अवस्थी का नाम निरस्त करके श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्री राम वर्मा नि0 छोटा बरहा आलमबाग. लखनक का नाम बतौर सं0 भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्याम किशोर द्वारा अपने हिस्से 0.253 है0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १४४ :- •

भूमि खसरा संख्या 298 रकबा 0.058 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती रामकली बेवा शम्भूदयाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर हारा प०क० 11क / 12.10.09 खा०रा० 144 रो मृतक श्रीमती रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व जिमला पत्नी चिन्तमान पुत्रीमण स्व० शम्भूदयाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार निर्मला व जिमला द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में ति अवातास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है।

ग्राम सेंवई

खाता संख्या 21 :-

भूमि खसरा संख्या 66 रकबा 0.016 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहां है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल, विशेश्वर पुत्रगण झब्बा नि0 सरथुवा त0 मोहनलालगंज श्रीकृष्ण पुत्र दौलत नि0 सरथुवा लिख्छमन, किशुन पुत्रगण रामचरन नि0 सरथुवा त0 मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/13.07.07 खा0स0 20, 21—22 से मृतक विशेश्वर के ख्यान पर अरूण कुमार बा0 व विजय कुमार ना0बा0 आयु 12 वर्ष सं0 कलावती माता पुत्रगण विशेश्वर व श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 विश्वेश्वर नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओरी लाल, अरूण कुमार, श्रीमती कलावती व श्री कृष्ण द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 22 :-

भूमि खसरा संख्या 19 रकवा 0.266 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में ओरीलाल विशेष्ट्रवर पुत्रमण झब्बा ग्रामवासी श्रीकृष्ण पुत्र दौलत ग्रामवासी लिएमन पुत्र रामवरन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 13.07.07 खा०स० 20, 21–22 से मृतक विशेष्ट्रवर के स्थान पर अरूण कुमार बा० व विजय कुमार ना०बा० आयु 12 वर्ष सं० कलावती माता पुत्रमण विशेष्ट्रवर व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० विश्वेष्ट्रवर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओरीलाल, अरूण कुमार व श्रीमती कलावती द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को मुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

दाता संख्या ४४ :-



भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 0.304 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र स्व0 भोगनाथ नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रपाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे श्री सुन्दर व राजू द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान न किये जाने की याचना की गयी है। स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाणित साक्ष्य देने पर प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

लाता संख्या ४९ :-

भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 0.228 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रिका प्रसाद, शिवलाल पुत्रगण शिवदयाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खरारा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या १३६ :-

भूमि खसरा संख्या 190 रकबा 0.558 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवान बख्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगवान बख्श व बिल्लू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

धाता संख्या 138 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.215 है0, 27/0.114 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू नि0 देवामऊ रामा, देवतादीन पुत्रगण कुन्ने नि0 देवामऊ भगवान बख्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू नि0 ग्रामवासी राजेन्द्र कुमार, रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल नि0 घावाहार के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या—929/894/26.06.08 गाटा रां0 17/0.215, 27/0.114हे0 के बकदर भाग से राजेन्द्र कुमार, रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त करके एनासिएन्ट टाऊन प्लानर प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि0 1/76 विपुलखण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम बतौर



साता संख्या—138 से मृतक रामा के स्थान पर गुट्टाः कल्लू नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती मानी स्वा रामा नि० देवागऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित सातेदार भगवान बस्हा व बिल्लू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

श्राता संख्या 176 :-

भूगि खरारा राख्या 282रा रकबा 0.506 है0, 284/0.068है0, 286/0.135है0, 296/0. 291है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में मिठाई लाल, मिश्रीलाल पुत्रगण नगई नि0 ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिठाई लाल द्वारा अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २१४ :-

भूमि खसरा संख्या ८४ रकबा ०.५९६ हे०, ८९/०.३७५हे० कुल ०.९७१हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्रीपाल, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्रगण शिव नरायन ग्रामवासी, चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान, रामचन्द्र पुत्र राजाराम ग्रा० वा० कनेडी पुत्र ओम प्रकाश, ललित कुमार पुत्र ओमप्रकाश, देवीशरन, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद राख्या 883/178/31.05.08 गाटा सं० 84/0.596, 89/0.379हे० से नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मेसर्स सिकरा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० रजि० आफिस, 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फे-डस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76 विपुलखण्ड, गोमती नगर लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनीर द्वारा प०क० 11क / 7.07.08 खा०सं० 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नहीं देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दिकशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/18.06.09 खा०सं० 139, 215, 214 से मृतक रामखेलावन के स्थान पर राघेश्याम कमलेश कुमार गौतम कुमार पुत्रगण स्व० रागखेलावन व श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० राम खेलावन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगौती प्रसाद, रामचन्द्र, नन्दिकशोर, चन्द्रिका प्रसाद व कनेडी, ललित, राधेश्याम, कमलेश व मालती देवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

107

साता संस्था ३०४ :-

भूगि खरारा संख्या 95 रकवा 1.000 हे0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, रामकुमार, हजारीलाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजीघर नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार नाठतठ बिजनौर वाद संठ 224 947/257/23.02.06 गाटा संठ 95/1.000 माठ गुठ 68.05 पैसे के बकदर भाग से सुन्दरलाल पुत्र गजीघर का नाम पृथक करके रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद निवासी विरैयाबाग मठ उत्तरिया का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ बतौर सहखातेदार संठ भूठ द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार हजारीलाल व रामरतन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४२ :--

भूमि खसरा संख्या 271 मि0 रकबा 0.089 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पुत्तीलाल पुत्र मूलचन्द्र नि0 कारेबरन खेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 342 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/24.10.05 खा0स0 89.90,342 से मृतक पुत्तीलाल के स्थान पर राजाराम, सन्तोष, लल्लू पुत्रगण स्व0 पुत्तीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 9 :-

भूमि खसरा संख्या 195 रकवा 0.019 है0, 196/0.051 है0, 197/0.063 है0 कुल 0.133है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोघ्या प्रसाद, गंगाराम पुत्रगण रामिकशुन ग्रामवासी रागचरन पुत्र परागी ग्राठवाठ रामगुलाम व रामपाल, रामसागर पुत्रगण बैजनाथ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अगिलिखित खातेदार अयोध्या प्रसाद, गंगा राम, राम चरन, राग गुलाम, राम पाल व राम सागर द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

धाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 263 रकबा 0.551 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद गंगाराम पुत्रगण रामकिशुन व रामचरन पुत्र परागी ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अयोध्या प्रसाद,



गंगाराम व राम चरन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 12 :-

भूमि खसरा संख्या 109 रकबा 0.206 है0, 110/0.202 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद गंगाराम पुत्रगण रामिकशुन ग्रामवासी श्रीमती निधि गोयल पत्नी अभय कृष्ण नि0 2 पार्कलेन हजरगंज लखनऊ रामचरन पुत्र परागी नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचरन, अयोध्या प्रसाद व गंगाराम द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को गुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या ३१ :-

भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 0.521 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि सजस्व अभिलेखों में कल्लू बेचा, राजकुमार पुत्रगण गुरदीन श्रीमती कौशल्या पत्नी गुरदीन नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कल्लू द्वारा अपने हिस्से की मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६६ :-

भूमि खसरा संख्या 13 रकबा 0.190 है0, 14/0.266 है0, 148/0.228है0, 248/0. 185है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिनेश कुमार, कमलेश यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव पुत्रगण राम पाल यादव नि0 धावाहार म0 सेवई बृजमोहन, राम गरायन, नेपाल कुँवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नाठता बिजनौर वाद संठ 764/23.09.07 गाटा संठ 13/0.190, 14/0.266, 148/0.226, 248/0.185 व स्थात संठ 113 की गाटा संठ 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसी राम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्वठ शीतला प्रसाद नि0 कुल्ली खेडा म0 अहमामऊ का ना संठ भूठ द्वारा बैनामा अकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार नेपाल कुंवर, राम नरायन व श्रीमती शान्ती द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उब्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त डुयी है जिसमे विपक्षीनण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

- 13.



खाता संख्या 113 :-

भूमि खसरा संख्या 160 रकबा 0.252 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन, रामनरायन, नेपाल कुंवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि0 घावाहार म0 सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार ना0त0 बिजनौर वाद सं0 764/23.09.07 गाटा स0 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं0 113 की गाटा सं0 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व0 शीतला प्रसाद नि0 कुल्ली खेड़ा म0 अहमामऊ का नाम सं0 भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार नेपाल कुंवर द्वारा, राम नरायन व श्रीमती शान्ती द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या १६७ :-

भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.357 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हें ग्रा० वा० मुल्कराज, चन्द्रपाल, गौतम पुत्र मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी बेवा मोतीलाल नि० ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गौतम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०९० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 172 :-

भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.291 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क/02.02.06 खाठसठ 172, 173, 174 से मृतक भोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्वठ मोल्हे निठ चौधरी खेड़ा मठग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह व श्रीमती रघुराई देवी द्वारा अपने—अपने हिरसे की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २०४ :-

भूमि खसरा संख्या 316 रकबा 0.084 है0, 317/0.084हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम सुमिरन, सुभासू पुत्रगण शत्रोहन, राजू अव0 आयु 15 वर्ष, राजेश

(104)

गा०ब०, आयु 11 वर्ष राकेश कुगार नाबा० आयु 10 वर्ष पुत्रगण शत्रांहन स० सावित्री देवी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 1054/1143 21-2-10 गाटा सं० 382/0.2890 है0 317/0.0840 है० के बकदर भाग से रकबा 0.0736 है० मा० गु० ख से विकेता सुमासु पुत्र शत्रोहन का नाम निरस्त करके केता गणेश शंकर तिवारी पुत्र एस०पी० तिवारी नि० ग्राम व पोस्ट भदरुख तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार राम सुमिरन, श्रीमती सावित्री देवी (राजू राजेश, राकेश ना०बा०) द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २०५ :-

भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 0.068 है0, 306/0.151है0, 308/0.178है0, 310/0. 085है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमिं राजस्व अभिलेखों में राम सुमिरन, सुमासु पुत्रमण शत्रोहन नि0 ग्राम राजू नाबा0 आयु 15 वर्ष, राजेश ना0बा0 आयु 11 वर्ष राकेश कुमार ना0बा0 आयु 10 वर्ष पुत्रमण शत्रोहन सं0 सावित्री देवी नि0 ग्राम राममिलन यादव पुत्र मैकूलाल नि0 त्रिलोक नगर म0 घुसवलकला राम मिलन यादव पुत्र बाबूलाल यादव नि0 नया पुरवा म0 निजामपुर मिलन यादव पुत्र मेकू राममिलन यादव पुत्र मेकू राममिलन यादव पुत्र बाबूलाल, राम सुमिरन व श्रीमती सावित्री देवी (नाबा0 राजू, राजेश व राकेश) हारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

साता संख्या 220 :-

भूमि खसरा संख्या 114 रकबा 0.042 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामचन्द्र पुत्र राजाराम ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचन्द्र द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७० :-

भूमि खसरा संख्या 40 रकबा 0.454हे0, 126स / 0.051हे0 कुल 0.505हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शान्ती बेवा शिवचरन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती शान्ती द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।



थाता राख्या २७२ :-

भूमि खसरा संख्या 240 रकबा 0.018है0, 243/0.042है0 कुल 0.060है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवमंगल रावत पुत्र कालिका प्रसाद नि0 इब्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिव मंगल रावत द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.443 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अलीरजा पुत्र लतीफ पुत्तन रहमत अली पुत्रमण फज्जू व बशीर पुत्र शमशेर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन राम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 03.07.07 खा०स० 13 से मृतक बशीर के स्थान पर पीर गुलाम, शाकिर अली पुत्रगण वशीर व वाजिद अली, शाहिद अली, जाहिद अली नावा० आयफ क्रमशः 15, 12, 8 वर्ष सं० अनवरी माँ पुत्रगण शराफत अली व नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर वाद सं० 871 / 06 07.09 गाटा सं० 476 / 0.275है० मे से० 0.013हे० मा०गु० ६० ख से श्रीमती अनवरी पत्नी स्व० शराफत अली व वाजिद अली व शाहिद अली, जाविद अली नावा० पुत्रगण स्व० शराफत अली एवं सं० श्रीमती अनवरी पत्नी शराफत अली नि० सेंवई का नाम निरस्त करके अजयविशेन पुत्र आर०पी०एन० मल्ल नि०डी०8 / 2 पेपर मिल कॉलोनी निशातगंज, लखनऊ व विनय कुमार मिश्रा पुत्र इन्द्रजीत मिश्रा नि० 1342 से आई०एल०डी०ए० कॉलोनी, कानपुर रोड लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रहमत अली, पीर गुलाम, शाकिर अली, अनवरी व पुत्तन द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या ४६ :-

भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 0.101 है0, 42/0.147है0 कुल 0.248है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चौहान पुत्र नान्हू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चौहान द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणींत किया जाता है। उक्त भूगि पर श्रीमती विमला सिंह व अन्य द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर मुगतान रोकने के सम्बन्ध में याचना की गयी है। प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देव होगा।

वाता संख्या 78 :-

(10)

भूगि खरारा संख्या २४९ रकबा 0.157हे० भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि गजस्व अभिलेखों में नानमून पत्नी इलाही बख्श पुत्र पुत्र ग्रा0वा0 अल्ली जिलाई पत्नी शुभान अली पु0 पुत्र नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नाठतह० बिजनौर वाद सं0 382/03.12.09 गाटा सं0 350/0. 202, 368/0.314 हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.258 हे० मा० गु० 60 ख से अल्ला जिलाई पुत्र शुभान अली नि0 ग्राम का नाम निरस्त करके जय प्रकाश यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव नि0 शारदा नगर निलमथा लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेश नानमून व अल्लाजिलाई द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री शेर अली पुत्र ईलाही द्वारा आपित प्रस्तुत की गयी है, के निस्तारण के उपरान्त हितबद्ध व्यक्तियों को भुगतान नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या ९६ :-

भूमि खसरा संख्या 183 रकबा 0.166 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पीर गुलाम, शाकिर अली पुत्रगण बशीर वाजिद अली नाबा0 आयु 11 वर्ष बशीर सं0 श्रीमती अनवरी साहिद अली नाबा0 आयु 8 वर्ष पुत्र शराफत अली सं0 अनवरी पत्नी स्व0 शराफत अली, जाहिद नाबा0 6 वर्ष शराफत अली सं0 अनवरी माता नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शाकिर अली, अनवीर व पीरगुलाम द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 104 :--

भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 0.101 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बल्देव यादव उर्फ रघुवरजी पुत्र स्व0 सिंहासन यादव नि0 देवरिया पोस्ट हसुलाही देविया तह0 व जिला छपरा बिहार व इस्माइल पुत्र साहबदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार इरगाईल द्वारा अपने हिरशे की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या 110 :-

भूमि खसरा संख्या 130/1 रकबा 0.200 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में बेचालाल पुत्र हुब्बा ग्रा० वा० के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/20.08.08 खा०स० 110, 112, 209 से मृतक बेचालाल के स्थान पर शत्रोहनलाल,

(101)

सातिकराम, प्रेमकुमार उर्फ बजरंग पुत्रगण धनी नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शत्रोहन, सालिकराम व प्रेमकुमार उर्फ बंजरग द्वारा अपने—अपने हिस्से की गूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या १४७ :-

भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.638 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेश चन्द्र पुत्र सालिकराम, शिवण्यारी, पत्नी शत्रोहन लाल नि0 द्योधनखेड़ा म0 बरौली के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार महेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 150 :--

भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 0.208 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महादेव, राम सागर पुत्रगण राम औतार ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प0क0 11क/31.07.06 खा०स० 69, 150 से मृतक महादेव के स्थान पर श्रीमती सरोज पत्नी स्व० महादेव नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० आनन्द कुमार द्वारा पक011क/12.08.10 खाता सं० 69, 150 से मृतक श्रीमती सरोज के स्थान पर राम सागर पुत्र राम औतार नि० छठी गली निशातगंज लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसागर द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणींत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को मृगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या १६९ :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.167 है0, 259/0.021 है0 कुल 0.188 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में मो0 सईद मो0 सलीम, मो0 शकील पुत्रगण इमामअली नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सईद, सलीम व शकील द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या १७७ :-

भूमि खसरा संख्या 10 रकबा 0.164 है0, 211/0.365है0 कुल 0.529है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिहीलाल, अमृतलाल, नन्द किशोर पुत्रगण सरजू ग्रा० वा० के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/27.12.05 खा०स० 177 से मृतक मिहीलाल के स्थान पर अमृतलाल व नन्दिकशोर पुत्रगण स्व० सरजू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार अमृतलाल व नन्दिकशोर द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १७८ :-

भूमि खसरा संख्या 61स रकबा 0.151 हे0, 62स/0.089हे0 कुल 0.240हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रज्जनलाल, कुन्दन लाल, मिठाई लाल पुत्रगण हुबलाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रज्जन, कुन्दनलाल, भिठाईलाल व बच्चूलाल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल व रज्जन लाल आदि की आपित प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 189 :-

भूमि खसरा संख्या 201 रकबा 0.202 हे0, 223/0.031हे0 व 291/0.253हे0 कुल 0.486हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, हरिश्वन्द्र पुत्रगण चतुरी ग्रा0वा0 दुर्गेश प्रसाद पुत्र ओम प्रकाश व श्रीमती मीना कुमारी बेवा ओम प्रकाश नि0 सुन्दरखेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश, हरीश चन्द्र व दुर्गेश प्रसाद व मीना कुमारी द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

साता संख्या 190 :-

भूमि खरारा रांख्या 224 रकबा 0.051 है0, 225/0.049है0, 232/0.051है0, 237/0. 059है0, 239/0.081है0 कुल 0.291है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रगेश, राकेश पुत्रगण चतुरी नि0 ग्राम व दुर्गेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती मीना कुमारी बेवा ओम प्रकाश नि0 सुन्दर खेड़ा म0 ग्राम व राजेश कुमार पुत्र गुरदीन नि0 सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश, दुर्गेश व मीनाकुमारी व राकेश द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २०९ :-

मूमि खसरा संख्या 227 रकबा 0.031 है0, 228/0.096है0, 233स/0.017है0 व 238/0. 130है0 कुल 0.274है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम कुमार, राम किशोर पुत्रगण शंकर, शत्रोहन सालिकराम पुत्रगण धनीबेचा लाल पुत्र हुब्बा ग्रा० वा० के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना0त0 बिजनौर वाद सं0 138/833/06/30.08.07 ग्राम सेवई पर बिजनौर त0 व जि0 लखनऊ की खतौनी 1395 से 1400फ0 के खा० सं0 62 पर अंकित पक0 11क आदेश दिंनाक 30.08.91 निरस्त किया जाता है। एवं खतौनी वर्ष 1413–18 फ0 के खा०सं० 209, 265, 267 पर अंकित शत्रोहन सालिकराम पुत्रगण स्व0 धनी का नाम निरस्त कर शत्रोहन सालिकराम, प्रेमकुमार कुरील उर्फ बजरंग पुत्रगण स्व0 धनी नि0 ग्राम का नाम जरिये वरासतन अंकित किये जाने के ओदश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/20.08.08 ख0सं० 110, 112, 209 से मृतक बेचालाल के स्थान पर शत्रोहन लाल, सालिकराम प्रेमकुमार उर्फ बजरंग पुत्रगण धनी नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शत्रोहन, सालिकग्राम व ग्रेम कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २४२ :-

भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 1.159है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि0 चिरईयाबाग म0 उत्तरिव्या देवीशरन पुत्र जगन्नाथ नहीं, देवी पत्नी जगन्नाथ नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/07.07.08 खाता संख्या 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दिकशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखत खातेदार रामरतन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६५ :--

मूमि खसरा संख्या 320 रकबा 0.371हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण धनी ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नाठतठ बिजनौर वाद संठ 138/833/06/30.08.07 ग्राम सेवई परठ बिजनौर तठ व जिला लखनऊ की खतौनी 1395 से 1400 फठ के खाठ सठ 62 पर अंकित पठकठ 11क आदेश दिनांक 30.08.91 निरस्त किया जाता है। एवंम खतौनी वर्ष 1413—18 फठ के खाठ संठ 209, 265, 267 पर अंकित शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण स्वठ धनी का नाम निरस्त कर शत्रोहन सालिकराम प्रेम कुमार कुरील उर्फ बंजरग पुत्रगण स्वठ धनी निठ ग्राम का नाम जरिये वरासतन आंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार शत्रोहन, सालिकराम, प्रेम कुमार द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६८ :-

भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.051है0, 279/0.177हे0 कुल 0.228हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन लाल. शिवराम पुत्रगण बद्री, मनोज कुमार पुत्र गेडीलाल ग्रामवासी के नाग पूर्व रान् फराली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवराम, भूमि खसरा सख्या—279 द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९६ :-

भूमि खसरा संख्या 71 रकबा 0.025है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरजूदेई विधवा कुशहर हनोमान महावीर पुत्रगण कल्लू ग्रामदासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क / 29.06.09 खाता संख्या 296 पर मृतक हनोमान के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान, मनोज कुमार, मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद व मृतक महाबीर के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सरजूदेई द्वारा अपने हिरसे की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २३४ :--

भूमि खसरा संख्या 165 रकबा 1.239हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामनाथ पुत्र धनी निवग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनाथ द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रव आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



बरौली खलीलाबाद

(97)

खाता संख्या 176 :-

भूमि खसरा संख्या 1917 मि0 रकबा 0.253हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परशुराम व शीतल पुत्रगण खुशीराम नि0 पिपरी खेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार परशुराम व शीतल द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २७५ :--

भूमि खसरा संख्या 1580/3 रकबा 0.190 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकू रामचरन, देवी दयाल पुत्रगण टीका, मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/27.03.05 खा0स0 275 से मृतक देवी दयाल के स्थान पर मैकू राम चरन पुत्रगण टीका, मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल व मैकू द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३१२ :-

भूमि खसरा संख्या 1831 रकबा 0.088 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेवालाल पुत्र परीदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 333 :-

भूमि खसरा संख्या 1596 रकबा 0.266 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द्र पुत्र बाबू लाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फस्राजी 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर आंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता ळें

(96)

खाता संख्या ४०४ :-

भूमि खसरा संख्या 1836/4 मि० रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामचरन पुत्र टीका नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचरन द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

साता संख्या ४१३ :--

भूमि खसरा संख्या 1662मि0 रकबा 0.443 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलोटन, रामू पुत्र लिछमन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४३० :-

भूमि खसरा संख्या 1857 रकवा 0.051 हे0, 1859/1/0.007हे0, 1860/0.038हे0, 1862/0.126हे0, 1863/0.063हे0, 1864/0.076हे0, 1865/0.228हे0, 1867/0.025हे0, 1868/0.076हे0, 1869/0.051हे0, 1870/0.063हे0, 1871/0.076हे0, 1872/0.152हे0, 1873/0.063हे0, 1894/0.076हे0, 1895/0.056हे0, 1897/0.101हे0, 1898/0.177हे0, 1899/0.088हे0, 1900/0.101हे0, 1901/0.177हे0, 1903/0.088हे0, 1904/0.354हे0, 1905/0.038हे0, 1906/0.038हे0, 1907/0.013हे0, 1908/0.114हे0, 1909/0.013हे0, 1910/0.139हे0, 1911/0.063हे0, 1866/0.101हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विशुनदेई पत्नी नान्हू, छंगा पुत्र धूरू लालचन्द्र पुत्र नरायन नि० सरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार छंगा पुत्र धुरू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ४५७ :-

भूगि खसरा संख्या 1800 रकबा 0.013 है0, 1801/0.012है0, 1802/0.329है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में श्री केशन, राम खिलावन, नन्हकऊ पुत्रगण रूताग ि0 ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कृष्ण, रामखेलावन व नन्हकऊ द्वारा अपने—अपने हिस्से की भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

धाता राख्या ४८६ :-

भूमि खसरा संख्या 1629 रकबा 0.341 हे0. 1630/0.063हे0, 1631/0.051हे0, 1634/0. 038है0, 1640 / 0.025हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती साधना विधवा मोहन व हुब्बा पुत्र हेमराज नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 27.03.05 खा०स० 486 से मृतक हुब्बा के स्थान पर जानकी पत्नी स्व0 हुब्बा नि0 गाम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा 40क0 11क / 14.11.05 खा०स० 486, 508, 508, 521 से मृतक श्रीमती जानकी के स्थान पर कल्लू पुत्र हुआ नि0 ग्राम हाल नि0 गाँधीनगर तेलीबाग लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन : आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/19.01.09 खाता सं० 304 से मृतक श्रीमती साधना के स्थान पर श्रीमती कलावती पत्नी स्व० परमेश्वर पुत्री मोहन नि० नया पुरवा म० निजामपुर गाझेगाव का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कल्लू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम हरिहरपुर, धुसवलकलॉ, सेवई व बरौलीखलीलाबाद के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साहय तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप मे अमिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉर्चोपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हरतान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को मू०अ०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

> Jh 08.0211 (बाबूलाल श्रीवास) अण्र जिलाधिकारी (भू०अ०)

min Pring min Brist co-02-11 dt 35 2/1/2 du mu) Ou

94)

Aven 6

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

		1	अगिनिर्णय आदेश संख्या :-6/2010
1	वाद संख्या		1/2010
2-	ग्राम का नाम		बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां, सेंवई, देवामऊ अहमामउ.
3-	परगना तहसील व जिला	3	लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल		बरौली खलीलाबाद - 21.7843 है0 √ घुसवलकला - 8.45569 है0 √ सेंवई - 20.321895 है0 √ देवामऊ - 1.92845 है0 √ 31हमामऊ - 0.174 है0 √
			कुल योग - 52.664335 है0
	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है		नहीं ।
6	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन		सुल्तानपुर रोड भूगि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		17/07/2004
8	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		30/9/2006
9	मृभि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
400	अधिकार/कब्जा की तिथि		07.10.2008
10	अभिनिर्णय की तिथि	Ŧ	26.08.2010
11	अभिनिर्णय की धनराशि	17	280500781-06
12-			नियमानुसार जमा किया जायेगा:
13-	पूंजीकृत मूल्य		नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय यह प्रस्ताव उ०प्र० आनास एवं विकास प् स्थान योजना के भूगि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध	परिष कर	द द्वारा सल्तानपुर रोड भूगि विकास एव

अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।
उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
हारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी,
तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी।
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हारा करार नियमादली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित

प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 4950 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर क साथ हा साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व त्याज की घनराशि भी सम्मिलित है, पर आग सहगति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810 / 08-9(2009-10) दिंनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उठ प्रठ आवारा एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पदित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :--

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या ५६ -

भूमि खसरा संख्या 1572मि० रकबा 0.468 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू पुत्र नरायन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1384 से श्रेणी 1 क रांकमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार राठ निठ विजनोर द्वारा प०क० ११क / १२.०३.०८ खा०स० ५६ से मृतक कल्लू के स्थान पर देवी व बल्देव पुत्रगण कल्लू व श्रीमती छेदाना पत्नी स्व0 कल्लू नि०ग्रा० का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अवित्त है। अगिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६८ :-

भूमि खसरा संख्या 1575/4 रकवा 1.895 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गोपाल कौर पुत्र सरदार लिछमन सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तह० (न्यायिक) लखनऊ मु०न० २०८/१०८३/०१ भूमि न० १५७५/४/१.८७६ मा०मु० 35-55 से हीरा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह बहैसियत मुख्तार आम मिनजानिब गोपाल कौर पुत्री लिछमन सिंह का नाम खारिज करके महेन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह व सुखदेव कौर पत्नी हीरा सिंह व जसवीर कौर पत्नी चनन सिंह व बलविन्दर कौर पत्नी मुख्तार सिंह नि0 घोघन खेडा गजरा बरौली खलीलाबाद का नाम स०भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खाातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1604/2 रकबा 0.325 ह0 भूमि का अजन क्ष्या जा रहा है। उसी मूमि राजस्य अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र चेतराम नि० हीरा सिंह फार्म बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री छोटेलाल हारा पूर्ण माग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीतं किया जाता है।



खाता संख्या २१२ :-

भूमि खसरा संख्या 1658/1740 रकबा 0.038 है0, 1667/3 रकबा 0.251हे0, 1667 रकबा 0.076हे0, 1658/1 रकबा 0.101हे0 कुल 0.466 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती व श्रीराम पुत्रगण गुरूदीन नि0 घोघन खेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२० :-

भूमि खसरा संख्या 1806 रकबा 0.025 है0, 1834 रकबा 0.013है0, 1835 रकवा 0.012है0 कुल 0.050 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बदलू पुत्र होरी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बदलू द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२२ :-

भूमि खसरा संख्या 1914/7 रकबा 0.379 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विशेश्वर पुत्र मटरू नि0 सरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री विशेश्वर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता सख्या २३३ :-

भूमि खसरा संख्या 1572मि० रकबा 0.445 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ब्रहमा पुत्र भोगई नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार सन् 1410 फसली श्रीमान त० मु०न० 234/10-2 भूमि नं0 1572 मि० 1572मि० 1/5-12 मा०गु० ६० ख से ब्रहमा पुत्र



निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ का नाम सात्रभू० दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार नाठतह० बिजनौर द्वारा पठक० 23/5.10.09 खाठसं० पर दर्ज गाटा सं० 1572 मि०/0.445 हे० के स्थान पर शुद्ध 1572 मि०/0.023 तथा खाता संख्या 118 पर दर्ज खाठसं० 1572मि० 0.023 के स्थान पर 1572 मि० 0.445 दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री ब्रहमा द्वारा पूर्ण भाग 0.445हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संस्था २४६ :-

भूमि खसरा संख्या 1738मि० रकबा 0.063 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती पुत्र शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री भगौती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६४ :-

भूमि खसरा संख्या 1581अ रकबा 0.051 है0, 1581व रकबा 0.228है0 कुल 0.277है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1400 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २८५ :-

भूमि खसरा संख्या 1668/1 रकवा 0.379 है0, 1683/2/0.013, 1689/0.100, 1690/0.177, 1691/0.076, 1692/0.139, 1684/0.076, 1695/0.354, 1696/0.430, 1699/0.138, 1702/0.076, 1703/0.164, 1704/0.076, 1705/0.228, 1707/0.152, 1706/0.139, 1710/1/0.159, 1729/0.253, 1741/0.354, 1763/0.316, 1764/0.291, 1767मि0/0.215 कुल 4.306 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मातादीन व रामासरे महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवान दीन शंकर व प्यारे, सूरजबली पुत्रगण भवानीदीन, परीतीन पुत्र वेदी मुनीलाल, बदी पुत्रगण शीतल नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 1411 फ0 श्रीमान राठ नि0 महोदय जरिए प0क0 11क कमांक 4/7.05.03 द्वारा खाता संठ 285 से मृतक शंकर पुत्र भवानी के स्थान पर भारत, हरिशचन्द, दर्शन, प्रेम कुमार पुत्रगण शंकर व श्रीमती भगवानदेई पत्नी स्वठ शंकर नि0 द्योद्य खेडा मठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार 1412

-4-

or Just to the second

श्रुमि खसरा संख्या 1921मि० रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में राजाराम व परीदीन पुत्रमण कुँवर श्रीमती दुर्गादेई बेवा कुँवर नि० संख्या के माम पूर्व सन् फराली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नाम पूर्व सन् फराली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नाम पूर्व सन् फराली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नाम पूर्व सन् फराली 1371 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नाम पूर्व सन् के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जाता विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णात किया जाता

भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकवा 1.005 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकवा 1.005 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिस्ता भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन, रामकुमार, जंगवहादुर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबू लाल, जगनाथ, बैजनाथ पुत्रगण जग्गू नि० द्योद्यन खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार व अवधराम विजनीय संग्राण संग्राण व अवधराम व रामजीत नि० वोज्ञान खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन स्व० वैजनाथ नि० द्योद्यन खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन सर्वा 1–005 है० के बकदर भाग से जगनाथ पुत्र जग्गू धर्मराज, अवधराम पुत्रगण रव० वैजनाथ व रामजीत पुत्र स्व० वैजनाथ नाठबाठ द्वारा सं० माता श्रीमती कलावती पत्नी वैजनाथ का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० वरौली खलीलाबाद का नाम कलावती पत्नी वैजनाथ का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० वरौली खलीलाबाद का नाम बतौर सं० भूठ द्वारा वैजनाथ का नाम परिस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० वरौली खलीलाबाद का नाम बतौर सं० भूठ द्वारा वैजनाथ का नाम परिस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० वरौली खलीलाबाद का नाम बतौर सं० भूठ द्वारा वैजनाथ के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातिदार श्री रामकुमार द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1750 रकबा 0.253 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवशंकर पुत्र मुलजारी नि० धौरहा कोठी उस्मानपुर जिला बारांबकी, विजय कुमार पुत्र पन्नालाल नि० उक्त लालता प्रसाद, राजू , गुड्डू पुत्रगण गुरू प्रसाद नि० ग्राम, श्रीमती कानी देवी पत्नी मैय्यालाल नि० ग्रा० मुनेश्वर पुत्र गुलजारीलाल, श्रीमती यशोदा देवी वि० फूलचन्द्र कुलदीप ना०बा० आयु 14 वर्ष सं० फूलमती पुत्र रामकुमार, संजय ना०बा० आयु 12 वर्ष रां० फूलमती पुत्र रामकुमार शंजय ना०बा० आयु 12 वर्ष रां० फूलमती पुत्र राम कुमार शिवशंकर पुत्र गुलजारीलाल नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० तहा० बिजनौर बाद सं० 5/2/734/23.08.04 द्वारा गाटा सं० 585/0.063, 600/0.025, 602/0.190, 1012/0 051, 1750/0.253, 744/2/0.253, 911/0.068 लगान 36–50 बकदर भाग से मृतक वसीयत कर्ता फूलचन्द्र पुत्र बचनू व उनकी विधवा अंकित खाते दाखिल श्रीमती यशोदा देवी विधवा फूलचन्द्र का नाम निरस्त करके वसीयत प्राप्तकर्ता श्रीमती सूरजरानी पत्नी अयोध्या प्रसाद य श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी राकेश कुगार नि० ग० न० 50/220 नौघड़ा कानपुर का नाम सहखातेदार सं० भू० द्वारा वसीयत दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० त० नगरवाद सं० 18/22.11.06 गाटा सं० 1750/0.253 के बकदर शिवशंकर पुत्र गुलजारीलाल व मुनेश्वर पुत्र गुलजारी व बहैसियत मुख्तारनामाआग श्रीमती कानी देवी बेवा भैयालाल व कुलदीप व संजय ना० बा० पुत्र फूलजारी पत्नी रामकुमार व शिवशंकर पुत्र गुलजारीलाल का नाम निरस्त करके श्रीमती अनीतः गुपा पत्नी रामायण नि० बरौली खलीलाबाद का नाम सहखातेदार द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार सूरजरानी द्वारा 1/12 भाग व विजय कुमार द्वारा 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठा आधार एव विकास परिवद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णित किया नाता है।

स्ताता संस्था ४६२

भूमि खरारा संख्या 1627मि० रकवा 4.805 है०, 1661मि०/5.615है०, 1665/गि०1/4. 704है०, 1836/1िग०/1.265है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखदेव सिंह पुत्र वरमा सिंह, सुखजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह व प्रीतम सिंह पुत्र केशर सिंह, हरजीत सिंह कुलदीप सिंह पुत्रमण प्रीतम सिंह, शमरोर सिंह ना०बा० आयु 11 वर्ष, अंगरेज सिंह, गुरू साहब सिंह पुत्रमण जागीर सिंह नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1385 से श्रेणी 1 क राक्रमणीय भूगिधर अकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद रा० 943/820/506.09 गाटा सं० 1627मि०/4.805 व खाता सं0253 की गाटा सं० 1661मि०/5.515, 1665/1िम०/4.704, 1836/1िम०/1.265है० के बकदर भाग से सुखदेव सिंह पुत्र बग्मा सिंह का नाम निरस्त करके सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम सं० मू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर दिनांक 02.07 39 द्वारा अदेश दि० 05.06.09 में आशिक संशोधन करते हुए केता फायर टाउन प्लानश

बिन्दा पुत्र शेर शिंह बिन्दा नि0 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम स0 भू० द्वारा 🙈 वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातिदार द्वारा क्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में च090 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अमिनिर्णीत किया जाता है।

खाता सख्या ४६३ :-

भूगि खसरा रांख्या 1616 रकवा 0.046 है0, 1642/0.163, 1709/0.291, 1726/0.051, 1743/0.430 हे0 कुल 0.980हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में श्रीमती सुनीता पत्नी रामचन्दरं, श्रीमती नन्हकई पत्नी फूलचन्द्रं नि0 नवाबपुरवा, लखनऊ राजकुमारी आयु 12 वर्ष सा पिता स्वयं पुत्री रामनरेश नि सेवई सतनाम आयु 10 वर्ष सं पिता स्वयं पुत्र मलऊ नि० मडागवों मातादीन पुत्र शिवरतन नि० सरसवाँ छँगा लाल पुत्र राम भरोसे , भगौती गरीबे पुत्रगण जियालाल, लंकेश्वर, रामऔतार पुत्रगण मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी ा क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा७ नि७ बिजनौर प0क0 11क / 21.06.05 खाता सं0 463 व 465 से मृतक श्रीमती नन्हकई के स्थान पर गोनू नाठनाठ आयु 10 वर्ष पुत्र फूलचन्द्र संठ पिता स्वयं निठ नवाबपुर्वा लखनऊ का नाम बतौर यारिस अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क/26.12.08 खाता मं0 46, 301, 302 से मृतक लंकेश्वर के स्थान पर छंगा व गुड्डू व महेश वा0 व कमलेश व नाठबाठ आयु से श्रीमती परवाता माता स्वयं पुत्रगण लंकेश्वर व श्रीमनी परवाता पत्नी स्वठ लंकेश्वर निठ ग्राम व मृतक भगौती के स्थान पर संजय कुमार व हिर ओम व कल्लू पुत्रगण भगौती नि० हुसैनगंज लखनक का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खाातेदार श्री रामऔतार हुता 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ४८६ -

भूगि खसरा संख्या 1629 रकबा 0.341 हे*0*, 1630 / 0.063हे*0*, 1631 / 0.051हे*0*, 1634/0.038है0, 1640/0.025है0 कुल 0.518है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में श्रीमती साधना विधवा मोहन व हुब्बा पुत्र हेमराज नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राठ नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11 का दिनांक 27.03.05 खाता सं0 486 से मृतक हुब्बा के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा व श्रीमती जानकी पत्नी स्व0 हुब्बा नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० ११क/१४११-०५ खाता सं० ४८६, ३०८, 521 से मृतक श्रीगती जानकी के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा नि0 ग्राम हाल नि0 गाँधी नगर तेलीबाग लखनऊ का नाम वतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदार कलावती द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० अवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५२५ :-

भूगि खसरा संख्या 1698 रकबा 0.101 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उत्तर भूगि राजरव अगिलेखों में श्रीमती ज्ञानवती पत्नी वेद प्रकाश नि0 द्योद्यन खेड़ा म0 ग्राग के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार द्वारा पूर्ण भाग भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ११ -

भूमि खसरा संख्या 1582 रकबा 0.341 है0, 1583/0.215 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। तका भूमि राजरव अभिलेखों में अक्धेश कुमार, रमेश कुगार, सुरेश कुमार पुत्रगण बाबूलाल, महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन रिंह नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अकित है। अभिलिखित खातिदारों में श्री अवधेश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री रमेश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग व श्री सुरेश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या २१ :-

भूगि खसरा संख्या 1787/1 रकबा 0.164 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल पुत्र झब्बा, अरूण कुमार पुत्र विशेश्वर, विजय कुमार नाठबाठ 14 वर्ष सठ कलावती (मॉ) श्रीमती कलावती पत्नी विशेश्वर निठ ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूगिधर ऑकित है। अभिलिखित खातिदारों द्वारा अपने हिस्से की पूर्ण भाग भूगि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के अधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ३० -

भूमि खसरा संख्या 1665/3 रकबा 0.759 है0, 1665/4/0.190 है0, 1744/0.253 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, संतराम पुत्रमण जम्मू सरजूदेइ पत्नी राम नरायन व भगवानदीन पुत्र चेतराम, रूपरानी पत्नी श्रीराम,

1

शिवदेवी पत्नी सत्यनरायन १न० श्रान क नाम रूप पर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर पठकठ 11क 9.12 04 खाता संं0 30, 40, 122 से गृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज, अवधराम पुत्र बैजनाथ, रागजीत नाठबाठ 10 वर्ष संठ श्रीमती कलावती (मॉ) श्रीमती कलावती पत्नी स्वठ बैजनाथ निठ द्योद्यनखेडा मठ ग्राम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार नाठतठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क / 23 / 23 06.09 खाता 25 पर दर्ज भगवानदीन पुत्र चेतराग के रथान पर श्रीमती भगवानदेई पत्नी चेतराम दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क २४.०७. 09 खाता सं0 25, 26, 122 पर मृतक भगवानदेई के स्थान पर उषा पत्नी नन्हें पुत्री चेतराग नि0 भदरूख का नाग बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खाातेदारों में श्री सन्तराग द्वारा अपने हिस्से की 1/9 गाग, श्रीमती सरजूदेई, ऊषा, रूपरानी व शिवदेवी द्वारा अपने हिरसे प्रत्येक 1/3 भाग भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद रो दर के सम्बन्ध में किये गर्थ अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४४ :-

भूमि खसरा संख्या 1619 रकबा 0.253 है0, 1624/1/0.025 है0, 1659/0.189 है0. 1670/0.278 乾0, 1671/0.139 乾0, 1672/0.126 乾0, 1673/0.291 乾0, 1716/0.152 乾0. 1717/0.089 〒0, 1751/0.190 〒0, 1752/0.240 〒0, 1753/0.215 〒0, 1754/0.430 〒0, 1890 / 0.783 है0 कुल 3.400 है0 भूभि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केंसराम पुत्र उल्ल, रामनरेश पुत्र जगदेव, रामदास पुत्र घना, सत्रोहन लाल पुत्र घना श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू पुत्री डोरी श्रीमती सुन्दारा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान राठ निठ महोदय जरिए पठकठ 11क कमांक 33/8.09.04 हारा खाता सं0 44 से मृतक रामदास पुत्र धना के स्थान पर राम शिहः पुत्र रामदारा व श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० रामदास नि० ग्राम का नम्म बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अकित है। पुन आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० 11क / 24.06.06 खा०स० 42, 44 से मृतक राम नरेश के स्थान पर श्रीमती विश्ननदेई पत्नी स्व0 राम नरेश नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 1163/23.09.08 गाटा सं0 1752/0.240 है0. 1753/0.215 है0. 1754/0.430 है0 कुल 2.694 है0 का 1/6 भाग 0.455 व खाता सं0 298 के गाटा सं0 1611/0.632 का 1/4 भाग 0.152हे0 से सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे का नमा निरस्त करके हुकुमचन्द्र पुत्र होशियार सिंह नि0 जतौली हेली मण्डी जिला गुडगाँव का नाम सं0 भू० द्वारा बैनामा अकित किया जायं। खाते को अन्य सहखोतदारों के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। पून आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सठ 1164/23.09.08 गाउँ की



291, 1716/0.152, 1717/0.089, 1751/0.190, 1752/0.240, 1753/0.215, 1759/0.430 है0 कुल 2.694 है0 का 1/6 भाग रकबा 0.455 है0 व खाता सं0 298 की गाटा सं0 1611/0.632 है0 का 1/4 भाग 0.152 हे0 से जगदीश पुत्र पितई का नाम निरस्त करके हुकुमचन्द पुत्र होशियार सिंह नि0 जतौली हेली मण्डी जिला गुड़गॉव हिरयाणा का नाम बतौर सं0 भू० द्वारा बनौामा अंकित किया जाय खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदारों में श्रीमती सुन्दारा द्वारा 0.28334 हे0, श्री सत्रोहन, श्री राम सिंह व श्रीमती शान्ती द्वारा 0.56667 हे0 व श्री सुरेन्द्र द्वारा 0.06533 हे0 भाग कुल 0.91534 हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आदास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 52 :-

भूमि खसरा संख्या 1577 रकबा 0.164 है0 व 1782/1/0.088 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशीप्रसाद व बाबूलाल पुत्रगण सूरजबली व श्रीमती विलाशा देवी पत्नी सूरज बली नि0 धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खाातेदारों ने पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६५ :-

भूमि खसरा संख्या 1922 रकबा 0.159 है0, 1923/0.182 है0, 1924/0.253 है0 कुल 0.594 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त नूमि राजस्व अभिलेखों में गौरीशंकर पुत्र कुशहर व नौमीलाल, राग जुगार, सालिगराम, गंगा राम, हरीलाल, रामचन्द्र, रामसनेही पुत्रगण सीताराम, श्रीमती रामियारी बेवा सीताराम नि0 विरूश के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री गौरीशंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग, श्री नौमीलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग श्री गंगा राम द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग श्री रामचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग, श्री गंगा राम द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग व श्रीमती रामपियारी द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठाण आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या १३१ -

भूमि खसरा संख्या 1667/4 रकबा 0.114 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र दुलारे व गनेश, रमेश पुत्रगण जियालाल व श्रीमती रामावती फ्ली जियालाल नि0 ग्रामं के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।



1/6 भाग व श्रीमती रामावती द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता अप है।

खाता संख्या १५७ :-

भूमि खसरा संख्या 1796/1 रकबा 0.228 है0, 1796/2/0.508 है0, 1856/0.013 है0, 1858 / 0.125 है0, 1861 / 0.038 है0, 1891 / 0.316 है0, 1855 / 2 / 0.071 है0 कुल 1.299 है0 मूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नोखे पुत्र मतऊ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर पठकठ 11क दिनांक 20.01.06 खाता संठ 157 पर मृतक नोखे के स्थान पर गोकरन, लालबहादुर पुत्रगण नोखे व सररेस व मंगलू ना0 बा0 कमशः 13, 9 वर्ष पुत्रगण अशोक स0 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी अशोक नि0 सरधुआ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खाातेदारों में श्री: लालबहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग व भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 185 :-

भूमि खसरा संख्या 1758 रकबा 0.202 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती प्यारो पत्नी राम शौतार, श्रीमती जशोदा पत्नी सुखई, श्रीमती पारवती पती सोहन लात, श्रीमती कलावती पत्नी राजाराम नि० बरौना के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित हैं। अभिलिखित खाातेदारों मे श्रीमती प्यारो ने अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात 0.0505 हे0 व कलावती, जशोदा व पारवती ने 0.1515 हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २०६ :-

भूमि खसरा संख्या 1593 रकबा 0.050 हे0, 1626/1/0.468 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती प्यारा पत्नी राग औतार, श्रीमती जसोदा पत्नी सुखई, श्रीमती पारवती पत्नी सोहनलाल, श्रीमती कलावती पत्नी राजाराम नि० बरौना के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खाातेदारों मे श्रीमती प्यारा द्वारा अपने हिस्से की 1/4 माग, श्रीमती जशोदा द्वारा अपने हिस्से की 1/4 माग, श्रीमती पारवती द्वारा अपने हिस्से की 1/4 माग व श्रीमती कलावती द्वारा अपने हिस्से की 1/4 माग भूमि के सम्बन्ध



में ७००० आवास एवं विकास 'पारषद स दर क सम्बन्ध न ।क्य नव जनुन व क जन्म । अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता राख्या २१८ :-

भूगि खरारा संख्या 1732 रकबा 0.253 है0, 1733/0.139है0, 1762/0.316है0, 1800/1/0.063है0, 1803/0.076है0 1804/0.076है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, गंगा प्रसाद, श्यामलाल, पुत्रगण दुर्जन, गरीबे पुत्र परमेश्वर सुरेश ना0 बांठ आयु 15 वर्ष पुत्र छंगा लाल संठ श्रीमती चन्द्रावती (माँ) रामखिलावन पुत्र कल्लू नि० ग्राम के नाग पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनक वाद संठ 178/1288/31.10.08 गाटा रांठ 1665. 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1762, 1800, 1803, 1804 कुल 1.417 है0 बकदर भाग रो राम खेलावन पुत्र कल्लू का नाम निरस्त करके शिवप्रसाद पुत्र लाल बहादुर अस्थायी स्थायी पता चिरैयाबाग उत्तरिया का नाम बतौर संठ भूठ बैनामा अकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खाातेदारों में श्री बाबूलाल, गंगा प्रसाद, श्यामलाल व सुरेश नाठबाठ द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग, श्री गरीबे द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग च श्री शिव प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग मूमि के सम्बन्ध में उठाठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२३ :-

मूमि खसरा संख्या 1667/2 रकबा 0.126 है0. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। अक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में बनवारी लाल, बहादुर पुत्रगण मैकू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अमिलिखित खातिदारों में श्री बहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६१ :-

भूमि खसरा संख्या 1914/5 रकबा 0.379 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुनेश्वर पुत्र पुत्तीलाल नि0 सरथुवा, शिशुपाल पुत्र लेखराज नि0 राग नगर आलमबाग लखनऊ राकेश, संजय, कमल पुत्र लेखराज नि0 सरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना0 त0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क 23/03.06.09 खाता सं0 140 पर शिशुपाल राकेश संजय के पिता का नाम लेखराज के बजाय पुत्तीलाल पता रामनगर आलमबाग लखनऊ के बजाय सरथुवा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदारों में श्री मुनेश्वर द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग, श्री शिशुपाल द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग, श्री शिशुपाल द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग,





खाता संख्या 285 :-

भूमि खसरा संख्या 1668/1 रकबा 0.379 हे0, 1683/2/0.013हे0, 1689/0.100हे0, 1699 / 0.139 है0, 1702 / 0.076 है0, 1703 / 0.164 है0, 1704 / 0.076 है0, 228年0,1707/0.152年0, 1706/0.139年0, 1710/1/0.159年0, 1729/0.253年0, 1741/0.354年0. 1763/0.316है0, 1764/0.291है0, 1767िम0/0.215है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में मातादीन व रामआसरे, महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदीन शंकर व प्यारे रारजवली पुत्रगण भवानीदीन, परीदीन पुत्र देवी मुन्नीलाल बद्री पुत्रगण शीतल निट ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आजाओं मे आदेशानुसार 1411 फ0 श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क कमांक 4/07.05.03 द्वारा खाता साठं 285 से गृतक शंकर पुत्र भवानी के स्थान पर भारत, हरिश्चन्द्र दर्शन प्रेमकुमार पुत्रगण शंकर व श्रीमती भगवानदेई पत्नी स्व0 शकर नि0 द्योद्यनखेड़ा म0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार 1412 फ0 आदेशानुसार श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क कमांक 36/16.09.04 द्वारा खाता0 सं0 285 से मृतक बद्री पुत्र शीतल के स्थान पर मातादीन, रामआसरे महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदीन व भारत, हरिश्चन्द्र दर्शन, प्रेम कुमार पुत्रगण शंकर व श्रीमती भगवानदेई पत्नी सव0 शंकर व प्यारे सूरजबली पुत्रगण भवानीदीन व परीदीन पुत्र बेदी मुन्नीलाल पुत्र शीतल नि० धोद्यनखेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश शकित है। अभिलिखित खातिदारों में प्यारे, सूरजबली, भारत, हरिशचन्द्र, दर्शन, प्रेमकुमार, भगवानदेई द्वारा 1.0765 हे0 गाग व मातादीन, रामआसरे, महावीर व खुशीराम द्वारा 1.0765 हे0माग एवं मुन्नी लाल द्वारा 1.0765 है0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1580/3 रकबा 0.190 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। खाता संख्या २७५ :-उका भूमि राजस्व अमिलेखों में मैकू रामचरन, देवीदथाल पुत्रगण टीकाराम व मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर प०क० 11क दिनांक 27.03.05 खाता सं0 275 से मृतक देवीदयाल के स्थान पर मैकू रामचरन पुत्रगण टीकाराम, मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि० ग्रां० का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खाातेदारों में श्री रामचरन द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राजू द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध म किय गय अनुबन्ध क आधार पर आपनार अमिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३१३ :-

भूमि खसरा संख्या 1836/4 रकबा 0.267 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार नें श्री राजू द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या ३३२ :-

भूमि खरारा संख्या 1708 रकबा 0.379 है0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलाल व बृहमा, राजाराम पुत्रगण भोगई नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खारोदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७० :-

भूमि खसरा संख्या 1805 रकबा 0.152 है0, 1808/0.051है0, 1809/0.025है0, 1810/2/0.016है0, 1823/0.013है0, 1824/0.076है0, 1826/0.063है0, 1827/0.101है0, 1828/2/0.013है0, 1829/2/0.132है0, 1830/1/0.110है0, 1833/0.051है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राघे पुत्र भोला, भूपकुमार पुत्र पुत्तीलाल, विन्ना पुत्र नरायन, सोहनलाल, मेवालाल पुत्रगण छोटे लाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि0 बिजनौर प0क0 11क दिनांक 15.06.09 खाता सं0 128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हिरमजन बालिंग, सुखदेव, विशुनदेव नाठबाठ आयु कमशः 12, 9 वर्ष संठ श्रीमती राघार पत्नी स्व0 मेवालाल नि0 द्योद्यनखेड़ा म0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। आदेश वहवाला खाता सं० 128 पर दर्ज है। अभिलिखित खातिदारों में से भूप कुमार द्वारा 1/6, बुद्धू द्वारा 1/24 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्रठ आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७४ :-

भूमि खसरा संख्या 1760 रकबा 0.215 है0, 1771/0.056हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामदुलारी पत्नी किशन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फुराली भाग मूर्गि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद स दर क सम्बन्ध न १५४५ १५ जाउन न आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या ४३७ :-

भूमि खसरा संख्या 1511 रकबा 0.622 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ, सुन्दारा पत्नी कल्लू, जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र धसीटे, रामदास पुत्र धना, सत्रोहन लाल पुत्र धना नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे मृतक रामदास के स्थान पर रामसिंह पुत्र रामदास व श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी स्व० रामदास का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 379/23.12.08 गाटा सं० 1611/.632 है0 के बकदर माग मे से 0.0126 है0 से श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व० कल्लू का नाम निरस्त करके राममिलन पुत्र नौमीलाल नि० देवामऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री राम सिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/12 भाग, श्रीमती शान्ती द्वारा अपने हिस्से की 1/12 अर्थात 0.20733हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४८१ :-

भूमि खसरा संख्या 1580/4 रकबा 0.190 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सरजू देई पत्नी रामदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती सरजूदेई द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४८४ :-

भूमि खसरा संख्या 1580/2 रकबा 0.746 है0, 1926/1580/0.181है0, 1595/1/0. 190है0 1598/2/0.755हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखराज व रामनरायन पुत्रगण मोहनलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1350 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारो द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकः अभिनिर्णीत किया जाता है।



भूमि खसरा संख्या 1619 रकवा 0.253 हे0, 1624/1/0.025हे0, 1659/0.189हे0 79
1670/0.278हे0, 1671/0.139हे0, 1672/0.126हे0, 1673/0.291हे0, 1716/0.152हे0,
1717/0.089हे0, 1751/0.190हे0, 1752/0.240हे0, 1753/0.215हे0, 1754/0.430हे0, 1890/0.
183हे0 भूमि का आर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्टा, रामनरेश पुत्र जगदेव, रामदास पुत्र धना, शत्रोहनलाल पुत्र धना, श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू पुत्री डोरी, श्रीमती सुन्दास बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र धसीटे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन्कस्ती 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बधी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार नगर वाद संख्या 977/90/16.06.10 गाटा संख्या 1619/0.253, 1624/1/0.025, 1659/0.266, 1670/0.278हे0, 1671/0.139हे0, 1672/0.126हे0, 1673/0.291हे0, 1716/0.152हे0, 1717/0.089हे0, 1751/0.190हे0, 1752/0.240हे0, 1753/0.215हे0, 1754/0.430हे0 के बकदर गाग से केसराम पुत्र डल्ला का नाम निरस्त करके घन्दरोन पुत्र ननकू का नाग दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री चन्द्रसेन द्वारा क्रय की गयी भूमि 0.449हे0 के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता सख्या-280

मूमि खसरा संख्या 1656/5 मि0 रकबा 1.557 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। वका भूमि राजस्व अमिलेखों में श्रीमती मोहनी देवी पत्नी गिरधर सिंह दिलीप सिंह, गंगा सिंह पुत्र कुँकर सिंह, नरायन सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी तेलीबाग, श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी भूपाल सिंह नेगी नि0 557/2711/75 ओग नगर, आलमबाग, श्रीमती पारवती देवी पत्नी नन्दा वल्लभकाण्ड नि0 सम्माही खेत जिला वागेश्वर, उत्तराचंल श्रीमती आशा देवी पुत्री गिरघर सिंह नि० तेलीबाग के नाम पूर्व सन फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नाठतठ बिजनौर वाद संख्या 830/5.06.09 गाटा संठ 1656/1.557हेठ के बकदर भाग से जीवन सिंह, चरन सिंह पुत्रगण गंगा सिंह व श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 गंगा सिंह द्वारा मुख्वारेआम पूषा उपराणी पत्नी चरन सिंह व राजेश यादव पुत्र किशोरी लाल का नाम निरस्त करके गोल्डन आई टाउन प्लानर्स प्रा० लि०, ३३ कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि0 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है।पुनः आदेशानुसार ना०त० बिजनौर दिनांक 02.07.09 हारा आदेश दिनांक 05.06.09 आंशिक संशोधन करते हुये केता ऐसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्रा0 लि0, 33 कम्यूनिटी सेन्टर, न्यू फेन्ड कॉलोनी, न्यू दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा नि0 1/76 विपुल खण्ड गोगती नगर, लखनऊ का नाम सं0 भू0 द्वारा बैनामा पढा जाय के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार बिन्द्रा द्वारा 0.474 है0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत क्रिया जाता है।

साता संख्या 1 :-

भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 0.148 हं0, 31/0.241हे0, 32/0.019हे0, 33/0.093हे0, 36/0.030हे0, 37/0.089हे0, 38/0.356हे0, 43/0.063हे0, 44/0.048हे0, 45/0.134हे0, 35/0.061हे0, 39/0.010हे0 कुल 1.342हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन, सहदेव, शत्रोहन पुत्रगण चौहान नि0 सेवंई के नाम पूर्व सन् फसली 1403 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री अर्जुन द्वारा 1/3 भाग, श्री सहदेव द्वारा 1/3 भाग व श्री शत्रोहन द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.728 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण नि0ग्राग के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री उमेश कुमार द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 --

भूमि खसरा संख्या 421 रकबा 0.350 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों मे दुलारे, श्रीकृष्ण, रज्जन पूत्रगण गुरू प्रसाद, दशरथ सिंह अव0आयु 16 वर्ष पुत्र राधे सं0 श्रीकृष्ण (चाचा) के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री रज्जन द्वारा 1/4 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५४ :-

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747 है0, 225/1.567है0, 369/0.022है0, 370/0.035है0, 372/0.049है0, 373/0.025है0, 375/0.219है0 कुल 2.664 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में बृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण चेतई, महेन्द्र कुगार, देवेन्द्र कुगार पुत्रगण नेवाजीलाल श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि0 जयसिह खेडा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रंणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६९ :-

भूमि खसरा संख्या 403 रकबा 0.031 हे0, 404/0.551हे0, 405/0.272 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेश पुत्र भगवानदीन नि0 डिप्टीगंज 77 हिस्हरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिहार श्री महेश द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकाश परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

स्राता संख्या ८१ :--

भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.018 है0, 290/0.114है0, 291/0.063है0, 322/0.013है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राकेश कुमार, सुजीत कुमार सुनील कुमार पुत्रगण बैजनाथ, जगदम्बा प्रसाद जगतनरायण पुत्रगण राम औतार नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकत है। अभिलिखित खातिदार श्री राकेश कुमार द्वारा 1/6 माग, श्री सुनील कुमार द्वारा 1/6 भाग व श्री सुजीत कुमार द्वारा 1/6 माग भूमि के सम्बन्ध में उठप्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या १०४ :-

भूमि खसरा संख्या 157 रकबा 0.011 है0, 317/0.052है0, 318/0.026है0, 327/0. 175है0, 328/0.036है0, 329/0.056, 330/0.071है0, 493/0.057है0 कुल 0.484है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण हनोमान नि०ग्राम के नाम पूर्व सन फसली 1379 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री रामसेवक द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के रणबन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १५४ :-

भूमि खसरा संख्या 367 रकबा 0.115 है0, 368/0.197हे0, 371/0.025हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयादीन पुत्र तेजा नि0ग्राम के नाम पूर्व सन फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री भुइयादीन द्वारा पूर्ण माम भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

2विशा - ₹> 7 भूग खसरा संख्या 346 रक्षण 0.013 वर्ण, उन्तर, व.0312. 038हे0, 377 / 1िम0 / 0.077हे0 कुल 0.312हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र राम औतार के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री रामसेवक द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०ए० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता

खाता संख्या 2 :-

भूमि खसरा संख्या 81 रकबा 0.018 है0, 82/0.058है0, 83/0.104हे0 कुल 0.180हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन प्रसाद पुत्र नान्हू नि0ग्राम के नाग पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री अर्जुन द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 5

भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 0.139 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त मूमि राजस्य अगिलेखों में अक्धेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रागस्वरूप, रामकली विधवा शम्भूदयाल ग्रामवासी राग कुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठक0 11क 16.02.07 खाला संख्या 5, 6, 7 से मृतक रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चित्रमान पुत्री शम्भूदयाल ि10 ग्रांग का नाग बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश नावतव विजनौर दिनाक 30.05.07 द्वारा २१० नि0 निजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 वाद के निस्तारण तक स्थिगत किया जाता है। पूनः आदेश नाठतठ बिजनौर वाद संठ 301/15/16/60/202/01/23.04.08 खतौनी वर्ष 1414-1419 फ0 के खाता सं0 5, 6 7 पर अंकित राजरव निरिक्षक बिजनौर का 40 क0 11 क का आदेश की पृष्टि की जाती है तथा स्थगन आदेश दिनांक 30.05.07 निरस्त किया जाता है। पुन आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनक वार सं0 2/419/16/38/86/29.09.08 धारा-34 अवधरानी बनाम रामस्वरूप अवधेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दायर नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2001 निरस्त किया जाता है तथा खतीनी फसली वर्ष 1414-1419 फ0 के खाता संख्या 5 व 6 व 7 व 8 पर अंकित खातेदारों का नाम यथावत रखा जाता है। अभिलिखित खातिदार श्री अवधेश कुमार द्वारा 1/8 तथा श्रीमती निर्मला व उर्मिला प्रत्येक द्वारा 1/4 भाग भूनि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 6 :-

भूमि खसरा संख्या 239 रकवा 0.126 हे0, 301/0.455हे0, 436स/0.152हे0, 437/0. निर्ड) 114हैं0 गूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण राम स्वरूप श्रीमती रामकली विचवा शम्भूदयाल ग्रामवासी रामकुभारी पत्नी शिव लित, आनन्द कुमार नि0 ग्रामवासी राम कुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु0 शकुन्तला पत्नी स्व0 कृष्ण कुमार नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार राए नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 16.02.07 खाता सं० 5.6.7 से मृतक रागकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चित्रमान पुत्री शम्भू दयाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना०त० बिजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। पुनः आदेश तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 56/97/1149/30.01.10 गाटा सं0 301/0.455 है0 के बकदर आं रकबा 0.152 है0 से विकेता आनन्द कुमार पुत्र अभ्बिका प्रसाद का नाग निरस्त करके केता अंजनी कुमार तिवारी पुत्र हरि नारायण तिवारी नि0 ग्राम व पोस्ट करोरा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० 11क / 6.02.07 खाता सं0 5,6,7 से मृतक रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चित्रमान, शम्भूदयाल नि० ग्राम का नमा बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० बिजनौर दिनांक 30.05.07 द्वारा रा० नि० बिजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। अभिलिखित खाातेदार श्री अवधेश द्वारा 0.05294हे0, श्रीमती र्जर्मिला व श्रीमती निर्मला द्वारा 0.21175है0 भाग, श्री आनन्द कुमार द्वारा 0.05975है0 भाग, श्री अंजनी कुमार तिवारी द्वारा 0.152हे0 भाग, श्री सतेन्द्र, श्री देवेन्द्र, श्री रामकुमार व शकुन्तला द्वारा 0.15881 हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है!

मूमि खसरा संख्या 435 रकबा 0.304 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त मूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप राम कुमारी पत्नी शिव लित, रामकली विधवा शम्भू दयाल राकेश कुमार, सुजीत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण वैजनाथ, जगदग्वा प्रसाद, जगतनरायन, पुत्रगण औतार नि० ग्रा० वा० आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद ग्रामवासी रामकुमार पुत्र कृष्ण कुमार मुं० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार, सुनील कुगार पुत्र नौमीलाल, लवकुश ना० बा० 10 वर्ष पुत्र पुत्र नौमीलाल सं० मुं० प्रेमा माता स्वंय प्रेमा पत्नी स्व० नौमीलाल नरेन्द्र कुमार ना०बा० आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम संरक्षक प्रेमा



पत्नी स्व0 राधेश्याम व प्रेमा पत्नी स्व0 राधश्याम, काशा प्रसाद बाबूलाल पुत्रगण रूपववता गण अगर प्रिमानी विलासा देवी पत्नी स्व0 सूर्यबली के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूर्मिंधर अकित है। आदेश एवं परिर्वतन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क 160207 खाठ संठ 5,6,7 से मृतक रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उमिला पत्नी वित्रमान पुत्रो शम्भूदयाल निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ताठ तठ बिजनौर दिनांक 30.05.07 द्वारा राठ निठ बिजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 वाद के निस्तारण तक स्थित किया जाता है। अभिलिखित खातेदार श्री अवधेश कुगार द्वारा 1/32 माग, निर्मला द्वारा 1/16 भाग, उर्मिला द्वारा 1/16 भाग, सुनील कुमार द्वारा 1/48 भाग श्रीमती प्रेमा द्वारा 1/48, लवकुश नाठबाठ द्वारा संठ माता श्रीमती प्रेमा द्वारा 1/48 भाग, काशी द्वारा 1/24 भाग, बाबूलाल द्वारा 1/24 भाग, विलासा द्वारा 1/24 भाग, राकेश द्वारा 1/24 भाग, सुजीत द्वारा 1/24 जगदम्बा द्वारा 1/16 भाग, जगत नरायन द्वारा 1/16 भाग भूगि के सम्बन्ध में उठिय आवास एवं विकास परिवद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिजीत किया जाता है।

खाता सख्या १ -

भूगि खसरा संख्या 182 रकबा 0.423 है0, 299/0.326है0, 305/0.025 है0 कुल 0.774 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुगार पुत्र राग स्वरूप राग कुगार पुत्र कृषा कुगार मु0 शकुन्तला पत्नी स्व0 कृष्ण कुगार सतेन्द्र कुगार, देवेन्द्र कुगार पुत्रगण राग स्वरूप नि0 ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार डिप्टी कलेक्टेर (राजस्व) लखनऊ वाद रां० 14/21/08-09/15.10.08/18.02.09 धारा 176 गाटा सं0 256/2 10-0174 गा० गु० 0.43 व 435/1/0.0095 गा० गु० 0.24, 299/0.326, 182/2/0.423, 305/0.025 है0 कुल 0.774 है0 गा० गु० 33-42 लाल रंग पर अवधेश कुगार पुत्र रागस्वरूप नि0 ग्राम का नाम दर्ज हो तथा गाटा सं0 256/1/0.1216 गा० गु० 3-02 व 435/2 10-2945 गा० गु० 7-26 से व गाटा सं0 17/0.050, 20/0.030, 21/0.048, 22/0.025, 23/0.052, 24/0.202, 42/0.046, 182/1/0.701, 184/1.093अभिलिखित खातिदार श्री अवधेश द्वारा 0.774 है0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १४ :--

भूमि खसरा संख्या 431स रकबा 0.006 है0, 432स/0.153है0, 433स/0.113है0, 434स/0.044है0, 506स/0.003है0, 391/0.082है0, 409/0.200है0, 444/2.187है0, 446/0.018है0, 447/1.197है0, 456/0.202है0, 457/0.010है0, 459/0.039है0, 464/0.104है0, 465/0.068है0, 484/0.371 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा, राम

श्री तत्त्वन द्वारा अपने हिस्से की 1/15 अर्थात 0.3198 हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध म उ०५० आपारा एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता

खाता संख्या 20 :--

भूमि खसरा संख्या 106 रकवा 0.349 है0, 352मि0/0.076है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार, रामजीत, हरिश्चन्द्र पुत्रगण मुझ्यादीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकंद है। अभिलिखित खातेदार श्री कृष्ण कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग अर्थात 0.14167है0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 25 :-

भूमि खसरा संख्या 2083 रकबा 0.026 है0, 2084/0.147है0, 362/0.112है0, 364/0.102है0, 365/0.135है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में काशी प्रसाद, बाबूलाल पुत्रगण सूर्यबली नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री काशी प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग व श्री बाबू लाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६० :--

भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.739 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कालिका ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 33,60 से मृतक बाबादीन के स्थान पर कृपाशंकर पुरूषोत्तमलाल पुत्रगण बाबादीन नि० ग्राम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ वाद सं० 115/07-08 धारा 166/167 उ०प्र० ज०वि०अधि० सरकार बनाम अंजनी कुमार तिवारी ता० फै० 26.08.09 ग्राम धुसवलकलों की गाटा सं० 150/0.759 हे० के बकदर भाग से रकबा 0.0696हे० से कृपा शंकर पुत्र बाबादीन नि० ग्राम नाम निरस्त होकर समस्त भार बन्धन से गुक्त होकर राज्य सरकार के पक्ष मे निहित की जाय। (द्वारा आदेश प्रति) पुनः आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर वाद सं० 301/26.09.09 गाटा स० 150/0.739 है० मे से रकबा 0.012हे० मा० गु० 60 ख से पुरुषोत्तम पुत्र स्व० बाबादीन नि० ग्राम का नाम निरस्त करके

संठ भू० द्वारा बेनामा आंकत करन के आदश दण है। आगाणाख्य खायनार कारावार कारावार के सम्बन्ध में हिस्से की 0.012है० भाग भूगि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ७४ :-

भूमि खसरा संख्या 505 रकबा 0.006 है0. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहकम पुत्र लिखई नि० घुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार नाठतठ बिजनौर वाद सं० 135/813/17.10.06 गाठसठ 339/0.746, 505/0.006 से वसीयत फर्ता मृतक गोहकम पुत्र लिखई का नाम निरस्त करके वसीयत प्राप्तकर्ता राजेश कुमार पुत्र श्याम लाल नि० घुसवलकलों का नाम सं० भू० द्वारा पँजीकृत वसीयतनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न0भू० सी० लखनऊ पत्रांक 13/अमल दरामद/न0भू०सी० 10 दिनांक 07.01.08 के अनुपालन मे सं० 2748/12.11.92 गाटा सं० 218मि० रकबा 5663.89 वर्ग० मीठ 339/7961.42 वर्गमी० कुल रकबा 13125.26 वर्ग मीठ हुबराजा का नाग निरस्त करके अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री राजेश कुमार द्वारा उपने हिस्से की 0.006है० भूमि के सम्बन्ध में उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणींत किया जाता है।

खाता संख्या ८१ :-

मूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.018 है0, 290/0.114है0, 291/0.063है0, 322/0.

013 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राकेश कुमार, सुजीत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण बैजनाथ जगदम्बा प्रसाद, जगत नरायन पुत्रगण राम औतार नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री जगदन्बा द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग व श्री जगतनरायन द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग मूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता सख्या ८३ :-

भूमि खसरा संख्या 417 रकवा 0.194 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम, बाबूलाल पुत्रगण धनू नि0 ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री राजाराम द्वारा अपने हिस्से की





साता संख्या ९२ :-

भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 0.831 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र भगवानदीन नि0 ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से अंगी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क / 07.02.08 खाता सं0 92 से मृतक रामरतन के स्थान पर उमेशचन्द, मुकेश चन्द्र, अजय कुमार, प्रदीप कुमार, चन्द्रहास पुत्रगण स्व0 रामरतन व श्रीमती मैका देवी पत्नी स्व0 रामरतन नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अजय कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग अर्थात 0.1385 है0 माग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ९४ -

गूगि खसरा संख्या 273अ रकबा 0.074 है0, 163/0.035है0, 263/0.114है0, 264/0. 298है0. 265/0.094है0 कुल 0.615है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में रामशंकर पुत्र जंगली नि0 ग्राम छोटेलाल पुत्र रामदास नि0 ग्राम दिवाकर रावत पुत्र राम कुमार नि0 कुण्डराकला के नाम पूर्व रान फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर आंकेत है। आदेश वहवाला खाता सख्या—93 पर दर्ज है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क/15.06.07 खाता सं0 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री मुरारी द्वारा अपने हिस्से की 1/2 गाम अर्थात 0.05125है0 माम भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

स्वाता संख्या ९६ -

भूमि खसरा संख्या 411 रकबा 0.116 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्ता भूमि राजरव अभिलेखों में रागशंकर, अशोक पुत्रगण गजोधर, राजीव कुमार, रामिमलन, पवन कुभार पुत्रगण कल्लू प्रसाद मु0 सुखराना बेवा कल्लू प्रसाद नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री अशोक द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राजीव कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री पवन कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री राम मिलन द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, सुखराना द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, व श्री राम शंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात 0.029हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र0 आवास हुन्वं

खाता संख्या ९७ :-

भूमि खसरा संख्या 121 रकबा 0.417 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में रामसजीवन, पवन कुमार पुत्रगण ईश्वरदीन, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व0 ईश्वदीन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/10.03.08 खाता रा० 97 रो गृतक रामसजीवन के स्थान पर नितिन, अभिषेक ना०बा० आयु कमशः 6 व 5 वर्ष रा० रामकुमारी माँ पुत्रगण रामसजीवन व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व0 रामसजीवन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 124 :-

भूमि खसरा संख्या 276 रकबा 0.702 है0, 277/0.010हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरवन कुमार अवध कुमार मनोज कुमार पुत्रगण गुरू प्रसाद नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री श्रवण (सरवन) द्वारा अपने हिस्से की 1/3 अर्थात 0.23734हे0 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १४६ :-

भूमि खसरा संख्या 359मि0 रकबा 0.247 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती विशुन देवी पत्नी सुन्दर सिंह कमल सिंह मण्डारी नि0 एल0-9ए जेल रोड चारबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1411 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्रीमती विशुन देवी द्वारा अपने हिस्से की 1/2 व श्री कमल सिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/2 गाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 153:-भूमि खसरा संख्या 357मि0 रकबा 0.063 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अभिलेखों में दिनेश पुत्र लक्ष्मी नरायन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2



ग्मि खसरा संख्या 109 रकबा 0.206 है0, 110/0.202है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद गंगाराम पुत्रगण राम किशुन ग्राठवाठ श्रीमती निधी गोयल पत्नी अभय कृष्ण नि0—2 पार्क लैन हजरतगंज, लखनऊ रामचरन पुत्र परागी नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री निधी गोयल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि अर्थात 0.204 है0 भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ४३

भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 0.253 है0, 80/0.516है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में गंगाराम पुत्र लाला ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री गंगाराम द्वारा पूर्ण भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 52 :--

भूमि खसरा संख्या 198 रकबा 0.332 है0 कुल 0.332 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र औसान ग्रागवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री छोटेलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ६२ :-

भूमि खसरा संख्या 21 रकबा 0.366 है0, कुल 0.366है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दोस्त अली, लियाकत अली, अब्बास अली व हजरत अली पुत्रगण

बहमर का नाम निरस्त करक गांo अबरार पुत्र अब्दुल गपफार 1-10 तलाबान बाजार खारका लखनज हा तम बतौर सं० मू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री मो० असार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुस्य के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान (८८) स्वमित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

वाता संख्या 72 :-

भूगि खसरा संख्या 202 रकवा 0.346 है0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त मूमि राजस्व अभिलेखों में नन्द किशोर पुत्र पंचम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नन्द किशोर द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ८६ :-

भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 0.249 हे0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त गृगि राजस्व अभिलेखों में परीदीन पुत्र खुशाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क राक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री परीदीन हारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्रठ आवास एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साहय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 114

भूगि खसरा संख्या 159 रकवा 0.269 है0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में वृजमोहन पुत्र तुलसी सम नि० धावाहार सेवई व राजेश कुमार यादव पुत्र विहारी लाल नि0 मेन्डुसाराराय चेलदार लालवाम लखनऊ व प्रेमसामर उर्फ नन्हकऊ पुत्र घूरू प्रसाद यादव नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मृगिधर अंकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार नाठवंठ विजनीर वाद संट 662/06 माटा संठ 159/0.269 हैं। मां० गुंठ 60 रव के वकदर भाग से बृजगोहन पुत्र तुलसीराम निo ग्राम घावाडार मंठ सेवई का नाम निरस्त करके जनार्दन प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव नि० शारदा नगर निलगथा लखनऊ का नाग सहस्रातेदार बतौर स० भू० द्वारा बैनामा अकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित स्वातेदार श्री

67

खाता संख्या 121 :-

भूगि खसरा संख्या 82 रकवा 0.263 है0, भूभि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूराम, राम कुमार पुत्रमण केदार व गोमती पुत्र ब्रम्हा व श्रीमती राजरानी पत्नी स्व0 ब्रम्हा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूराम, श्री राम कुमार, श्री गोमती, श्रीमती राजरानी द्वारा अपने हिस्से की भूमि हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपित प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

स्राता संख्या 122 :-

भूमि खरारा संख्या 65 रकबा 0.164 है0, 67/0.008है0, 68/0.025है0, 81/0.046है0, 85/0.220है0 कुल 0.463है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उच्च भूमि राजरव अगिलेखों में बाबूराम व राम कुमार पुत्रगण केंदार व गोमती पुत्र ब्रह्मा व श्रीमती राजरानी पत्नी रच0 ब्रम्हा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूराम, श्री राम कुमार, श्री गोमती, श्रीमती राजरानी द्वारा अपने हिस्से की भूमि हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्ता खरारा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपित प्राप्त हुयी है जिसमें विग्रहीगण को भुगतान न करने हेतु यानना की गयी है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान खामित/पर्याप्त साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र /अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 123

भूगि खरारा संख्या 158 रकवा 1.026 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में बाबूलाल, ओम प्रकाश पुत्रमण भोगनाथ व गुरूदेव पुत्र इन्द्रपाल नि0 घावाहार मजरा सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1395 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री वान्लाल द्वारा अपने हिरसे की 1/3 भाग, श्री ओम प्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्री ओम प्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्री गुरूदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूगि हेत् उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दूर

स्राता संख्या १३३ :-

भूमि खसरा संख्या 200 रकबा 0.209 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजख अभिलेखों में भगवानदीन पुत्र जियालाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी । क रांक्रगणीय भूमिवार अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार श्री भगवानदीन द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु २००० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किथे गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साहय प्रस्तुत करने पर प्रतृतिखत व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

साता राख्या १४२ :-

भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 0.347 हैं। भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अमिलेखों में भोगनाथ पुत्र पितम्बर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर हारा पठका 11क/18.06.09 खाता संख्या 142 से मृतक भोगनाथ के स्थान पर इन्द्रपाल यादव व बाबुलाल यादव व जमगोहन यादव व ओम प्रकाश यादव पुत्रमण रवठ भोगनाथ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग श्री जगमोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग श्री जगमोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग श्री ओमप्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग व श्री इन्द्रपाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात कुल 0.334 है। भाग भूमि हेतु उठप्रव आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये भये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्यापा सादय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या १४४

भूगि खरारा संख्या 209 रकबा 0.254 है० भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में मनीराम, मलखान पुत्रमण मथुरा नि० घावाहार म० सेवर्ड के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर ऑकत है। अगिलिखित खातेदार श्री मनीराम द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माग, श्री मलखान द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एव विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है। अगिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

गृमि राजस्व अभिलेखों में महाबीर पुत्र जियालाल ग्रागवारी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री महाबीर द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वाभित्व/पर्याप्त साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 179 —

भूमि खसरा संख्या 53 रकवा 0.405 है0, 96/0.759है0 कुल 1.164 है0 भूमि का

अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों में रज्जोदेई पुत्र सोहन ग्रामवासी के नाम पूर्व

सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रज्जोदई द्वारा

पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार

पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अगिनिर्णीत प्रतिकर का गुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत

करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियगानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या १९३ :

भूगि खरारा संख्या 136 रकवा 0.437 है0, 267/0.457है0, 5/0.618है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में राजेन्द्र कुमार, राम कुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल निक्त ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकिट है। अभिलिखित खातेदार श्री राम कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री सुरेश कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री साजेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात कुल 1.512हैक भाग भूगि हेत् उठाउठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का मुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

1373 रो श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री रामकुमार द्वारा अपने हिए हिस्से की 1/2 भाग व श्री राम किशोर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेत् उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साहय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संस्था 231

भूगि खसरा संख्या 210 रकवा 0.236 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में राम नरेश, राम मिलन पुत्रगण दुलारे ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रागमिलन द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात 0.118हे0 भाग भूगि हेत् उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अगिनिणीत प्रतिकर का भूगतान स्वामित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिसित यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता राख्या २४० :-

भूमि खरारा संख्या 79 रकवा 0.534 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में रामपाल, शिवरतन पुत्रमण छेदा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनक वाद सं० 401/162/13.11 09 गाटा सं0 79 रकवा 0.534 है0 के बकदर भाग रकवा 0.267 है0 गा0 गुठ 60 ख रो विकेता रामपाल पुत्र छेदा का नाम निरस्त करके केता वाबू पुत्र टीकाराम नि0 ग्राम बरौली खलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाग बौतर सं0 भू0 द्वारा बैनामा अकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री शिवरतन द्वारा अपने हिस्से की 1/2 गाग अर्थात 0.267हैं0 भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है। उका खरारा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीमण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

63

फराली 1373 रो श्रेणी 1 क रांक्रमणीय भूगियर अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार श्री तुलरोशिम हारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात 0.552 हैं0 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २६१ :-

भूमि खरारा संख्या 166 रकवा 1.191 हें० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त मृगि राजरव अगिलेखों में श्यामादेवी यादव पत्नी सूरजपाल यादव नि० पिपरौली प्रताप पुत्र रामदीन नि० ग्रामके नाग पूर्व रान् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) लखनऊ वाद रां० 501/789/28.02.06 गाटा संठ 166/1.201 का वकदर प्रताप पुत्र रामदीन का नाम खारिज करके श्री भगवान पुत्र स्वठ जमुना प्रसाद नि0 छोटा बरहा आलगवाग शहर लखनऊ का नाग वतौर सहखातेदार स0 गू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पून: आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) दि० 17.04.06 द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा एक पक्षीय आदेश दि० 28.02.06 आंशिक संशोधन करते हुए विकीत भूगि रांठ 166 में विकेता के साथ केता श्री भगवान का नाग वतीर सहखातेदार संठ भूठ दर्ज करने के आदेश अंकित है। पूनः आदेशानुसार नाठता विजनीर वाद रांठ 239/30,01.08 गाटा संठ 166/1.201 में से 0.0953 से प्रथम विकेता प्रताप पुत्र रवि समदीन एवं द्वितीय विकेता विनोद कुगार यादव पुत्र स्व0 बाबूलाल यादव का नाम निरस्त करके श्रीमती राजकुमारी पत्नी रामसनेही यादव नि0 555ज / 2 मेंहदी खेड़ा मानकनगर, आालगबाग लखनऊ का नाग स० भू० द्वारा बैनामा अकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री भगवान द्वारा अपने हिस्से की 0.506हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का गुगतान स्वागित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २५१ :-

भूमि खसरा संख्या 318 रकवा 0.178 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखीं में लल्लू सिंह यादव पुत्र समलाल यादव नि0 विरईबाग शिवरतन पुत्र मेडई नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री लल्लू सिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माग अर्थात 0.089 है0 भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।





भूगि खरारा रांख्या 146 रकवा 1378हैं0, 181/0.333हैं0 कुल 1.711है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में श्याग सुन्दर श्री कृष्ण पुत्रमण नीलकंड ग्रागवारी के नाग पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 के रांक्रमणीय भूगिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं मे आदेशानुसार राठ निठ बिजनीर द्वारा ५० कठ 11क/13.07.07 खाता सठ 30, 263, 264 से मृतक श्यामसुन्दर के स्थान पर बुद्धू पुत्र श्यामसुन्दर निठ ग्राग का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बुद्धू द्वारा अपने हिस्से की 1/2 अर्थात 0. 8175हैं0 भूगि हेतु उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अगिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २६९

भूगि खसरा संख्या 235 रकवा 0.264 हे0, 236/0.051हे0 कुल 0.315हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा हैं। उक्त भूगि राजस्व अगिलेखों में शकर, मनेशी, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रमण घूरू नि0 जवाहिर खेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1386 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री शंकर, श्री मनेशी, श्री नान्हू व नन्हकऊ प्रत्येक द्वारा अपने हिस्से के 1/4 भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अगिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 288 -

भूगि स्वरारा संख्या 194 रकवा 0.196 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उका भूगि राजस्व अभिलेखों में सन्तू पुत्र जियालाल ग्रामवाशी के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री सन्तू द्वारा पूर्ण भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २९९ :-

भूगि खरारा संख्या 33 रकवा 0.202 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अगिलेखों में सुखदीन पुत्र पितम्बर ग्रागवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1385 से श्रेणी 1 क





खाता संख्या ३०७ :--

भूमि खसरा संख्या 55 रकबा 0.101 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में सुशील कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण राम सेवक उर्फ रज्जाक, श्रीमती रामरती पत्नी रामरोवक उर्फ रज्जाक नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री सुशील कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/3 माम, श्री सुनील कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/3 माम श्री सुनील कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/3 माम यूपि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का मुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३१५ :-

भूमि खसरा संख्या 142स रकवा 0.405 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अमिलेखों में सालिकराम, शंकर, मनेश, नान्हू नन्हकऊ पुत्रमण घूरू मुठ बिटाना बेवा ठाकुर ग्रामवासी कल्लू पुत्र मैकू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1389 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ 11क/24.01.09 खाता राठ 315, 316, 317, 318 से मृतक सालिकराम के स्थान पर समिकेशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रमण सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी रवठ सालिकराम निठमण धावाहार मठ सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कल्लू द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग, शंकर द्वारा 1/12, गनेश द्वारा 1/12, नान्हू द्वारा 1/12, व नन्हकऊ द्वारा अपने हिस्से की 1/12 भाग, राम किशन, दिलीप कुमार, सुशील कुमार, सुमित्रा प्रत्येक ने अपने हिस्से के 1/48 भाग व बिटाना द्वारा अपने हिस्से की 1/12 भाग भूमि हेतु उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। श्री राम किशन द्वारा आपति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान रवामित्व/पर्यादा साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३१६ :-

भूगि खरारा संख्या 163 रकवा 0.441 हे0, 182/0.313हे0 कुल 0.754हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में सालिकराम, शंकर, मनेश, नान्ह, नन्हकऊ कुमार, दिलीप कुमार पुत्रमण सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० सालिकराम नि०मण घावाहार म० सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार श्री समिकेशन द्वारा अपने हिस्रों की 1/24 गाम, सुशील कुमार द्वारा 1/24, दिलीप कुमार द्वारा 1/24, सुमित्रा द्वारा 1/24 अर्थात 0.1257हें० व विदाना द्वारा पूर्ण भाग का 1/6 भाग अर्थात 0.1257हें० भाग कुल 0.2514हें० भूगि हेतु उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का मुमतान स्वामित्व/पर्याप्त साहय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३१८

भूमि खसरा संख्या 112 रकवा 0.152 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों में सालिकराम, शंकर, मनेश, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रमण घूरू, बिटाना विधवा ठाकुर ग्रामवाशी के नाम पूर्व रान् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझओं में आदेशानुसार राठ निठ विजनौर द्वारा ५०कठ 11क / 24.01.09 खाता संठ 315, 316, 317, 318 से मृतक सालिकराम के स्थान पर रामिकशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रमण सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्वठ सालिकराम निठमण धावाहार मठ सेवई का नाम वर्तार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामिकशन द्वारा अपने हिस्से की 1/24 माम, सुशील कुमार द्वारा 1/24, दिलीप कुमार द्वारा 1/24, सुमित्रा द्वारा 1/24, व बिटाना द्वारा अपने हिस्से का अर्थात कुल रकबा 0.05066हैठ भूमि हेतु उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता सख्या ३२४

भूमि खरारा संख्या 24 रकवा 0.089 है0, 25/0.076है0, 26/0.238है0 कुल 0.403है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में श्री कृष्ण पुत्र रघुबीर रूपचन्द्र पुत्र शम्भू ग्रा० वा० तुलसीराम पुत्र पाँचू नि0ग्राम के नाम पूर्व रान् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/06.10.06 खाता सं० 323, 324 पर मृतक श्रीकृष्ण के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्रीकृष्ण व श्रीमती प्यारा पत्नी स्व० श्रीकृष्ण नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/21.09.07 खाता सं० 323, 324 रो मृतक श्रीमती प्यारा के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्री कृष्ण नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित

1.

है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपित प्राप्त हुयी है जिसमे कि विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३३८ -

्रामि खरारा संख्या 276/3 रकवा 0.126 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में श्रीराम पुत्र मेडी लाल ग्रागवारी के नाम पूर्व सन् फसली 1389 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकत है। अभिलिखित खातेदार श्री राग द्वारा 0.126हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 1 :-

भूमि खरारा संख्या 212 रकवा 0.874 है0. 1373/0.410है0. 137ब/0.084है0. 188/1.681है0. 145/0.112है0 कुल 3.161है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन, सहदेव, शत्रोहन पुत्रगण चौहान ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1374. 1373. 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्री सहदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग व श्री शत्रोहन द्वारा 1/3 भाग अर्थात 3.049हे0 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 2 :-

भूमि खसरा संख्या 132/1 रकबा 0.253 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन सिंह, सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह पुत्रमण चौहान नि0 घावाहार अशोक कुमार, राजकरन, दिनेश कुमार, जगदीश पुत्रमण नत्था सिंह नि0 जियामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री दिनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री दिनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री जगदीश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 का 3/8 भाग अर्थात 0.094875है0 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर



भूमि खरारा संख्या 164 रकवा 0.785 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू पुत्र मैकू ग्रामवासी के नाम पूर्व रान् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कल्लू द्वारा पूर्ण भाम भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३० :-

भूमि खरारा संख्या 179 रकवा 0.092 हे0, 186/0.089हे0, 218/0.354हे0, 219/0. 253हें0. 220 / 0.298हें0, 222 / 0.190हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू पुत्र मैकू व श्याम सुन्दर व श्रीकृष्ण पुत्रमण नीलकंड व अर्जुन सहदेव, शत्रोहन पुत्रमण चौहान घूरू पुत्र सालिक राम ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा0नि0 विजनौर द्वारा प०क० 11क /13.07. 07 खाता सं0 30, 263, 264 से मृतक श्याग सुन्दर के स्थान पर बुद्ध पुत्र श्याग सुन्दर नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 29.06.09 खाता सं0 130 पर मृतक घूरू के स्थान पर रामकिशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पत्रगण सालिकराग व श्रीमती समित्रा पत्नी सालिकराग, शंकर, गनेश, नान्ह, नन्हकऊ पुत्रगण घूरू व श्रीमती बिटाना पत्नी स्व० ठाकुर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश-अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कल्लू द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री वृद् द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग, श्री सहदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग, श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/9 गाग, श्री शंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/54 गाग, श्री गनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री नान्हू द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री नन्हकऊ द्वारा अपने हिस्से की 1/54 गाग, आर्थत 0.87705हैं0 व बिटाना द्वारा अपने हिस्से की 1/54 अर्थात 0.02192हैं0 श्री राम किशन द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री सुशील द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री दिलीप द्वारा अपने हिस्रो की 1/54 माग, श्री सुगित्रा द्वारा अपने हिस्से की 1/54 का 1/13 माग अर्थात 0.0877हे0, श्री कृषण द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग अर्थात 0.19733हे0 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वाभित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूम राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र सियाराग, जगदेव, वासदेव, रूपदेव पुत्रगण पूर्वीदीन व श्रीमती कैलाशा पत्नी स्व0 पूर्वीदीन नि0 ग्राम व श्रीमती कलावती पत्नी छत्रपाल नि0 नवाब पुरवा गोमती नगर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्रीमती कलावती द्वारा अपने हिस्से की 1/3 गाग अर्थात 0.158हे0 गाग भूमि हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अगिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ६६ :-

भूगि खरारा संख्या 13 रकबा 0.190 हे0, 14/0.266हे0, 148/0.228हे0, 248/0. 185हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री दिनेश कुमार, कमलेश कुगार यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव, पुत्रगण रागपाल यादव वृजगोहन, रामनरायन, नेपाल कुँवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराग नि० धावाहार भ० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझओं मे आदेशानुसार नाठतंठ बिजनौर वाद संठ 764/23.09.07 याटा रांठ 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं0 113की गाटा सं0 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र ख0 शीतला प्रसाद नि0 कुल्ली खेड़ा ग0 अहमामऊ का नाम स0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री दिनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/10भाग, श्री कमलेश द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग, श्री सजंय यादव द्वारा अपने हिस्रो की 1/10 भाग, श्री संदीप द्वारा अपने हिस्रो की 1/10 भाग, श्री रंजीत यादव द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग अर्थात 0.4345 है0 भूगि हेतु उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। उक्त खरारा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपिता प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भूगतान न करने हेत् याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा। खाता संख्या ६८ --

भूमि खरारा संख्या 123 रकवा 0. 222 हे0, 121/0.284हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजस पुत्रमण लालता ग्रामवासी रामसतीश पुत्र लालता नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामरूप द्वारा अपने हिस्से की 1/4 ग्राम, श्री रामजस द्वारा अपने हिस्से की खुशीराम द्वारा आपित प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। खुशीराम द्वारा आपित प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान रवामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ६९ :-

्गूमि खरारा संख्या १ रकवा 0. 291 हे0, 11/0.266हे0, 12/0.354हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजरा, पुत्रगण लालता, महादेव रामसागर, पुत्रगण रामऔतार ग्रामवासी रामसतीश पुत्र लालता नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन राम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क /31.07.06 खाता रां0 69, 150 रो गृतक महादेव के स्थान पर श्रीमती सरोज पत्नी रव0 महादेव नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामरूप द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री रामजरा द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री रामजरा द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री रामसतीश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग अर्थात 0.34163 हे0 श्री धर्मराज द्वारा अपने हिस्से की 1/8 अर्थात 0.11388हे0 भाग, श्री रामसागर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात 0.2775हे0 भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 70 :--

भूमि खसरा संख्या 161 रकवा 0.164 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजस, रामसतीश पुत्रगण लालता ग्रामवासी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामरूप, श्री रामजस, श्री रामरातीश व श्री धर्मराज द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्यापा साहय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ७१ :-

भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 0.223 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजरा, रामसतीश पुत्रगण रव0 लालता प्रसाद नि० धावाहार नि० रोवई के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है।

(55)

आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का गुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियगानुसार किया जायेगा।

लावा संख्या- 97



भूगि खरारा संख्या 244/0.316 है0, 245/0.058 है0 कुल 0.467 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में फूलवन्द्र, रागलखन, नन्हक पुत्रगण गयाप्रसाद, परशुराम, विन्देश कुमार पुत्रगण राघेलाल नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क /20.11.07 खाता सं0 97 से मृतक परशुराम के स्थान पर मंजीत संदीप ना० वा० कमश 13, 7 वर्ष सं0 श्रीमती रूपरानी माँ पुत्रगण परशुराम श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व० परशुराम नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11क 20.08.08 खाता सं0 97 से मृतक फूलबन्द्र के स्थान पर सन्तोष कुमार लालजी दिनेश कुमार धमेन्द्र कुमार पुत्रमण स्व० फूलबन्द्र व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी फूलबन्द्र नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री सन्तोष, लालजी, दिनेश कुमार धर्मेन्द्र कुमार व शान्ति देवी द्वारा प्रत्येक ने अपने हिस्से की 1/4 भाम, अर्थात 0.0935है0 व विन्देश कुमार व रूपरानी द्वारा प्रत्येक ने अपने हिस्से की 1/4 भाम अर्थात 0.0935है0 माम भूमि हेतु उ०प्रण आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम देवागऊ

खाता संख्या 9 -

भूमि खरारा संख्या 189 रकवा 0.102 है0, 152/0.386हे0, 189व/0.169हे0, 190/0. 073हे0 कुल 0.730हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुरूप्रसाद पुत्र रमई नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री गुरूप्रसाद द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में



खाता संख्या 13 :-

भूगि खसरा संख्या 125 रकवा 0.556 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र भोगनाथ व हनोगान प्रसाद पुत्र मेढ़ीलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1390 से श्रेणी 1_क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री चन्द्रपाल द्वारा अपने हिस्से की 2/3 भाग अर्थात 0.3707हे0 भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २६ :-

भूगि खरारा संख्या 155 रकवा 0.087 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र मैकू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठक० 11क 27.12.08 खाता संठ 26 से मृतक परसाद के स्थान पर नन्हकऊ पुत्र परसाद व श्रीमान छेदाना पत्नी परसाद व मंगेश नाठ बाठ 16 वर्ष पुत्र रामलखन संठ श्रीमती छेदाना निठ ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नन्हकऊ द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग व श्री मंगेश द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग मूमि हेतु उठप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का गुगतान स्वाभित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभि.लिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ४७ :

भूमि खसरा संख्या 142 रकवा 0.680 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में मैकूलाल व नौमी लाल पुत्रगण मोती नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा 40क0 11क 21.08.07 खाता रा0 47, 48 से मृतक नौमीलाल के रथान पर रामिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोदकुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी नौमीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा0 नि0 बिजनौर द्वारा 40क0 11क 3.07.08 खाता सं0 47, 48 से मृतक सरवन के रथान पर श्रीमती रघुराई पत्नी रव0 नौमीलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामसमुझ द्वारा अपने हिरसे की भूमि 0.5667है0 हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के

खाता संख्या ६४ :--

भूमि लारारा संख्या 126 रकवा 9.180 डेंठ, 159 / 0.001 डेंठ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में मंगल, नन्ध, औसान पुत्रमण छदा व राजेश सुरेश पुत्रमण परमू व रामदास, रामलाल पुत्रमण टीका व सत्य नरायन पुत्र हीशलाल व रामलाल, रामदास पुत्र टीका व भगवानदीन पुत्र जोधा व बदलू पुत्र हेगराज व रागपाल, राजकुमार, सम्पत्ति कुमार पुत्रगण परीदीन नि0ग्राम के नाग पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आङ्गाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० ११क २९.०५.०७ खाता सं० ४९. 93 पर मृतक सत्य नरायन के स्थान पर श्रीमती समादेवी पुत्री सत्यनसायन पत्नी सम किशुन नि० पकरवा खेडा ग0 गऊ तह0 मोहनलालगंज का नाम बतौर वारिश दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 29.05.07 खाता रा० 49 पर मृतक रागपाल के रथान पर देशराज वयरक, विकम, विक्की, अवयरक आयु कमश 17 व 13 वर्ष राठ वदाला (माता) पुत्रगण रागपाल व श्रीमती बटाला पत्नी रागपाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार राठ निठ बिजनौर द्वारा पठकठ ११क २१.०८.०७ खाता राठ ४९, ५० पर मृतक गंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरजबली पुत्रगण गंगल व श्रीमती छवीला पत्नी गंगल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राजेश व श्री सुरेश द्वारा अपने हिस्से की भूगि 0.00905हे0 हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। श्री अरूण कुगार पाल द्वारा भूगतान रोकने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। अगिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जागेगा।

भूगि खरारा संख्या 219 रकवा 0.037 है0. 239/0.164 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरच अभिलेखों ने रागआधार पुत्र वली नि0 ग्राम के नाग पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामअधार द्वारा पूर्ण भाग भूगि हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान रवामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा। खाता संख्या 73:—

भूमि खसरा संख्या 170 रकवा 0.225 है0, 203/0.187 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में रामस्वरूप व रामेश्वर पुत्रगण संकटू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिवर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामेश्वर द्वारा अपने का पुरावान रावानाव प्रवास्त राह्य प्रस्तुत करन पर पात्र / आगोलेखित व्यक्तियो की नियमानुसार

किया जायेगा।

खाता संख्या ८७ :-

भूमि खुसरा संख्या 128 रकबा 0.013 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त मूर्गि राजस्व अभिलेखों में शिवुबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रोस्तम गुरूप्रसाद पुत्र रमई नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री गुरूप्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 गाग अर्थात 0.0065 है० भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भूगतान स्वागित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ९५ :-

गूगि खरारा संख्या 160/248 रकवा 0.058 है0, 178/0.016 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखमीलाल पुत्र जोधा नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 29.05.07 खाता रा० 95. 97 पर भृतक सुखगीलाल के स्थान पर रागलाल, शिवलाल, शेषलाल पुत्रगण सुखगीलाल व रमदेई पत्नी सुखगीलाल का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामलाल, शिवलाल, शेषलाल व श्रीमती रनदेई द्वारा अपने हिस्से की भूमि हेतु उ०५० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अगिनिणीत प्रतिकर का भूगतान स्वागित्व / पर्योप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अगिलिस्वित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा। खाता संख्या ९७

गुमि खरारा राख्या २०० रकवा ०.०२० है०, २०४/० ०३८ है०, २२१/०.०५१ है० भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में श्रीकृष्ण पुत्र सरजू नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय गृगिघर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्रीकृष्ण द्वारा पूर्ण गाग भूमि हेत् उ०प्र० आवार। एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है। अगिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 105

भूमि खसरा संख्या 168 रकवा 0.678 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उन्हा भूगि राजरव अभिलेखों में शियाराम पुत्र जागेश्वर प्रसाद, कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर अनिल कुगार पुत्र शत्रीहन श्रीमती परमेश्वरी पत्नी गमाप्रसाद नि० ग्राम शिवममल, गनेश, कुवर बहादुर, मनोहरलाल

किशुन व श्रीमती सुखरानी पत्नी किशुन का नाम निरस्त करके वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र सम किशन वर्मा नि० एल० 1/111 विनय खण्ड मोमती नगर, लखनऊ का नमा बतौर सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री सियाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग व श्री ताराचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/15 भाग अर्थात 0.12053 हे० भाग भूमि हेतु स्वप्रण आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम अहमामऊ

खाता सख्या ५५२ -

मृिग खसरा संख्या 1145 रकवा 0.097 है0, 1156/0.025है0, 1157/0.052है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में श्री चन्द्र पुत्र दुलारे नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 रो श्रेणी 2 क अरांक्रमणीय भूगिधर अकित है। अगिलिखित खातिदार श्री चन्द्र द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है। पर्यात साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर देव होगा।

ग्राग बरौलीखलीलाबाद व घुरावल कलाँ व रोंबई, देवागऊ व अहगागऊ के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूगि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वागित्व की पुष्टि से संबंधी साह्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देव होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खरारा संख्या—गिंजुगला के रूप में अगिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साह्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देव होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूगि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू0अ0अ0 की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाम अनुमन्य नहीं होगा।

्याबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (मू०अ०) लखनऊ।

291 32 miles your min 1 (8"



कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 5/2010 वाद संख्या 1/2010 बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां ग्राम का नाम परगना तहसील व जिला लखनऊ । बरौली खलीलाबाद- 27.383348 हेक्टेयर । अभिनिर्णीत क्षेत्रफल हेक्टेयर । -2.6595घुसवल कला - 30.042848 हेक्टेयर। योग नहीं । क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन गृह स्थान योजना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 17/07/2004 की घारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 30/9/2006 की घारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक मूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन : 05/12/2007 की दिनांक अधिकार/कब्जा की तिथि 07.10.2008 अभिनिर्णय की तिथि 09.06.2010 अभिनिर्णय की घनराशि बरौली खलीलाबाद- 14,58,49,188-27 12--घुसवल कला - 1,41,65,028-80 - 16,00,14,217-07 नियमानुसार जमा किया जायेगा। 13- पूंजीकृत मूल्य 14- अध्याप्ति व्यय नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव ७०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की घारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट



जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमित बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिंनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्निलखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :--

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या 13 :--

भूमि खसरा संख्या 1613 रकबा 0.316 है0, 1617 रकबा 0.006है0 कुल रकबा 0.322है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण शीतला प्रसाद व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी शीतला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद व केशव प्रसाद पुत्रगण गुरूप्रसाद निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातिदारों में से श्री अशोक कुमार द्वारा 1/9 व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी शीतला प्रसाद द्वारा 1/9 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४६ :-

भूमि खसरा संख्या 1768 रकबा 0.278 है0, 1778 रकबा 0.063है0, 1781 रकवा 0.051 है0, 1774 राजा 0.056है0, 1776 राजा 0.051 है0, 1782/2 राजा 0.266है0, 1779 राजा 0.101 है0 कुल 0.866हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, संतराम पुत्रगण जग्गू व सरजूदेई, भगवानदेई, रूपरानी पुत्रीगण लालादास, शिवदेवी पत्नी सत्यनरायन निवासी घोघनखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज, अवधराम बा0, रामजीत ना0बा0 10 वर्ष पुत्रगण बैजनाथ सं0 श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 बैजनाथ निवासी घोघनखेड़ा का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक भगवानदेई के स्थान पर श्रीमती ऊषा पत्नी नन्हें पुत्री चेतराम निवासी भदरूख का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री धर्मराज द्वारा 1/36, श्री अवधराम द्वारा 1/36, श्री रामजीत द्वारा 1/36, श्रीमती कलावती द्वारा 1/36 व श्री जगन्नाथ द्वारा 1/9 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८९ :--

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकबा 0.262 है0, 1606/2 रकबा 0.262है0, 1641 रकबा 0.569 है0 कुल 1.093है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीतारावत पत्नी रामखेलावन, छेदा पुत्र रामनाथ, विनोद पुत्र रामनाथ, श्रीमती शिवराजा पत्नी रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा, सुदामा पुत्र शीतल, सन्तराम पुत्र पितम्बर, सुखलाल पुत्र पितम्बर, हनोमान पुत्र पितम्बर, विजय कुमार व शिवकुमार पुत्रगण ईश्वरीदास, सोहनलाल पुत्र शीतल निवासी ग्राग के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम्मिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी सुखलाल नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री छेदा द्वारा 1/24, श्री विनोद द्वारा 1/24, श्रीमती शिवराजा द्वारा 1/24, श्री विजय द्वारा 1/32, श्री राममिलन द्वारा 1/48 व श्री सन्तराम द्वारा 1/16 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1667 / 4 रकवा 0.114 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व खाता संख्या 131 :-अभिलेखों में जियालाल व कन्घई पुत्रगण दुलारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री कन्घई पुत्र दुलारे द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1604/1 रकवा 0.250 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या 137 :-राजस्व अभिलेखों में दर्शन सिंह, हीरा सिंह, चन्नन सिंह, मुख्तार सिंह, पुत्रगण महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता 13

भूमि खसरा संख्या 1913/1 रकबा 0.632 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व खाता संख्या 161 :--अभिलेखों में नन्द किशोर पुत्र शिव नरायन व राम किशोर, जय सिंह पुत्रगण हीरा लाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व रान् फसली 1402 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता

भूमि खसरा संख्या 1574 रकवा 0.329 है0, 1644/रकवा 0.481 है0, 1645/रकवा 0.114 है0, खाता संख्या 183 :-1588 / रकबा 0.354 हे0, 1589 / रकबा 0.038 हे0, 1643 / रकबा 0.316हे0, 1663 / रकबा 0.065हे0 कुल 1.697 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पूरनदास, मुनेश्वर पुत्रगण साहेबदीन, श्रीमती मायादेवी पत्नी नन्दिकशोर, श्रीमती आशादेवी पत्नी मेवालाल निवासी छोटी जुगौली सैदापुर मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में स्वित्रानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 1086/343/दिनांक 19.05.07 गाटा संख्या 1644/0.481 व 1645/0.114, 1643/0.316, 1663/0.065 के बक्दर भाग से पूरनदास, मुनेश्वर पुत्रगण साहेब दीन का नाम निरस्त करके भिक्खू पुत्र रूस्तमलाल वर्तमान नि0 254 चन्द्र लोक अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी शिवगढ़ जिला—फतेहपुर के नाम सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश तहसील सदर लखनऊ वाद संख्या—1162/दि0 23.09.08 गाटा संख्या—1574/0.329, 1588/0.354, 1589/0.038 है0 से पूरनदास व मुनेश्वर पुत्रगण साहेबदीन व श्रीमती मायादेवी पत्नी नन्द किशोर व श्रीमती आशादेवी पत्नी मेवालाल का नाम निरस्त होकर किशोर पुत्र लक्ष्मण नि0 पवाता तहसील राजगढ़ जिला—अलबर, राजस्थान का नाम कतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों मे से श्री किशोर द्वारा क्य किये गये खसरा संख्या—1574/0.329, 1588/0.354, 1589/0.038 हे0 कुल 0.721 हे0 भूमि तथा अवशेष खसरा संख्या 1644/0.481, 1645/0.114, 1643/0.316 व 1663/0.065 हे0 के अभिलिखित खातेदारों मे श्रीमती मायादेवी द्वारा 1/3 व श्रीमती आशा देवी द्वारा 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १९४ :-

भूमि खसरा संख्या 1921 स रकवा 0.759 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रसाद पुत्र लाला, राम विलास, सूरज वली पुत्रगण सोहन निवासी सरथुआ के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार नगर वाद संख्या 182/864/दि0 21.10.08 गाटा संख्या 1921/0.759 है0 के बकदर भाग से राम विलास पुत्र सोहन का नाम निरस्त करके श्यामलाल पुत्र मिश्रीलाल नि0 विरूरा का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश नावता नगर मुठनंव 1/83/2/78—31.01.05 गावनंव 1921 संव /0.759 के बवदर भाग से विकेता सूरजवली पुत्र सोहन का नाम गारिज करके केता पूर्णमासी पुत्र स्वव गुरू प्रसाद निव विरूरा का नाम संव भू० सहखातेदार द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश नवतव बिजनीर बाद संख्या—640/688/12.04.07 गवसव 1921स /0.759 के बवदर भाग से प्रसाद पुत्र लल्लू द्वारा मुख्तारे आम राजेश कुमार मिश्र पुत्र जगजीवन मिश्र का नाम निरस्त करके शीमती उमा अग्रवाल पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल निव स्थीन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ का नाम बतौर संवभू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती उमा अग्रवाल 1/2 भाग श्री श्यामलाल 1/4 भाग व श्री पूर्णमासी द्वारा 1/4 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२७ :-

भूमि खसरा संख्या 1653 रकबा 0.322 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बलराम, रामफेर पुत्रगण धनीराम नि0 भठन खेडा मजरा गौरा तहसील मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक लखनऊ वाद संख्या 402/07.04.03 द्वारा गाटा संख्या 1653 रकबा 0.322हे0 से



बलराम, रामफोर पुत्रगण रवि धनीराम का नाम निरस्त करके अरूण कुमार पुत्र गदनमोहन का नाम बतौर संवभूव हारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 161/दि० 23.09.08 गाटा संख्या 1653/0.322 है० रो अरूण कुमार पुत्र मदन मोहन का नाम निरस्त करके हुकुम चन्द्र पुत्र होशियार सिंह का नाम बतौर संवभूव हारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री हुकुम चन्द्र चन्द्र पुत्र की गयी सम्पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या २४७ :-भूमि खसरा संख्या १९२१मि रकवा ०.१२६ है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भीखा पुत्र छेदा नि० ग्राम के नाग पूर्व सन् फसली १३६० से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा सम्पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1799/1 रकबा 4.077 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनप्रीत सिंह नाठवाठ आयु 3 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह शंखाक स्वयं व जगजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह खाता संख्या २५७ :-संठ सरदार हजारा सिंह परवावा निठग्राम के नाग पूर्व सन् फसली 1397 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर , लखनऊ वाद संख्या 978/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 क्षे0 4.077हे0 के बकदर भाग 0.7725हे0 से जगजीत सिंह पुत्र स्व0 कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सौरभ त्रिपाठी पुत्र जें0कें0 त्रिपाठी नि० ए 25 शाहीपुर कालोनी, आर0कें0 पुरी, ग्वालियर नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर , लखनऊ वाद संख्या 979/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 क्षे0 4.077हे0 के बकदर भाग 0.759हे0 से जगजीत सिंह पुत्र स्व0 कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके रिषभ पाण्डे पुत्र आर०पी० पाण्डे नि० के० ८१४, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ नाम बतौर संवभू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर , लखनऊ वाद संख्या 980 / 18.07.08 गाटा संख्या 1799 / 1 क्षे0 4.077हे0 के बकदर भाग में से 0.507हे0 व गाटा संख्या 1665/9 मि0/2.023हे0 से जगजीत सिंह पुत्र स्व0 कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी नि0 बी-58 से0 जे0, रेलनगर, आशियाना,लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार न्यायालय जनपद न्यायाधीश लोक अदालत वाद संख्या 95/2009 मनप्रीत सिंह द्वारा बहन कु0 किरनदीप कौर बनाम सरदार हजार सिंह ता0फै0 13.09.09 कु0 किरनदीप कौर को अव्यस्क मनप्रीत सिंह के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। अभिलिखित खातेदार सौरभ त्रिपाठी, रिषम पाण्डे व कु0 किरनदीप अपने अंश भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६० :-

भूमि खसरा संख्या 1892/2 रकबा 0.126 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकू पुत्र घसीटे नि0ग्राम बिरूरा के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६७ :-

भूमि खसरा संख्या 1618/1 रकवा 0.144है0, 1618/2 रकवा 0.145है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोतीलाल पुत्र गनेसी कैलाश पुत्र रामआसरे नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक मोतीलाल के खान पर सियाराम पुत्र मोतीलाल व श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व0 मोतीलाल का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा अपने अपने पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या २७२ :-

भूमि खसरा संख्या 1575/3 रकवा 1.896 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में श्रीमती मन्जीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1388 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या २७४ :-

भूमि खसरा संख्या 1575/2 रकवा 1.896 है0 में से 1.456है0, 1587/2 रकवा 0.367है0, 1584 रकवा 0.266है0, 1585 रकवा 0.038है0 कुल 2.127हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेन्द्र सिह पुत्र सोहनसिंह के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना0त0 बिजनौर मु0सं0 368/28.01.03 भूमि नं0 1575/2 क्षे0 0.440है0 से महेन्द्र सिह पुत्र सोहन सिह का नाम प्रथक करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री आशुतोष माथुर महाप्रबन्धक एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ का नाम दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री महेन्द्र सिह द्वारा खसरा संख्या 1575/2 रकबा 0.728हे0 . 1587/2 रकबा 0.367है0, 1584 रकबा 0.266है0 व 1585 रकबा 0.038है0 कुल 1.399है0 भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। उक्त भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार पुत्र श्री आर0पी0पी0 गुप्ता निवासी 1/86 सेक्टर एल, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हुये किसी अन्य पक्ष को भुगतान न किये जाने का अनुरोध किया गया है। पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त प्रतिकर देयता का निर्धारण किया जायेगा।

खाता संख्या ३२६ :-

(44)

भूमि खसरा संख्या 1775 रकबा 0.177 हे0, 1784 रकबा 0.266हे0, 1785 रकबा 0.278हे0, 1755 रकबा 0.278हे0, 1773 रकबा 0.158हे0, 1777 रकबा 0.266हे0 व 1783/1 रकबा 0.316हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम व बाबूलाल पुत्रगण धनेवा, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदलू निवासी फिरंगीखेड़ा मजरा सालेह नगर के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनक वाद संख्या 1165/222/18.08.08 गाटा संख्या 1775/0.177हे0, 1784/0.266हे0, 1785/0.278, 1755/0.215, 1765/0.278, 1773/0.158, 1777/0.266, 1783/1/0.316, के बकदर भाग से राजाराम, बाबूलाल पुत्रगण घुन्नू का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि0 बरौली खलीलाबाद का नाम बतौर संवभू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा 1/2 भाग भूगि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३६७ :--

भूमि खसरा संख्या 1713 रकबा 0.202 हे0, 1722 रकबा 0.417हे0, 1723 रकबा 0.190हे0, 1724 रकबा 0.089हैं0 कुल 0.898हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राघे पुत्र भोला, भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायन व सोहनलाल पुत्र छोटेलाल व मेवालाल पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर मु० नं० 343/20.01.03 खतौनी 1404 से 1409 के खाता संख्या 313 रकबा 0.898 मा०गू० ४१-४५ व खाता संख्या-३१५ रकवा ०.८०३ मा०गू०२३-७५ बक्दर भाग से वसीयत कर्ता चिन्म पुत्र नरायन का नाम प्रथक करके वसीयत प्राप्त कर्ता चन्द्रिका पुत्र हरिशचन्द्र नि० निलमथा व सोहन लाल पुत्र छोटे लाल नि० बरौली खलीलाबाद का नाम सं0 भू0 दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश रा0 नि0 बिजनौर प0क0-11क 15.06.09 खाता संख्या—128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिभजन बालिंग सुखदेव, विशुनदेव नाठबाठ आयु कमशः 12, 9 वर्ष सं0 श्रीमती राघा माता स्वयं पुत्रगण मेवालाल व श्रीमती राघा पत्नी स्व0 मेवालाल नि0 घोघन खेड़ा म0 ग्राम का नाम वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० त० बिजनौर वाद संख्या-1282/200/09.09.09 खाता संख्या-128 गाटा संख्या-1713-0.202 हे0 व 1722-0.417 हे0 व 1723-0. 190, 1724-0.089 कुल 4 किता रक्या 0.898 के वकदर भाग व खाता 129 गाटा संख्या-1805/0.152, 1808/0. 051, 1809 / 0.025, 1810 / 2 / 0.016, 1823 / 0.013, 1824 / 0.076, 1826 / 0.063, 1827 / 0.101, 1828 / 2 / 0.013, 1829/2/0.132, 1830/1/0.110, 1833/0.051 कुल 12 किता रकबा 0.803 हे0 का बकदर भाग से सोहनलाल व मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल नि०ग्रा० व मृतक मेवालाल के स्थान पर रा० नि० द्वारा बिजनौर प०क0-11/दि० 15. 06.09 के तहत दर्ज वारिस हरिभजन बालिंग व सुखदेव विशुनदेव ना०बा० कमशः 12, 9 वर्ष सं0 माता स्वयं राधा पुत्रगण मेवालाल व राधा पत्नी मेवालाल व चन्द्रिका पुत्र हरिशचन्द्र नि० ग्राम का नाम निरस्त करके चन्द्रसेन पुत्र नन्हकूलाल नि0 ग्राम का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा तथा खाते के अन्य सहखातेदार यथावत दर्जे रहेगे के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्र सेन पुत्र नन्हकूलाल द्वारा अपने हिस्से की 2/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

43

खाता संख्या ३७० :-

भूगि खरारा रांख्या 1805 रकवा 0.152 है0, 1808 रकवा 0.051 है0, 1809 रकवा 0.025 है0, 1810/2 रकवा 0.016हें0 1823 रकवा 0.013, 1824 रकव 0.076, 1826 रकवा 0.063हें0, 1827 रकवा 0.101हें0, 1828/2 रकवा 0. 013, 1829/2 रकबा 0.132हे0, 1830/1 रकबा 0.110हे0, 1833 रकबा 0.051हे0 कुल 0.803 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल चिन्ना पुत्र नरायन पुत्र नरायन, सोहन लाल, मेवालाल पुत्रगण छोटे लाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0-11 क / 15.06.09 खाता संख्या-128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिभजन बालिग, सुखदेव, विश्नदेव ना0बा0 आयु कमशः 12, 9 वर्ष सं0 श्रीमती राघा पत्नी स्व0 मेवालाल नि0 घोघन खेड़ा म0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० त० बिजनौर वाद संख्या-1282/200/09.09.09 खाता संख्या-128 गाटा संख्या-1713-0.202 हे0 व 1722-0.417 हे0 व 1723-0.190, 1724-0.089 कुल 4 किता रकबा 0.898 के बकदर भाग व खाता 129 गाटा संख्या-1805/0.152, 1808/0.051, 1809/0.025, 1810/2/0. 016, 1823 / 0.013, 1824 / 0.076, 1826 / 0.063, 1827 / 0.101, 1828 / 2 / 0.013, 1829 / 2 / 0.132, 1830 / 1 / 0. 110, 1833 / 0.051 कुल 12 किता रकबा 0.803 हे0 का बकदर भाग से सोहनलाल व मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल नि०ग्रा० व मृतक मेवालाल के स्थान पर रा० नि० द्वारा बिजनौर प०क0-11/दि० 15.06.09 के तहत दर्ज वारिस हरिभजन बालिंग व सुखदेव विशुनदेव ना०बा० कमशः 12, 9 वर्ष सं० माता स्वयं राघा पुत्रगण मेवालाल व राध्म पत्नी मेवालाल व चन्द्रिका पुत्र हरिशचन्द्र नि0 ग्राम का नाम निरस्त करके चन्द्रसेन पुत्र नन्हकूलाल नि0 ग्राम का नाम क्तौर सं0 भू0 द्वारा वैनामा तथा खाते के अन्य सहखातेदार यथावत दर्ज रहेमें के आदेश अंकित है। अभिलिखित सातेदार चन्द्र रोग पुत्र नन्हकूलाल द्वारा अपने हिस्से की 2/3 भाग भूगि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३७३ :-

भूमि खसरा संख्या 1841/2 रकबा 0.002 है0, 1842 रकवा 0.051 है0, 1843/1 रकबा 0.123 है0, 1844/2 रकबा 0.025है0, 1846/1 रकबा 0.044, 1847/1 रकबा 0.044, 1848 रकबा 0.009है0, 1849/2 रकबा 0.050है0, 1850/1 रकबा 0.018 कुल 0.366 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामिकशोर पुत्र अयोध्या, रामचन्द्र, रामकुमार, श्यामकुमार पुत्रगण पराग, कुंजन, श्रीपाल, साहेबदीन पुत्रगण देवी, बजरंग पुत्र पुत्तीलाल, दिनेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री रामचन्द्र द्वारा 1/21, श्री रामकुमार द्वारा 1/21, श्री श्यामकुमार द्वारा 1/21, श्री बजरंग द्वारा 1/7, श्री दिनेश द्वारा 1/7, श्री रामकिशोर द्वारा 1/7 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४०५ :-

भूमि खसरा संख्या 1628 रकवा 0.304 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामदीन पुत्र भरोसे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आघार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४०९ :-

भूमि खसरा संख्या 1797 / 5मि० रकवा 0.427 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती रमदेई पत्नी रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४३०:-

भूमि खसरा संख्या 1887 रकवा 0.051 है0, 1859/1 रकवा 0.007 है0, 1860 रकवा 0.038 है0, 1862 रकवा 0.126हें0, 1863 रकबा 0.063, 1864 रकबा 0.076, 1865 रकबा 0.228हें0, 1867 रकबा 0.025हें0, 1868 रकबा 0.076, 1869 रकबा 0.051हे0, 1870 रकबा 0.063हे0, 1871 रकबा 0.076हे0, 1872 रकबा 0.152, 1873 रकबा 0.063, 1894 रकवा 0.076है0, 1895 रकबा 0.056है0, 1897 रकबा 0.101, 1898 रकबा 0.177है0, 1899 रकबा 0.088है0, 1900 रकवा 0.101हें0, 1901 रकवा 0.177, 1903 रकवा 0.088, 1904 रकवा 0.354हें0, 1905 रकवा 0.038हें0, 1906 रकवा 0.038, 1907 रकबा 0.013हे0, 1908 रकबा 0.114हे0, 1909 रकबा 0.013हे0, 1910 रकबा 0.139, 1911 रकबा 0.063, 1866 रकबा 0.101हे0 कुल 2.832 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विशुनदेई पत्नी नान्हूं, छंगा पुत्र घुरू, लाल चन्द्र पुत्र नरायन निवासी सरथुआ के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्रीमती विशुनदेई द्वारा 1/4 तथा लालचन्द्र द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अमिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४३७ :-

भूगि खसरा संख्या 1611 रकवा 0.632 हे0 में से 0.622हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ, सुन्दारा पत्नी कल्लू, जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे, रामदास पुत्र घना, शत्रोहनलाल पुत्र घना निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 379/23.12.08 गाटा संख्या 1611/0.632हे0 के बकदर भाग में 0.126हे0 भूमि में से श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व0 कल्लू का नाम निरस्त करके राममिलन पुत्र नौमीलाल नि0 देवामऊ का बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ द्वारा 1/6 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४६३ :-

भूमि खसरा संख्या 1616 रकता 0.045हें0, 1642 रकवा 0.163हें0, 1709 रकवा 0.291हें0, 1726 रकवा 0.051हें0, 1743 रकवा 0.430हें0 कुल 0.980हें0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीगती सुनीता पत्नी समवन्दर श्रीमती नन्द्रकई पत्नी फुलचन्द्र नि० नवाव पुरवा, लखनऊ, राजकुमारी अव्यस्क 12 वर्ष सं० पिता स्वयं पुत्री रामनरेश नि० सेवई, सतनाम अव्यस्क 10 वर्ष सं० पिता स्वयं पुत्र मलऊ नि० मिझागवां मातादीन पुत्र शिवरतन नि० सरसवां, छंगालाल पुत्र रामभरोसे, भगौती, गरीबे पुत्रगण जियालाल, लंकेश्वर, रामऔतार पुत्रगण मैकू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिचर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार राठनि० बिजनौर पक 11 क/21.06.05 खाता संख्या 463 व 465 से मृतक श्रीमती नन्द्रकई के स्थान पर मीनू नाठबाठ आयु 10 वर्ष पुत्र फूल चन्द्र सं० पिता स्वयं नि० नवाबपुरवा लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अकित है। पुनः राठनि० बिजनौर पक 11 क/26.12.08 खाता संख्या 46, 301, 302 से मृतक लंकेश्वर के स्थान पर छंगा, गुडडू व महेश बाठ व कमलेश नाठबाठ संठ श्रीमती परवाता पत्नी स्वठ लंकेश्वर नि०ग्राम व मृतक भगौती के स्थान पर संजय कुमार व हरिओम व कल्लू पुत्रगण भगौती निवासी हुसैनगंज, लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अकित है। अमिलिखित खातेदारों में से श्रीमती सुनीता द्वारा 1/32, श्रीमती राजकुमारी द्वारा 1/32, श्री मातादीन द्वारा 1/8, श्री छंगालाल द्वारा 1/8, श्री मंजय कुमार द्वारा 1/48, श्री हिरिओम द्वारा 1/48, श्री कल्लू द्वारा 1/48, श्री गरीबे द्वारा 1/16, श्री छंगा द्वारा 1/20 व श्री मीनू द्वारा 1/32 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 520 :--

भूमि खसरा संख्या 1887 रकबा 0.581हे0, 1888 रकबा 0.443हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री हरिप्रसाद व लल्लू सिंह व अनार सिंह पुत्रगण रामलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 1597 रकबा 0.344हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अब्दुल गफफार पुत्र हाजी हसन व मु० महरूल निशा पत्नी अब्दुल गफफार, मो० सलीम पुत्र अब्दुल गफफार निवासी ग्राम खरिका के नाम पूर्व सन् फसली 1401 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खात संख्या ११ :-

मृमि खसरा संख्या 1582 रकवा 0.341हे0, 1583 रकवा 0.215हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्रगण बाबूलाल व महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह मिवासी ग्राम खरिका के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित सावेदारों में से श्री महेन्द्र सिंह द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४४ :-

भूमि खसरा संख्या 1619 रकबा 0.253हे0, 11624/1 रकबा 0.025हे0, 1669 रकबा 0.256हे0, 1670 रकबा 0278 है0, 1671 रकब 0.139हे0, 1672 रकबा 0.126हे0, 1673 रकबा 0.291हे0, 1716 रकबा 0.152हे0, 1717 रकबा 0.089हें0, 1751 रकबा 0.190हें0, 1752 रकबा 0.240हें0, 1753 रकबा 0.215हें0, 1754 रकबा 0.430हें0, 1890 रकबा 0.783हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्ला रामनरेश पुत्र जगदेव रामदास पुत्र धना शत्रोहन लाल पुत्र धना श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ पत्नी डोरी श्रीमती सुन्दारा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई सुरेन्द्र कुमार पुत्र धसीटे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे 1412 फसली आदेशानुसार श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क0-11 क कमांक 33/8-9-04 द्वारा खाता संख्या-44 से मृतक रामदास पुत्र धना के स्थान पर रम सिंह पुत्र रामदास व श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० रामदास नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज होने के आदेश अकित है। पुनः आदेश रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क०-11क / 24.06.06 खाता सं0-42, 44 से मृतक रामनरेश के स्थान पर श्रीमती विश्ननदेई पत्नी स्व० रामनरेश नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं0 1163/23.09.08 गाटा संख्या 1619/0.253, 1624/1/0.0025, 1659/0.266, 1670/0.278, 1671/0.139, 1672/0.126, 1673/0.291, 1716/0.152, 1717/0.089, 1751/0. 190, 1752/0.240, 1753/0.215, 1754/0.430 हे0 कुल 2.694 हे0 का 1/6 भाग 0.455 व खाता सं0 298 की गाटा सं0 1611/0.632 का 1/4 भाग 0.152 हे0 से सुरेन्द्र कुमार पुत्र धसीटे का नमा निरस्त करके हुकुमचन्द्र पुत्र होशियार सिंह नि0 जतौली हेली मण्डी जिला गुडगॉव का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा अंकित किया जायें एवं खाते के अन्य सहस्रातेदार के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं0 1164/23.09.08 개리 편0 1619/0.253, 1624/1/0.025, 1659/0.266, 1670/0.278, 1671/0.139, 1672/0. 126, 1673 / 0.291, 1716 / 0.152, 1717 / 0.089, 1751 / 0.190, 1752 / 0.240, 1753 / 0.215, 1754 / 0.430 BO कत 2.694 है0 का 1/6 भाग रकबा 0.455 है0 व खाता सं0 298 की गाटा स0 1611/0.632 है0 का 1/4 भाग 0.152 हे0 से जगदीश पुत्र पितई का नाम निरस्त करके हुकुमचन्द्र पुत्र होशियार सिंह नि0 जतौली हेली मण्डी जिला गुडगॉव हरियाणा का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाये एवं खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती सिताला द्वारा सम्पूर्ण अर्जित ससरा नम्बरों क्षेत्रफल 3.477हे0 के 1/12 भाग भूमि अर्थात 0.28333 हे0 तथा श्री केशराम द्वारा खसरा सख्या 1890 रकबा 0.783हैं0 के 1/4 भाग भूगि अर्थात 0.19575 हैं0 व विश्नदेई हारा 1/4 भाग भूमि अर्थात 0.19575 हैं0 हेत्





आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 59 :-

भूमि खसरा संख्या 1797 रकवा 0.306हें0, 1815 रकवा 0.114हें0, 1817/1 रकवा 0.098हें0 कुल 0.518हें0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कालिका पुत्र जंगबहादुर निवासी ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिशर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में 1410 फ आदेशानुसार श्रीमान ना0त0 बिजनौर दिनांक 13.03.03 वाद सं0 5/4 कालिका प्रसाद बनाम पच्चे मे न्यायहित मे आदेश हुआ कि दिनांक 30.09.01 का कियान्वयन भू030 विकय बैनामा मुकदमान न कर दिया जाये रोका जाता है के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना0 त0 बिजनौर वाद सं0 80/298 दि0 26.10.06 खतौनी 1410 से 1415 खाता सं0 पर अंकित मृतक कालिका प्रसाद पुत्र जंगबहादुर का नाम निरस्त कर मनोज कुमार, सुजीत कुमार न0बाо 12 वर्ण, 8 वर्ष पुत्रगण कालिका सं0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी कालिका नि0 ग्राम वरीसान स0भू० बतौर सहखातेदार अंकित किये जाने के आदेश ऑकेत है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण गाग भूगि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २१९ :-

भूमि खसरा संख्या 1921मि0 रकबा 0.253हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बेचालाल, परीदीन व श्री शिवचरन पुत्रगण अंगनू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 221 :-

भूमि खसरा संख्या 1715 रकबा 0.531हे0, 1739 रकबा 0.231हे0, 1719 रकबा 0.304हे0, 1720 रकबा 0.303हे0, 1819/1 रकबा 0.208हे0, 1820/2 रकबा 0.012हे0, 1822 रकबा 0.101हे0, 1821 रकबा 0.152हे0 कुल रकबा 1.842हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बजरंग, गुडडू पुत्रगण रामअधार, धनीराम ना0बा0 12 वर्ष सं0 मां प्रेमावती पत्नी रामअधार नि0 धोधनखेडा के नाग पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४९ :-

भूमि खसरा संख्या 1746 रकबा 0.329हैं0, 1748 रकबा 0.582हैं0, 1747 रकबा 0.607हैं0, कुल रकबा 1.518 है0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशंकर व रामकिशोर पुत्रगण द्वारिका के नाम पूर्व सन् फसली 1388 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४४७ :-

भूमि खसरा संख्या 1790/1 रकवा 0.122हे0, 1792/2 रकवा 0.103हे0, 1793 रकवा 0.314हे0, 1794/4 रकवा 0.417 कुल रकवा 0.956 हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवनरायन सिंह पुत्र ख0 सुखदीन नि0 चिरैयावाग के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९५ :--

भूमि खसरा संख्या 1575/1 रकबा 1.896हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंजीत कौर पुत्री मक्खन सिंह नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २६१ :-

भूमि खसरा संख्या 1914/5 रकबा 0.379हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुनेश्वर प्रसाद पुत्र पुत्तीलाल, शिशुपाल, राकेश, संजय, कमल पुत्रगण लेखराज नि0 सरथुवा, रामनगर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में शिशुपाल, राकेश, संजय के पिता का नाम पुत्तीलाल तथा पता सरथुआ (पिता का नाम) लेखराज के बजाय पुत्तीलाल व पता रामनगर, आलमबाग, लखनऊ के बजाय सरथुवा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री कमल द्वारा 1/5 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के अधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३०१ :--

भूमि खसरा संख्या 1578 रकवा 0.253हे0, 1579 रकवा 0.126हे0, 1586 रकवा 0.430हे0 कुल 0.809हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेन्दर सिंह व सत्तीदीन, बाबूलाल पुत्रगण भगवानदीन, रामअधार व रामसुमिरन पुत्रगण साहबदीन नि0ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1646 रकवा 0.063है0, 1647 रकवा 0.189हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या २४1 :--राजरव अभिलेखों में भइयादीन, रामनिरंजन, भगौती प्रसाद पुत्रगण किशुन, शम्भू, बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर, बाबू, मतऊ. बुद्धू पुत्रगण छबीले नि0ग्राम नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बुद्धू पुत्र छवीले के स्थान पर तुलसी पुत्र बुद्धू व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः मृतक बाबू पुत्र छबीले के स्थान पर गतऊ पुत्र छवीले व शम्भू व बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर व तुलसी पुत्र बुद्दू व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्दू का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से रामनिरंजन द्वारा 1/6 व भगौती प्रसाद द्वारा 1/6 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम घुसवलकलॉ

भूमि खसरा संख्या २४३ रकवा ०.३४१हे०, २५४ रकवा ०.३४१हे०, २९६ रकवा ०.५०४हे० कुल १.१५९हे० का खाता संख्या 12 :-अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद नि०ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता हैं।

भूमि खसरा संख्या 237 रकबा 0.200हे0, 245 रकबा 0.745हे0 कुल 0.945हे0 का अर्जन किया जा रहा है। खाता संख्या ६१ :-उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवान पुत्र जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा, कन्धईलाल पुत्र पराग नि०ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री भगवान द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 203 रकवा 1.041है० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश खाता संख्या ८० :-चन्द्र पुत्र हरिप्रसाद, रामेश्वर पुत्र गुरदीन, नरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण राम प्रसाद, सुशीला पत्नी स्वर्ण रामप्रसाद निर्णणार्ण के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क रांक्रगणीय मूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना० त० नगर वाद सं० ४६९ / २६.०३.०८ गाटा सं० २०३ / १.०४१ है० मे से 0.347 है0 से नरेन्द्र कुमार प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण स्व० राम प्रसाद व श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० रामप्रसाद का नाम निरस्त करके रामरतन सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह नि० हसनपुर पोस्ट बहादुरपुर जिला मऊ का नाम सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0



840/10.06.08 गाटा संख्या-203/1.040 हे0 में से 0.0885 हे0 से रामेश्वर पुत्र स्व0 गुरदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती उषा पाण्डेय पत्नी चन्द्रभूषण नाथ पाण्डेय नि० कौसड जिला देवरिया का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय एवं खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेगे के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार नाoतoबिo वाद संo 535/24.08.08 गाटा संo 203/1.041हेo मे से 1/3 भाग 0.347 हेo मे से 0.253 हैं के बकदर भाग से रामेश्वर पुत्र गुरूदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती प्रीती शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा निर् 23 ताला फतेहगंज लखनऊ का नाम बतौर रां० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री रमेशचन्द्र द्वारा 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 56 :-

भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 0.602हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बंगाली प्रसाद श्री भगवान पुत्रगण जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री भगवान द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता

खाता संख्या 156 :--

भूमि खसरा संख्या 73/1 रकबा 0.240हे0, 59 रकबा 0.140हे0 कुल 0.380हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुन्नालाल, हरिश्चन्द्र पुत्रगण बुद्धा के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के

सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

मा०आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 721/08-09(2008-2009) दिनांक 09.05.2010 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा दिये गये निर्देशों के क्रम में खाता संख्या 194 व 44 में पाई गयी त्रुटियों को शुद्ध कर दिया गया है। ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुसवल कलाँ के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप मे अभिलेखों मे दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की घारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(बाबूलाल श्रीवास) 9-06-10 अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) त्रे लखनऊ।

And Com 1 09.06.10 at mintonin without and the

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०५० आवारा एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।



			अमिनिर्णय आदेश संख्या 4/2010	
	- Time	:	1/2010	X
1-	वाद संख्या		सेवई,	0
2-	ग्राम का नाम		ল্ভান্জ	
3-	परगना तहसील व जिला	4	सर्वेई 8-11438है0,	
	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	1		
4-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं ।	
5-	वया जनादारा विनास जाना । । । ॥		राुलाानपुर रोड भूमि विकास एवं	
6-	भूमि अध्यापि। का प्रयोजन		गृह स्थान योजना	
7-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम		17 / 07 / 2004	
1	की धारा २८ की अधिसचना प्रकाशन का दिनाक		70.70	
13	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम		30/9/2006	
8-	की घारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक			
	की घारा 32 की आधर्षिया। अकारी वर्ग के गर्मा	na -	05/12/2007	
9	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रका	(1.1.		
	की दिनांक		40 DDDD	
40	अधिकार/कब्जा की तिथि		07.10.2008	
10-	Danier of Aller	- 1	and the second second second second	
11	अभिनेशय का ताल	7	4,32,18,810-36 पैसा	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि		नियमानसार जमा किया जायगा।	
13-	पुंजीकृत मूल्य		नियमानुसार जमा किया जायेगा।	
14	C. mr		Manifest and the access	
14	Michigan			

यह प्रस्ताव ७०५० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की घनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आग व खारा नीटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक के प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आग सहमति बनी ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आग सहमति बनी ही। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या था। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ शिमादित कर उपलब्ध कराये गरे हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

खाता संख्या 52 :-

भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.474 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटे लाल पुत्र सियाराम, जगदेव, वासदेव, रूपदेव पुत्रगण पूर्वीदीन श्रीमती कैलाशा पत्नी पूर्वीदीन, श्रीमती कलावती पत्नी छन्नपाल नि० नवाबपुरवा, गोमती नगर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री जगदेव द्वारा अपने हिररो की 1/12 माग भूमि अर्थात 0.0395 है0 भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य परत्त करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 55 :-

भूमि खसरा संख्या 253 रकवा 0.423 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में जगन्नाथ पुत्र तोता निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा0नि0 विजनौर द्वारा पक: 11 क/04.04.08 खाता संख्या—55, 131 से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर राजकुमार पुत्र स्व0 जगन्नाथ निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिश वर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजकुमार पुत्र स्व0 जगन्नाथ द्वारा पूर्ण भाग हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का मुगतान रवागित्व/पर्याप्त साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ८४ :--

भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 0.363 है0, 152 रकबा 0.895 है0 कुल 1.258 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र हरी नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा0नि0 बिजनौर द्वारा पःकः 11 क/04.04.08 खाता संख्या—84 से मृतक परसाद के स्थान पर रामस्वरूप, परमेश्वरदीन, ननकऊ पुत्रमण परसाद निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातिदार श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 परसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि अर्थात 0.41933 है0 भूमि हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामिल/पर्याप्त सादय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 138 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकवा 0.215 है0, खसरा संख्या—27 रकवा 0.114 है0, कुल रकवा 0.329 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू रामा, देवता दीन पुत्रगण कुन्ने निवासी देवामऊ भगवान बक्श व बिल्लू पुत्रगण अंगनू नि0 ग्राम राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल निवासी धावाहार रागकुगार, सुरेश कुगार, रागू प्रताप पुत्रगण शिवदयाल

33

निवासी घावाहार का नाम पूर्व सन् फसली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेश तहसीदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या—929/894/26.06.08 गाटा संख्या—17/0.215 है0 व 27/0.114 है0 के बक्दर भाग से राजेन्द्र कुमार रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप, पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त करके एनसिएन्ट टाउन प्लानर प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेंडस कोंलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह विन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्र निवासी—1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश राठनिठ विजनीर द्वारा पठक०—11 क दि० 13.05.09 खाता संख्या—138 से मृतक रामा के स्थान पर गुट्टा, कल्लू नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी राठ रागा निठ देवागऊ का नाग वतीर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार देवतादीन द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, श्री गुट्टा द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि, श्री कल्लू द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि तथा श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० श्री रामा द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि तथा श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० श्री रामा द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि तथा श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० श्री रामा द्वारा अपने हिस्से की 1/32 गाग भूमि अर्थात कुल 0.08225 है0 भूगि हेत् उठ प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनबन्ध के

0.08225 है0 भूगि हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उन्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवन्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों

को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 154 :-

भूमि खसरा संख्या 88 रकवा 0.247 है0, भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेड़ीलाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम का नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश नाठतठ नगर वाद संख्या—484 / दिनांक 06.07.07 गाटा संख्या 506 / 0.0221 है0 से मेडीलाल पुत्र स्वठ जगन्नाथ का नाम निरस्त करके चन्द्रिका पुत्र हरिचन्द्र नि0 इब्राहिमपुर निलमथा बाजार, लखनऊ का नाम बतौर संठभूठ हारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेड़ीलाल हारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उठाप्रठ आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर हारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व / पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या १६४ :-

भूमि खसरा संख्या 207 रकबा 0.381, है0 290 रकबा 0.019 है0, 292 रकबा 0.238 है0, 298 रकबा 0.253 है0 कुल रकबा 0.891 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में माता प्रसाद पुत्र नरायन, अमरनाथ पुत्र दयाराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेश रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0 11 दि0 18.11.06 खाता संख्या—164 से मृतक अमरनाथ के स्थान पर श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 अमरनाथ नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है।

अभिलिखित खातेदार माता प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात 0.4455 है0 भूमि हेतु आवीस एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्योप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि खरारा संख्या 270 रकबा 0.691 हे0 में से 0.681 हे0 का अर्जन किया जा रहा खाता संख्या 181 :--है। उक्त भूमि राजस्य अगिलेखों में रतन कुमार व सुगन कुमार पुत्रगण बुद्ध उर्फ बाबूलाल श्रीमती रागण्यारी पत्नी रव0 बुद्ध सर्फ वावूलाल के नाम पूर्व रान् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रतन कुमार पुत्र २व० युद्धू उर्फ बावूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि व सुमन कुमार पुत्र स्व0 बुद्धू उर्फ बायूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग कुल भूमि 0-506हैं0 भूमि हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जार्येगा।

भूगि खसरा संख्या 316 रकवा 0.084 हे0, 317 रकवा 0.084 हे0, कुल 0.168 हे0 भूमि खाता संख्या २०४ :--का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसुमिरन व सुगासु पुत्रगण शत्रोहन, राजू नाठबाठ 15 वर्ष व राजेश नाठबाठ 11 वर्ष व राकेश कुमार नाठबाठ 10 वर्ष संठ सवित्री देवी पुत्र शत्रोहन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय मूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुभासु द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग भूमि अर्थात 0.0336 हैं0 भूमि हेतु उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 0.068 है0, 306 रकबा 0.151 है0, 308 रकबा 0.178 खाता संख्या 205 :--हे0, 310 रकबा 0.085 हे0 कुल 0.482 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसुमिरन व सुभासु पुत्रगण शत्रोहन, राजू नाठबाठ 15 वर्ष व राजेश नाठबाठ 11 वर्ष व राकेश कुमार नाठबाठ 10 वर्ष संठ सवित्री देवी गाता पुत्रगण शत्रोहन, राममिलन यादव पुत्र मैकू लाल, राममिलन यादव पुत्र बाबूलाल नि० त्रिलोकपुर नयापुरवा के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क रांक्रमणीय भूगिचर अंकित है। अगिलिखित खातेदार सुभासु द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग भूमि अर्थात 0.0482 हे0 भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।



खाता संख्या २३१ :--

भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.236 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामनरेश व राम मिलन पुत्रमण दुलारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनरेश द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माम भूमि अर्थात 0.118 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणींत किया जाता है। अभिनिणींत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २४२ :-

भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 1.159 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि० विरयाबाग ग० उतरिवया, देवीसरन पुत्र जगन्नाथ, नन्ही देवी पत्नी जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बि० द्वारा प०क० 11 क दिनाक 07.07.08 खाता संख्या—59, 139, 214, 242 से मृतक नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दिकशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि०ग्र० का नाग बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्दिकशोर द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि अर्थात 0.193167 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २४५ :--

भूमि खरारा संख्या 213 रकवा 0.653 हैं0 में से 0.644 हैं0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम रोवक, बनवारी पुत्रमण बदी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बनवारी द्वारा अपने हिस्से की 3/4 भाग भूमि अर्थात 0.483 हे0 व राग रोवक द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि अर्थात 0.161 हे0 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आघार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान रवागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जार्येगा।

भूमि खरारा संख्या ७ रकवा ०.५५१ हे०, २० रकवा १.१६३ हे०, ३४ रकवा ०.४३६ हे०, खाता संख्या 266:-127 रकबा 0.190 है0 कुल 2.340 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रीहर पुत्र गमवान दीन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अपने पूर्ण भाग भूगि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वाभित्व/पर्यापा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि खरारा संख्या 302 रकवा 0.350 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि खाता संख्या २७७:-राजस्व अभिलेखों में शिवरतन पुत्र मेड्ई निवासी ग्राम नान्हू बबलू राजनू पुत्रमण रामस्वरूप के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नान्हू द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि अर्थात 0.05833 हैं0 भूमि हेतु उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गर्थे अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि खसरा संख्या २२९ रकबा ०.०९३ हे०, २३० रकबा ०.०२५ हे०, २३१ रकबा ०.०२१ हे० खाता संख्या 284 :-कुल 0.139 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हनोमान पुत्र कल्लू, सरजू देई विधवा कुशहर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क०-11 के दि० 21.09.07 खाता संख्या-282, 283, 284 से मृतक हनोगान के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान व मनोज कुमार, मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार वाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, राजेन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, सुरेश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूगि, मनोज द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग भूमि तथा मंजीत द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग भूमि अर्थात कुल 0.0695 है0 भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान रवामित्व / पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि खसरा संख्या 58 रकवा 0.295 हैं0, 103 रकवा 0.076 है0, 104 रकवा 0.291 है0, 258 रकवा 0.681 है0, 282 गि0 रकवा 0.316 है0 कुल 1.659 है0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में सुखमीलाल पुत्र नन्हें, दर्शनलाल पुत्र राम भरोसे, रमेश, महेश पुत्रगण गुरु प्रसाद, नन्दलाल, तेजबहादुर, जीतबहादुर पुत्रगण वाबादीन नि० ग्राम नरसिंह पुत्र उदल पुत्र सोनेलाल, विद्यावती पत्नी सोनेलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क रांक्रमणीय भूगिधर अंकित हैं। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश नाठतठ काकोरी वाद संठ 375 दि० 30.04.07 खतीनी 1413/1418 फ के खाता सं० 302 के पूर्ण भाग से समक्ष अंकित मृतक खातेदार सुखगी लाल व खाता संख्या 300 वकदर भाग के समक्ष अंकित मृतक खातेदार सुखगीलाल पुत्र नन्हें का नाम निरस्त करके रामशकर, ओमप्रकाश पुत्रमण सुखगीलाल व श्रीमती समस्ती पत्नी स्व० सुखमीलाल नि0 सेवई का नाग उत्तराधिकार दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्दलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूमि, दर्शनलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, नरसिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूगि, उदल द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूगि, विद्यावती द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग, तेज बहादुर द्वारा अपने हिस्से का 1/24 भाग, जीत वहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग, रमेश द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग, महेश द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग, रामशंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, ओमप्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग तथा रागरानी द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूगि उ०५० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा रांख्या-258 व 282 स पर श्रीमती शिवदेवी द्वारा आपिता प्रस्तुत कर भुगतान किसी अन्य सहखातेदारों को न करने की याचना की गयी है एवं उक्त खाते पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपिता प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। इस तरह प्रतिकर विवादित हो जाता है। अतः अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम सेवई के प्राप्त हुये समझौते से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध आपत्तियों का उल्लेख सम्बन्धित खाता / खसरा संख्याओं में कर दिया गया है जिनके निस्तारण के उपरान्त संबंधित भूस्वामियों से शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साहय तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूगि का कब्ज़ा आवास एवं विकास परिषद को हरतान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०३१०३४० की घारा 18 एवं 28 (ए)

का लाग अनुमन्य नहीं होगा।

16.05.10

(बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)

पह min Can 4 min Pand 2605-10 dt 35, cuitles Pour my la 26.05-10 dt 26.5-10

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

			अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 3/2010 (3)
1-	वाद संख्या		1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां, सेंवई
3-	परगना तहसील व जिला	÷	লম্বন্জ ।
4	अगिनिर्णीत क्षेत्रफल	;	वरौली खलीलाबाद- 28.92579 हेक्टेयर ।
4	dirit ind sisters.		घुसवलकलां - 0.8215 हेक्टेयर ।
			सेंवई - 0.072 हेक्टेयर ।
			योग - 29.81929 हेक्टेयर
	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं ।
5-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन		सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं
6-	मून अध्यापा का प्रपालन		गृह स्थान योजना
7-	उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		17/07/2004
8-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम	Ÿ	30/9/2006
9	की घारा 32 की अधिरावना प्रकाशन की दिनांक भूगि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	1	05 / 12 / 2007
	अधिकार/कब्जा की तिथि	8	07.10.2008
10	अभिनिर्णय की तिथि	1	
11-	अभिनिर्णय की धनराशि		ग्राम्-बरौलीखलीलाबाद- 15,40,64,542-70
12-	आमानणय का धनरास		ग्राम—धुसवलकलॉ – 43,75,473—30
			ग्राम-सेवई - 3,83,486-40
			योग - 15,88,23,502-40
15000			नियमानुसार जमा किया जायेगा।
13-	पूंजीकृत मूल्य		नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	. 40	3

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्मत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनसिश उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आग व खास नोटिसें निर्मत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810 / 08-9(2009-10) दिंनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :--

ग्राम बरौली खलीलाबाद

भूमि खसरा संख्या 1665/3 रकबा 0.759 है0, 1665/4 रकबा 0.190हे0, 1744 रकबा 0.253हे0, खाता संख्या ३० :-कुल रकवा 1.202 है। भूगि का अर्जन किया जा रहा है। जक्त भूगि राजरव अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, रांतराम पुत्रगण जग्गू, सरजूदेई पत्नी रामनरायन व भगवानदीन पुत्र चेतराम, रूपरानी पत्नी श्रीराम व शिवदेवी पत्नी सत्यनरायन निवासी ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1360 रो श्रेणी 1 क रांक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज, अवधराम, रामजीत ना०बा० 10वर्ष पुत्रमण बैजनाथ सं0 श्रीमती कलावती माता रवयं व श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 बैजनाथ नि0 घोघनखेड़ा का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः भगवानदीन पुत्र चेतराग के स्थान पर शुद्व नाम श्रीमती भगवानदेई पत्नी चेतराम के आदेश अकित है। पुनः मृतक भगवानदेई के स्थान पर श्रीमती ऊषा पत्नी नन्हें पुत्री चेतराम तथा मृतक केदार के स्थान पर फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल पुत्रगण स्व० केदार व श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० केदार का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित हैं। अभिलिखित खाातेदारों में से श्री जगन्नाथ द्वारा 1/9 व श्री फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल व रामप्यारी प्रत्येक द्वारा 1/12 भाग तथा श्री धर्मराज, अवधराम, रामजीत व श्रीमती कलावती प्रत्येक द्वारा 1/36 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1665/9 रकबा 2.023 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व खाता संख्या ११७ :-अभिलेखों में जगजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1396 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 980 / 18.07.08 गाटा संख्या 1799 / 1 रकबा 4.077है0 के बकदर भाग से 0.507है0 व गाटा सं0 1665 / 9 रकबा 2. 023 है0 में से जगजीत सिंह पुत्र स्व0 कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी नि0 रेल नगर का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा तथा विक्रीत भूमि के बाद शेष रकबे पर विक्रेता का नाम यथावत रहेगा, के आदेश ऑकित है। श्री सन्तोध त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 142 :--

भूमि खसरा संख्या 1656/6 रकबा 0.948 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिलीप सिंह व गंगासिंह पुत्रगण कुंवर सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार नाठतठ बिजनौर वाद संख्या 829 दिनांक 05.06.09 गाटा संख्या 1656/6 रंकबा 0.948 हेठ के बकदर भाग से जीवनसिंह, चरन सिंह पुत्रगण गंगासिंह व श्रीमती हीरादेवी पत्नी स्वठ गंगासिंह द्वारा मुख्तारआम पुष्पा उपराणी पत्नी चरनसिंह पत्नी चरनसिंह व राजेश यादव पुत्र किशोरीलाल का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डन आई टाउन प्लेयर्स प्राठलिठ, कम्यूनिटी सेन्टर, न्यू फेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निठ 1/76. विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 166 :--

भूमि खसरा संख्या 1665/1मि0 रकवा 0.759 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नवनीत सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) गाटा संख्या 1665मि0/1/0.759हे0 में नवनीत सिंह का नाम निरस्त करके जयकेश त्रिपाठी पुत्र रामऔतार त्रिपाठी का नाम द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री जयकेश त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 152 :--

भूमि खसरा संख्या 1665/2 रकबा 2.782 है0, 1799/1 रकबा 1.012है0 कुल 3.794है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरदार धर्म सिह, सरदार सरनजीत सिंह, सरदार बलजीत सिंह पुत्रगण सरदार पाल सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में खसरा संख्या 1665/2 रकबा 2.782 है0, 1799/1 रकबा 1.012है0 के बकदर भाग से तरसेम सिंह पुत्र स्व0 धर्मसिंह का निरस्त करके सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेरसिंह बिन्द्रा का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः खसरा संख्या 1665/2 रकबा 2.782 है0, 1799/1 रक्तवा 1.012है0 के बकदर भाग से सरदार सरनजीत सिंह व सरदार बलजीत सिंह का निरस्त करके एसिएन्ट टाउन जानर्रा पाठिता द्वारा बाइरेक्टर स्रेन्द्र सिह बिन्द्रा का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। आदेशानुसार नाठता बिजनीर 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 में आंशिक संशोधन करते हुये क्रेता एसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्राठलिठ द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिह बिन्द्रा का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा पढ़ा जाये, के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार नाठता विजनीर 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 में आंशिक संशोधन करते हुये गेतिकन हातसिंग एण्ड डेवलपर्स प्राठलिठ द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिह बिन्द्रा का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा पढ़ा जाये, जोतेश



के आदेश अंकित है।अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २५६ :--

भूमि खसरा संख्या 1665/9 रकवा 2.529 है0, 1665/7 रकवा 0.759है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनप्रीत सिंह ना०बा० 3 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह सं० सरदार हजारा सिंह परवावा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन राम्बनी जाइनाओं में आदेशानुसार न्यायालय जनपद न्यायाणीश लोक अदालत वाद संख्या 95 वर्ष 2009 मनप्रीत सिंह द्वारा बहन कु० किरनदीप कौर बनाम सरदार हजारा सिंह ता०फै० 13.09.09 कु० किरनदीप कौर को अव्यस्क मनप्रीत सिंह के सरीर व सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किये जाने के आदेश अंकित है। कु० किरनदीप कौर द्वारा 3.288हे० भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 389 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/7 रकबा 0.759हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में रामलखन व रामकुमार व राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल नि० घोघनखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 1142/156/दिनांक 25.02.10 गाटा संख्या 1665/7मि/0.759 से रामलखन व रामकुमार व राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल नि० घौघनखेड़ा का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम का नाम बतौर संवभू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीका द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री गुरूदत्त पुत्र श्री एच० के० बहादुर निवासी विजयनगर, इन्दौर मध्य प्रदेश द्वारा अपनी आपित प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या 508 :--

भूगि रगरारा संख्या 1656/3 रकवा 0.126 है0, 1656/4 रकवा 0.253है0, 1572मि0 रकवा 0.367है0 भृगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हुब्बा पुत्र हेमराज के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूगिवर अकित है। आदेश एवं परिवर्तन राग्वन्धी आझाओं में मृतक हुब्बा के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री कल्लू द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 518 :--

भूमि खसरा संख्या 1627/1 रकवा 0.079 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरदार हरजीत सिंह व सरदार कुलदीप सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 1632/509/29.09.09 द्वारा गाटा संख्या 1627मि0 रकवा 0.079हे0 से हरजीत सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र सरदार प्रीतम सिंह के स्थान पर मेसर्स गोल्डन आई टाउन प्लानर्स प्राठलिठ, द्वारा हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम संठभूठ द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बिन्द्रा द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में सरदार हरजीत सिंह व सरदार कुलदीप सिंह पुत्रगण वीतम सिंह द्वारा अपनी आमित परजुत करते हुने प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या २७ :-

भूमि खसरा संख्या 1601/1 रकवा 0.190है0, 1662/1मि0 रकवा 0.126है0, 1665/8 मि0 रकवा 0.126है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में औसान पुत्र शीतल, रामलोटन, रामू पुत्रगण लिछमन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री रामलोटन द्वारा 1/4 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९ :-

भूमि खसरा संख्या 1836/1 रकबा 1.303 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में कुलवन्त सिंह पुत्र राम सिंह, सर्वजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1396 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 1630/551/29.09.09 गाटा संख्या 1836/1 क्षेठ 1.303हेठ का 1/2 भाग 0.6515हेठ से कुलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स एसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्राठलिठ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम संवभूठ द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बिन्द्रा द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 55 :--

भूमि खसरा संख्या 1836/3 रकना 1.012 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कुलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर जीनल है। आदेश एवं परिवर्तन रामन्त्री आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर , लखनक वाद संख्या 1631/553/29.09.09 गाटा संख्या 1836/3 क्षे0 1.012हे० से कुलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिनामन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में कुंवर रणवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, राजिकशोर सिंह पुत्रगण जगतपुरल सिंह द्वारा अपनी

आपित प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या ४५२ :-

भूमि खसरा संख्या 1665/8िम0 रकवा 0.189है0, 1667/4 रकवा 0.051है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शंकरलाल पुत्र हुबलाल नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४७० :--

भूमि खसरा संख्या 1836/1मि० रकबा 2.530 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में साविन्दर सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण कुलवन्त सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 1638/552/08.09/29.09.09 गाटा संख्या 1836/1 क्षे० 2.530हे० से विक्रेता साविन्दर सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण कुलवन्त सिंह का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिनामन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम रां०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४६२ :-

भूमि खसरा संख्या 1627मि० रकवा 4.805हे०, 1661मि० रकवा 5.615हे०, 1665 रकवा 4.704हे० तथा 1836/1मि0 रकबा 1.265हे0 कुल 11.389हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह, सर्वजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह व प्रीतम सिंह पुत्र केसर सिंह, हरजीत सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह, शमशेर सिंह ना०वा० आयु 11 वर्ष, अंगरेज सिंह, गुरूसाहब सिंह पुत्रगण जागीर सिंह नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1385 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नावतव बिजनौर वाद संख्या 943/820/5.06.09 खसरा संख्या-1627/4.805 व खसरा संख्या-1661मि0/5.165, 1665 मि0/4.704 व 1836/1मि0/1.265 के बकदर भाग से सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह का नाम निरस्त कर के सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है।पुन: आदेशानुसार नावतव बिजनौर गाटा संख्या-1627/4.805, 1661मिव/5.615, 1665 मिव/4.704 व 1836/1मिव/ 1.265 के बकदर भाग से प्रीतम सिंह पुत्र केसर सिंह व शमशेर सिंह पुत्र जागीर सिंह का नाम निरस्त करके सनवे प्रमोटर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर स0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० त० बिजनौर दिनांक 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 मे केता सनवे प्रमोटर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम पढ़ा जाये के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० त० वि० वि० 02.07.09 द्वारा आदेश वि० 05.06.09 में आशिक संशोधन करते हुये केता फायर टाऊन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ विकेता सरद्वार हरजीत सिंह पुत्र

सरदार प्रीतम सिंह व गुरू साहब सिंह पुत्र जागीर सिंह का नाम निरस्त कर के मेसर्स मिस्ट प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज किये जाने के आदेश-अंकित है। पुनः विकेता सरदार हरजीत सिंह पुत्र सरदार प्रीतम सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह का नाम निरस्त कर के मेसर्स मिस्ट प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः विकेता अग्रेज सिंह पुत्र सरदार जागीर सिंह का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः विकेता गुरू साहव सिंह पुत्र सरदार जागीर सिंह का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज किये जाने के आदेश ॲकित है। पुनः विकेता सरदार हरजीत सिंह पुत्र सरदार प्रीतम सिंह व सरदार गुरू साहब सिंह पुत्र जागीर सिंह का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 3.631 है0, मेसर्स मिस्ट प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा आधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 5.008 है0, मेसर्स सनवे प्रमोटर्स प्रावेट लिगिटेड द्वारा सुरेन्द्र सिंह विन्द्रा द्वारा 3.153 है0 कुल 11.792 है0 भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के संबंध मे पूर्व के खातेदार श्री हरजीत सिंह आदि द्वारा प्रतिकर भुगतान के संबंध मे प्रस्तुत आपित के निराकरण के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।

ग्राम घुसवल कला

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 394 रकवा 0.200हे0, 401 रकवा 0.205 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग, उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्री कृष्ण नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ गाटा संख्या ३९४ रकबा ०.२००हे०, ४०१ रकबा ०.२०५ हे० के बकदर भाग से राजेश कुमार व उमेश कुमार पुत्रगण श्री कृष्ण का नाम निरस्त करके एनसिण्ट टाउन प्लानर्स प्राठितठ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम संठभूठ द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 1/2 भाग भूगि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री जावेद इकबाल द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या ६८ :-भूमि खसरा संख्या 397 रकवा 0.289हे0, 402 रकवा 0.132 हे0 व 410 रकवा 0.198हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद नि० छोटा बरहा के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ गाटा संख्या 397 रकबा 0.289है0, 402 रकबा 0.132 हे0 व 410 रकबा 0.198हे0 से मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद का नाम निरस्त करके मेसर्स फायर टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री सुरेन्द्र सिह बिन्द्रा द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम सेंवई

भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 0.144है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व खाता संख्या 127 :-अभिलेखों में वाबादीन पुत्र कल्लू, सुखदीन पुत्र पिताम्बर नि0 ग्राम विजय कुमार पुत्र बलई नि0 बंगला बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार बिजनीर वाद संख्या 1281/212 दिनांक 09.09.09 खाता संख्या 125 गाटा संख्या 45 / 0.165का पूर्ण भाग व खाता संख्या 127 गाटा संख्या 57 का 0.144हे0 का बकदर भाग से विक्रेता बाबादीन पुत्र कल्लू व विजय कुमार पुत्र बलई का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम का नाम बतौर संवभूव द्वारा बैनामा तथा शेष रकबे पर अन्य खातेदार का नाम यथावत दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीका द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री जावेद इकबाल द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुसवल कलों व रोवई के प्राप्त हुये रागझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा। कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साह्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझीता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०३१०३१० की घारा 18 एवं 28 (ए) का लाम

अनुमन्य नहीं होगा।

26.05.10 (बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (मू०अ०) लखनऊ।

WE min Point mili Ring 26-5-10 at 3551/hz



कार्यालय अपर जिलाधिकारी(गू०अ०)उ०प्र० आवारा एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

			अभिनिर्णय आदेश संख्या : 2/2010
1-	वाद संख्या	1	1/2010
2-	ग्राम का नाम	1	सेवई, देवामऊ, अहमामऊ।
3	परमना तहसील व जिला	3	लखन्छ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	4	सर्वई - 2-5357 है0,
			देवामऊ - 0-38775 है0,
			अस्माक ० ९४५ है०
			योग : 3-86845 है0
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है		नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	8	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं
	6		गृह स्थान योजना
7-	out of the state o	9	17/07/2004
	की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		0007007000
8	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अभिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन	3	05/12/2007
	की दिनांक		
10	अधिकार/कब्जा की तिथि	3	07.10.2008
11-	अगिनिर्णय की तिथि	:	_
17	अभिनिर्णय की घनसभि		20604138 39 पैसा
13-	पूजीकृत गूल्य		नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	2	नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्ता से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

त्यरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हारा भूगि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की घनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की घारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की घनराशि भी समितिवत है, पर आम सहमति बनी थी। उकत दर का अनुमोदन मा० आगुकत लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या



6810/08-9(2009-10) दिंनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :--

ग्राग सेवई

खाता संख्या ८८ :-

भूमि खसरा रांख्या 23 रकवा 0.547 हे0, खसरा राख्या 128 रकवा 0.419 हे0, कुल रकवा 0.966 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उकत भूमि राजस्व अभिलेखों में पुतान, रहमत अली पुनाण फल्नू गामगारी के नाम पूर्न रहन करानी 13/3 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिगर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आजाओं में आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या—1105 256/28.09.08 गाटा संख्या 23/0.547, 128/0.419 हे0 से पुत्तन व रहमत अली पुत्रगण फज्जू का नाम निरस्त करके केता मेसर्स सितारा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्र0लि0 रिज0 आफिस—33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा पितारी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संवभूव द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ९७ :-

भूमि खसरा संख्या ४ रकवा 0.093 हे0. खसरा संख्या-244 रकवा 0.316 हे0, खसरा संख्या-245 रकवा 0.058 है0 कुल रकवा 0.467 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में श्री फूल चन्द्र, राग लखन व नन्हकेक पुत्रगण गया प्रसाद, परशुराग व बिन्देश कुगार पुत्रगण राघेलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा0नि0 विजनौर द्वारा पःकः 11 का/20.11. 07 खाता संख्या-97 से मृतक परशुराम के स्थान पर मंजीत मंदीप ना०व० आयु कमश: 13, 7 वर्ष व सं० श्रीमती रूपरानी माता स्वयं पुत्रगण परशुराम व श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व० परशुराम निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या-978/256/27.06.08 गाटा संख्या 4/0.093 हैं। से फूल चन्द्र, रामलखन, नन्हकऊ पुत्रगण गया प्रसाद व मंजीत व मंदीय नाठ बाठ रांठ श्रीमती रूपरानी माता रवयं पुत्रमण परशुराम व श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व0 परशुराम व बिन्देश कुमार पुत्रगण राघेलाल का नाम निरस्त करके मेसर्स सिकरा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्र0लि० रजि० आफिस-33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संवभूव द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त भूमि खसरा संख्या-4 रकबा 0.093 हे0 हेत् अभिलिखित खातिदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्गीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 125 :--

भूमि खसरा संख्या 45 रकबा 0.165 है0, 241/0.016 है0, 242/0.039 है0 कुल रकबा 0.220 हैं। भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबदीन पुत्र कल्लू ग्रामवासी व विजय कुमार पुत्र बलई निवासी उसरी बंगला बाजार, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश नायब तहसीलदार बिजनौर वाद संख्या 1281/212/09.09.09 खाता संख्या—125 गाटा संख्या—45/0.165 हे० का पूर्ण भाग व खाता संख्या-127 गाटा संख्या-57/0.144 है0 का बक्दर भाग मा0 गू० 60 ख से विकेता बाबादीन पुत्र कल्लू निवासी ग्राम विजय कुमार पुत्र बलई निवासी उसरी बंगला बाजार का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीका राम निवासी बरौलीखलीलाबाद परगना विजनीर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। गाटा संख्या 57 के शेष रकबे पर अन्य राहखातेदार यथावत दर्ज रहेंगे। उक्त भूगि खरारा संख्या-45 रकवा 0.165 हे0 हेतु अभिलिखित खातिदार द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियगानुसार किया जायेगा।

(10

खाता संख्या 138 :--

भूमि खसरा संख्या 17 रकवा 0.215 हे0, खरारा संख्या-27 रकवा 0.114 हे0, कुल रकबा 0.329 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू रामा, देवता दीन पुत्रगण कुन्ने निवासी देवामऊ भगवान बक्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू ग्रामवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल निवासी धावाहार रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल निवासी घावाहार का नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश तहसीदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-929/894/26.06.08 गाटा संख्या-17/0.215 है0 व 27/0.114 है0 के बक्दर भाग से राजेन्द्र कुमार रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप, पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त करके एनसिएन्ट टाउन प्लानर प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह विन्दा पुत्र शेर सिंह विन्द्र निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा संकमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेन्द्र रिंह बिन्द्रा पुत्र शेर रिंह बिन्द्र निवासी 1/76 विपुल खण्ड गोगती नगर, लखनऊ द्वारा राजेन्द्र कुमार आदि के कुल भूमि 0.329 हे0 में रो 1/4 भाग का अनुबन्ध किया गया है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है। जिसमे विपक्षीमणों को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार द्वारा आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अगिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व / पर्योप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३२६ :--

भूमि खसरा संख्या 115 रकवा 0.588 हे0. खसरा संख्या 36 रकवा 0.187 हे0 खसरा संख्या-131 रकबा 0.782 हे0 कुल रकबा 1.557 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में श्री भगवान पुत्र जगुना प्रसाद निवासी छोटा बरहा आलगवाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1404 व 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या—1170/50/29.09.08 गाटा संख्या 115/0.588 हे0 गाटा संख्या—36/0.187 हे0 से श्री भगवान पुत्र जमुना प्रसाद का नाम निरस्त करके केता गेसर्स फार टाऊन प्लानर्स प्रा० लि० रिजि० आफिरा 33 कम्यूनिटी रोन्टर न्यू फेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संवगू० द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त भूमे खसरा संख्या—115 रकबा 0.588 हे0 36/0.187 हे0 कुल रकबा 0.775 हे0 हेतु अभिलिखित खातिदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३३३ :-

गूगि खरारा संख्या 125 रकवा 0.833, हे0, खरारा संख्या 126 रकवा 0.076, हे0, कुल रकवा 0.909 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती विमला कुमारी पत्नी दुर्गा प्रसाद, श्रीमती मीना पत्नी सुरेश चन्द्र निवासी निलमधा बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिघर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश तहसीदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या—882/151/31.05.08 गाटा संख्या—125/0.833 हे0 व गाटा संख्या—126 स 0.076 हे0 से श्रीमती विमला कुमार पत्नी दुर्गा प्रसाद का नाम निरस्त करके मेसर्स हिमगिरी हाऊसिंग एण्ड लैंड डेवलपर्स प्राठ लिठ रिजिठ आफिस 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फंडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाग बतौर संठगूठ द्वारा बनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता जावेद इकबाल की आपिता प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग 0.4545 हे0 भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का मुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

देवागऊ

खाता संख्या 20:-

भूमि खसरा संख्या 218 रकबा 0.147 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवी दीन पुत्र कुनी व गुड्डा, कल्लू नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० रामा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ४८ :--

भृमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.081 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में मैंकू लाल नौमीलाल पुत्रमण मोती व तुलाराम पुत्र झाऊ लाल व राजकुमार, पप्पू पुत्रमण परशुराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व रान् फराली 1373 से श्रेणी 1 क रांक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0—11 क 21.08.07 खाता संख्या—47, 48 से मृतक नौमी लाल के स्थान पर राम मिलन, राम समुज, राम नरेश सरवन विनोद कुमार पुत्रमण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी रव0 नौमी लाल निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस अंकित है। आदेश रा0नि0 बिजनौर द्वारा प0क0—11 क 13.07.08 खाता संख्या—47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी रव0 नौमी लाल निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस अंकित है। अनुबन्ध के आधार पर रामसमुझ 1/36 भाग व श्री पप्पू का 1/6 भाग कुल रकबा 0.1575 है0 भूमि का आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 50 :-

भूमि खसरा संख्या 197 रकबा 0.024 है0, खसरा संख्या 225 रकबा 0.023 है0, खसरा संख्या 226 रकबा 0.013 है0, खसरा संख्या 227 रकबा 0.014 है0, कुल रकबा 0.074 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्हा पुत्रमण छेदा व औसान, राजेश, सुरेश पुत्रमण प्रभु निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश रा0िन0 बिजनौर द्वारा प0क0–11 क 21.08.07 खाता संख्या 49, 50 से मृतक मंगल के रथान पर हीरालाल, सूरज बली पुत्रमण मंगल व श्रीमती छबीला पत्नी स्व0 मंगल निवासी ग्राम का नाम वतीर वारिस अंकित है। अनुबन्ध के आधार पर श्री राजेश, सुरेश पुत्रमण प्रभु ने कुल भूमि से 1/4 माग 0.0185 है0 भूमि का आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता रांख्या ६० :-

भूमि खसरा संख्या 173 रकवा 0.413 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में पप्पू पुत्र परशुराम ने 1/2 अंश 0.2065 है0 का आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिणीत किया जाता है। अगिनिणीत प्रतिकर का भुगतान खामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जातेगा।

ग्राम अहमामऊ

खाता संख्या 4:-गूमि खरारा संख्या 1173 क रकता 0 101 हे0, 1213क/0 069 हे0, 1214/0 044 हे0, 1215/0-360 हे0, 1216 क/0-009 हे0 कुल 0-583 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उकता भूमि राजस्व अभिलेखों में अमृत लाल पुत्र राग भरोसे निवासी ग्राम, अर्जय कुमार वर्मा पुत्र काशी

(16)

राग व बीना रानी पत्नी अनिल कुगार वर्गा निवासी एसावबीठ-6 शास्त्री नगर, गाजियाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खतौनी सन फसली 1415 से 1420 मे दर्ज आदेश नायब तहसीलदार बिजनौर द्वारा प:क:-23/9.03.10 वर्तमान खतौनी के खाता संख्या-4 पर त्रुटिवश अंकित अमृत लाल पुत्र राम भरोरो निवासी ग्राम का नाम निरस्त हों के आदेश किये गये है। श्री अजय कुमार पुत्र काशी राम व बीना रानी पत्नी अनिल कुमार वर्मा निवासी-एस0बी0-6 शास्त्री नगर, गाजियाबाद द्वारा अपने अंश खतौनी के अनुसार 1/2 भाग का आपसी समझौता किया जाना था। परन्तु त्रुटिवश उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से 2/3 का किया गया है। इस प्रकार संशोधित खतौनी के अनुसार 1/2 प्रत्येक का अभिनिर्णीत प्रतिकर तैयार किया गया है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भूगतान स्वागित्व / पर्योप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियगानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 388 :-

भूमि खसरा संख्या 1208 रकवा 0-174 है0, 1210/0-082 है0, 1211/0-106 है0 कुल 0-362 हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अगिलेखों में विशाल द्विवेदी पुत्र कृपा शंकर द्विवेदी निवासी टिकरिया बक्कास, लखनऊ व राम विलास सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी सरसवाँ के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। श्री विशाल द्विवेदी व राम विलास सिंह द्वारा अपने अंश का आपसी समझौता आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार अभिनिर्णय तैयार किया गया है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का मुगतान स्वामित्व/पर्याप्त

साह्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम सेवई व देवामऊ, अहमामऊ के प्राप्त हुये समझौते से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध आपितायों का उल्लेख सम्बन्धित खाता/खसरा संख्याओं मे कर दिया गया है जिनके निस्तारण के उपरान्त संबंधित भूस्वागियों से शपथपत्र व स्वागित्व की पुष्टि से संबंधी साहय तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही यह प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवारा एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को

गू0310310 की धारा-18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुभन्य नहीं होगा।

(बाबूलाल श्रीवास)

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)

लखनक।

The min Prose mir Panis 26.5-10 at 35 Entles

Award NO

(14)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

- SEH	(VAC		अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 1/2010
1-	वाद संख्या	2	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां, सेंवई।
3-	परगना तहसील व जिला		লম্ভনক
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	5	बरौली खलीलाबाद- 8.5625 हेक्टेयर । धुरावल कलां- 10.06236हेक्टेयर । सेंवई - <u>3.0494 हेक्टेयर ।</u> योग- 21.67426 हेक्टेयर ।
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	t	नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ०प्र0 आवास एनं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	100	17/07/2004
8-	उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	Į.	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि		07.10.2008
11-	अगिनिर्णय की तिथि		
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	115441443.61
13-	पूंजीकृत मूल्य		नियमानुसार जमा किया जायेंगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	:	नियमानसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूगि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूगि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर

Award NO

(14)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

3	- 1 M		अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 1/2010
1-	वाद संख्या	1	1/2010.
2-	ग्राम का नाम	:	बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां, सेंवई।
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	बरौली खलीलाबाद- 8.5625 हेक्टेयर । पुरावल कलां- 10.06236हेक्टेयर । सेंवई - <u>3.0494 हेक्टेयर ।</u> योग- 21.67426 हेक्टेयर ।
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है		नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ०प्र0 आवास एनं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक		17/07/2004
8	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	0.0	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	ī	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	1	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	13	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	+	115441443.61
13-	पूंजीकृत मृल्य		नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	1	नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूगि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर

आम सहमित बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनाक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्क्रम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :--

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या 22 :-

भूमि खसरा संख्या 1795 रकबा 0.216 है0, 1807 रकबा 0.013हे0, 1811 रकबा 0.012हे0, 1814 रकबा 0.013हे0, 1818 रकबा 0.012हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओमप्रकाश, जयप्रकाश पुत्रगण रामचरन, रामलखन व रामसागर पुत्रगण छंगा, श्रीमती महदेई बेवा छंगा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक महदेई के स्थान पर रामलखन, रामसागर पुत्रगण छंगा नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खाातेदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४२ :--

भूमि खसरा संख्या 1740 रकबा 0.354 है0, 1742 रकबा 0.291है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र उल्ला व राम नरेश पुत्र जगदेव निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक रामनरेश के स्थान पर श्रीमती विशुनदेई पत्नी स्व0 रामनरेश नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना0त0 बिजनौर द्वारा वाद सं0 948/292/5.6.09 गाटा संख्या 1740 क्षे0 0.354हे0 व 1742 क्षे0 0.291हे0 के बकदर भाग से विशुनदेई पत्नी रामनरेश का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि0 बरौली खलीलाबाद का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबू पुत्र टीका द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ८३ :--

भूमि खसरा संख्या 1674 रकबा 0.139 है0, 1675 रकबा 0.076है0, 1676 रकबा 0.126 है0, 1677 रकबा 0.215 है0, 1679 रकबा 0.051 है0,भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में गुरूदेव पुत्र इन्द्रपाल, रामकरन पुत्र जगमोहन, यदुवेश सिंह पुत्र ओमप्रकाश व वीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल, भोगनाथ पुत्र पितम्बर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1362 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में तहसीलदार, न्यायिक, सदर, लखनऊ वाद संख्या 744 दिनांक 31.07.08 गाटा सख्या

1674/0.148है0, 1675/0.076है0, 1676/ 0.139है0, 1677/0.215, 1679/0.051है0 में से गुरू पुत्र इन्द्रपाल व रामकरन पुत्र जगमोहन व यदुवंश सिंह पुत्र ओमप्रकाश व वीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल व भोगनाथ पुत्र पितम्बर का नमा निरस्त करके श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी नि0 ए—29 से0 जे0, रेलनगर, आशियाना, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ९३ :-

भूमि खसरा संख्या 1633 रकवा 0.291 है0, 1660 रकवा 0.050हे0, 1659 रकवा 0.189 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में घुरू पुत्र छेदी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार घुरू पुत्र छेदी द्वारा पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १५७ :-

भूमि खसरा संख्या 1796/1 रकबा 0.228 है0, 1796/2 रकबा 0.508है0, 1856 रकबा 0.013 है0, 1858 रकबा 0.125 है0, 1861 रकबा 0.038है0, 1891 रकबा 0.316 है0, 1855/2 रकबा 0.071है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नोखे पुत्र मतऊ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0, बिजनौर पक—11क 20.01.06 खाता संख्या 157 से मृतक नोखे के स्थान पर गोकरन, लालबहादुर पुत्रगण नोखे व सररेश व मंगल ना0बा0 क्रमशः 12, 9 वर्ष पुत्रगण अशोक सं0 श्रीमती लक्ष्मी देवी माता स्वयं व श्रीमती लक्ष्मी पत्नी अशोक नि0 सरथुआ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री गोकरन द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 192 :--

भूमि खसरा संख्या 1914/3 रकबा 0.253 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परभू पुत्र अंगनू निवासी सरथुआ के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर पक—11क 16.01.08 खाता संख्या 192 से मृतक परभू के स्थान पर कुन्दनलाल पुत्र परभू निवासी सरथुआ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के

आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कुन्दनलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर् के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या १९७ :-

भूमि खसरा संख्या 1626/2 रकवा 1.151 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में श्रीमती प्यारो पुत्री देवासिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1396 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 1629/550/29.09.09 गाटा संख्या 1626/2/1.151हे0 माठगुठ 60ख से श्रीमती प्यारो पुत्री देवा सिंह निवासी वरीली खलीलाबाद, लखनऊ का नाग निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिनामन विल्डर्स एवं डेवलपर्स प्राठलिठ रिजठ आफिस 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेन्डरा कालोनी, नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा पृत्र शेर सिंह बिन्द्रा पृत्र शेराती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संवर्ग प्राठलिठ रिजठ आफिस 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेन्डस कालोनी, नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निठ 1/76, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २४५ :-

भूमि खरारा राख्या 1678 रकवा 0.278 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में भोगनाथ पुत्र रव0 पितम्बर निवारी जवाहर खेडा रोंवई के नाम पूर्व रान् फराली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर न्यायिक, लखनऊ वाद संख्या 697/31.07.08 माटा संख्या 1678/ 0.278है0 रो भोगनाथ पुत्र स्व0 पितम्बर का नाम निरस्त करके श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी नि0 ए-29 से0 जे0, रेलनगर, आशियाना, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 257 :--

भूमि खसरा संख्या 1799/1 रकवा 4.077 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में मनप्रीत सिंह नाठबाठ आयु 3 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह संरक्षक स्वयं व जगजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह संठ सरदार हजारा सिंह परबाबा निठग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1397 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर . लखनऊ वाद संख्या 980/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 क्षेठ 4.077हेठ के बकदर भाग में से 0.507हेठ व गाटा संख्या 1665/9 मिठ/2.023हेठ से जगजीत सिंह पुत्र स्वठ कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्वठ चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी निठ बी-58 सेठ जेठ, रेलनगर, आशियाना,लखनऊ का नाम वतीर संठगूठ होरा वैनामा दर्श किये ज्ञाने के आदेश अंकित है।

(10)

अभिलिखित खातेदार सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 284 :-

भूमि खसरा संख्या 1700 रकवा 0.152 है0, 1710/2 रकवा 0.155है0, 1749 रकवा 0.266है0, 1757 रकवा 0.341है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मातादीन, रामआसरे, महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदीन नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २९८ :-

भूमि खसरा संख्या 1701 रकवा 0.253 हे0, 1712 रकवा 0.708हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहकम पुत्र सीताराम नि0 घौघनखेड़ा म0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर ऑकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 305 :--

भूमि खसरा संख्या 1797/1 रकबा 0.770 है0, 1798/1 रकबा 0.089है0 व 1799/3 रकबा 0. 406है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मन्जीत सिंह पुत्र सरदार हजारा सिंह नि0 पिपरीखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1395 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ३४३ :-

भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकबा 1.005 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन, रामकुमार, जंगबहादुर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल व जगन्नाथवबैजनाथ पुत्र जग्गू नि0 घाँघन खेड़ा मजरा ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी1क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज व अवधराम बालिग, रामजीत ना0बा0 10 वर्ष पुत्रगण बैजनाथ संरक्षिका श्रीमती कलावती माता ख्वयं व श्रीमती कलावती पत्नी ख0 बैजनाथ निवासी घाँघन खेड़ा मजरा ग्राम का नाम बताँर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 1166/152/18.08.08 गाटा संख्या 1788/1 रकबा 1.005हे0 के बकदर भाग से जगन्नाथ पुत्र जग्गू धर्मराज व अवधराम पुत्रगण स्व0बैजनाथ व श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 बैजनाथ व रामजीत पुत्र स्व0 जगन्नाथ ना0बा0 द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 बैजनाथ व रामजीत पुत्र स्व0 जगन्नाथ ना0बा0 द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 बैजनाथ व रामजीत पुत्र टीकारामनिवासी ग्राम बराली खलीलाबाद कानाम बतारसंक्रमृणीय भूमिघर द्वारा बैनामा दर्ज

(9)

किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर् के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ४१३ :-

भूमि खसरा संख्या 1662मि0 रकबा 0.443 है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलोटन, रामू पुत्रगण लिछमन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। श्री रामलोटन द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 523 :--

भूमि खसरा संख्या 1615 रकबा 0.329 हे0, 1617 रकबा 0.022हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्ता भूमि राजस्व अभिलेखों में हरीशंकर व कृष्णशंकर पुत्रगण रामलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूगिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम घुसवलकलां

खाता संख्या 8 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.050 है0, 20 रकवा 0.030हे0, 21 रकबा 0.048हे0, 22 रकबा 0.025हे0, 23 रकबा 0.052 हे0, 24 रकबा 0.202हे0, 42 रकबा 0.046हे0, 182 रकबा 1.124हे0, 184 रकबा 1.093हे0, 185 रकवा 0.025हे0, 299 रकबा 0.326हे0, 304 रकबा 0.038हे0, 305 रकबा 0.025हे0, 316 रकबा 0.013हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में अवधेश कुमार पुत्र रामस्वरूप, रामकुमार पुत्र कृष्ण कुमार, 190 शकुन्तला पत्नी स्व0 कृष्ण कुमार, रातेन्द्र कुमार व देवेन्द्र कुमार पुत्रमण रामस्वरूप नि०ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार डिप्टी कलेक्टर (राजस्व) लखनऊ वाद संख्या 14/21/08—09/15.10.08/18.2.09 धारा 176 गाटा संख्या 256/2/0.0171 गा0गु0 0.43 व 435/1/0.0095 गा0गु0 0.24, 299/0.326हे0, 182/2/0.423हे0, 305/0.025हे0 कुल 0.774हे0 गा0गु0 33.42 लाल रंग पर अवधेश कुमार पुत्र समस्वरूप नि०ग्रा० का नाम दर्ज हो तथा गाटा संख्या 256/1/0.1216 गा0गु0 3.02 व 435/2/0.2945हे0 मा0गु0 7.26 से व गाटा संख्या 17/0.050, 20/0.030, 21/0.048, 22/0.025, 23/0.052, 24/0.202, 42/0.046, 182/1/0.701, 184/1.093, 185/0.025, 304/0.038, 316/0.013 हे0 कुल 2.323हे0 मा0गु0 99.94 हरा रंग व खातेदार अवधेश कुमार का नाम निरस्त करके शेष पूर्ववत अंकित खातेदार यथावत दर्ज रहेगे, के आदेश अंकित है। की गयी भूमि क्षे0 0.2988हे0 हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 75 रकबा 0.183 है0, 76 रकबा 0.187हे0, 90 रकबा 0.274हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार वर्मा पुत्र रामप्रसाद वर्मा नि0 ददुरी जमालपुर पो0 करोरा लखनऊ, सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र अशर्फी लाल वर्मा नि0 कासिमपुर लखनऊ श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतगुरू प्रसाद नि0 रहीमनगर महानगर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री अशोक कुमार वर्मा व श्रीमती सुशीला देवी द्वारा अपने हिस्से के 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14 :-

भूगि खरारा संख्या ४३१रा रकवा ०.००६ हे०, ४३२रा रकवा ०.१५३हे०, ४३३स रकवा ०.११३हे०, ४३४स रकवा ०.०४४हे०, ५०६स रकवा ०.००३हे०, ३९१ रकवा ०.०८२हे०, ४०९ रकवा ०.२००हे०, ४४४ रकबा २.१८७हे०, ४४६ रकेबा 0.018हे0, 447 रकेबा 1.197हे0, 456 रकेबा 0.202हे0, 457 रकेबा 0.010हे0, 459 रकेबा 0.039हे0, 464 रकेबा 0.104हे0, 465 रकवा 0.068हे0 तथा 484 रकवा 0.371हे0 कुल 4.797हे0 भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओमप्रकाश, नन्हा, राममिलन, कौशल किशोर, लल्लन पुत्रगण मैकू लालराम, औतार पुत्रगण त्रिलोकी, राम नरेश पुत्र रामचरन नि०ग्रा० के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 403/296/13.11.09 गाटा संख्या 506स रकवा 0.003हे0, 391 रकवा 0.082हे0, 409 रकवा 0.200हे0, 444 रकवा 2. 187हें0, 446 रकबा 0.018हें0, 447 रकबा 1.197हें0, 456 रकबा 0.202हें0, 457 रकबा 0.010हें0, 459 रकबा 0.039हें0, 464 रकवा 0.104हे0, 465 रकवा 0.068हे0 तथा 484 रकवा 0.371हे0 मा०गु० 60ख के बकदर भाग से विक्रेता नन्हा पुत्र मैकूलाल निवग्राव घुसवलकलां परगना बिजनीर तहसील व जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता में0 शिकारा रियल स्टेट एण्ड लैण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० रजिस्टर्ड आफिस ३३, कम्यूनिटि सेन्टर, न्यू फेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। मे० शिकारा रियल स्टेट एण्ड लैण्ड डेवलपर्स प्राठलिठ रजिस्टर्ड आफिस ३३, कम्यूनिटि सेन्टर, न्यू फेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि0 1/76, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा क्रय की गयी भूमि क्षेठ 0.2988हेठ हेतु आवारा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 30 :-

भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 0.405हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गयाप्रसाद, जगदम्बा प्रसाद पुत्रगण रामबली, दिनेश कुमार बालिग, संदीप कुमार, सत्यदीप कुमार पुत्रगण गेंदा प्रसाद उर्फ गया प्रसाद नि0 देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर

0

अंकित है। जगदम्बा प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग 0.135हें0 भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 31 :—

भूमि खसरा संख्या 284अ रकबा 0.050हे0 व 284ब रकबा 0.755हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा

है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चिरंजूलाल, भाईलाल पुत्रगण बुद्धू नि0ग्रा0 के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से
श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा सम्पूर्ण भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से

दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 427 रकवा 0.385है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जयमंगल पुत्र भृगुनाथ नि0 घरवारकली गाजीपुर हाल मुजफफरनगर घुसवलकलां के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 402/212/13.11.09 गाटा संख्या 427 रकवा 0.385हे0 मा०गु० 60ख से विक्रेता जयमंगल पुत्र भृगुनाथ का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम नि0ग्रा० बरौलीखलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 37:—

भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 0.111है0, 114 रकबा 0.317है0 व 138 रकबा 0.193है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जीतबहादुर पुत्र सत्यनरायन नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747हे0, 225 रकबा 1.567हे0, 369 रकबा 0.022हे0, 370 रकबा 0.035हे0, 372 रकबा 0.049हे0, 373 रकबा 0.025हे0 व 375 रकबा 0.219हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजलाल, अयोध्याप्रसाद पुत्रगण चेतई, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि0 जयसिंह खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से बृजलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 56 :--

भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 0.602है0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बंगाली प्रसाद, श्री भगवान पुत्रगण जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा आलमबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से बंगाली प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूगि हेतु आवारा एवं विकास परिणद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 65 :-

भूमि खसरा संख्या ४६८ रकवा ०.०६३हे०, ४७० रकवा ०.०४२हे०, ४७१ रकवा ०.०६८हे०, ४७२ रकवा ०.०६८हे०, ४७२ रकवा ०.०२६हे०, ४७२ रकवा ०.०२६हे०, ४७२ रकवा ०.०२६हे०, ४७२ रकवा ०.०३६हे०, ४७२ रकवा ०.०३६हे०, ४७२ रकवा ०.०३६हे०, ४७२ रकवा ०.०५६हे०, ४७० रकवा ०.०५६हे०, ४७० रकवा ०.०५१हे०, ४७० रकवा ०.०५१हे०, ४७० रकवा ०.०५१हे०, ४७२ रकवा ०.०५१हे०, ४०२ रकवा ०.०४१हे०, ४०४१हे०, ४०४१

खाता संख्या 67 :--

भूमि खरारा संख्या 3 रकबा 0.066हे0, 4 रकबा 0.064हे0, 5 रकबा 0.044हे0, 6 रकबा 0.057हे0, 7 रकबा 0.114हे0, 8 रकबा 0.067हे0, 19 रकबा 0.240हे0, 84 रकबा 0.046हे0, 85 रकबा 0.057हे0, 95 रकबा 0.25हे0, 96 रकबा 0.018हे0, 97 रकबा 0.062हे0, 98 रकबा 0.082हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद, हिम्मत, बहादुर पुत्रगण बिरजा नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर ऑकत है। मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है।

खाता संख्या 82 :--

भूमि खसरा संख्या 480 रकवा 0.321 है0, 481 रकवा 0.086 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, राजाराम पुत्रगण धन्नू, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल पुत्र बदलू, बाबूलाल, रामसनेही, रामसेवक ब0, राजू पुत्रगण बुद्धा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय

(6)

भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 963/221/01.07.08 गाटा संख्या 480 रकवा 0.321हे0, 481 रकवा 0.086 हे0, के बकदर भाग से राजाराम, बाबूलाल पुत्रगण धन्तू का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम नि0ग्रा0 बरौलीखलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि 1/3 गाग 0.1356 हे0 हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 83 :
भूमि खसरा संख्या 417 रकबा 0.194 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्य अभिलेखों में राजाराम, बाबूलाल पुत्रमण घन्नू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 986/01.07.08 माटा संख्या 417 रकबा 0.194हे0 के वकदर भाग से वाबूलाल पुत्र धन्नू का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम निवग्नाव वरौलीखलीलाबाद परमना विजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम वतौर संवर्ग्ण द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि 1/2 भाग 0.097 हे0 हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूगि खसरा संख्या 307 रकवा 0.831 है० भूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व अभिलेखों में रागरतन पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक बिजनीर द्वारा पक 11 11.02.08 खाता संख्या 92 से मृतक रागरतन के स्थान पर उगेशवन्द्र, मुकेशचन्द्र, अजय कुगार, प्रदीपकुगार, चन्द्रहास पुत्रगण स्व० रागरतन व श्रीमती मैकादेवी पत्नी स्व० रागरतन का नाम बतौर वारिस अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। श्री उगेशचन्द्र द्वारा 1/6, श्री मुकेशचन्द्र द्वारा 1/6, श्री प्रदीपकुगार द्वारा 1/6, श्री चन्द्रहास द्वारा 1/6 तथा श्रीमती मैका द्वारा 1/6 भाग भूगि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 103 :
गूगि खरारा संख्या 326 रक्ता 0.284 है। गूगि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजस्व
अगिलेखों में रामशेखर, रामसेवक पुत्रगण हनुमान, ताराचन्द्र यादव पुत्र हरदेव निवासी ग्राम चिरैयाबाग के नाम पूर्व
सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिनर अंकित है। श्री ताराचन्द्र यादव द्वारा 2/3, श्री रामसेवक द्वारा
1/6 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर
अगिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 127 :-

भूमि खसरा संख्या 334अ रकवा 0.057 हे0, 334व रकवा 0.737हे0 व 363 रकवा 0.205हे0 भूमि का. अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुनीलकुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश अव0 आयु 10वर्ष पुत्र नौमीलाल सं0 मु0 प्रेमा माता, प्रेमा पत्नी नौमीलाल, नरेन्द्रकुमार अव0 आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राघेश्याम संरक्षिका मु0 प्रेमा माता व मु0 प्रेमा विधवा राघेश्याम नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। श्री सुनीलकुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश अव0 आयु 10वर्ष पुत्र नौमीलाल सं0 मु0 प्रेमा गाता, प्रेमा पत्नी नौमीलाल द्वारा 1/2 भाग भूगि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 135 :--

भूमि खसरा संख्या 488 रकवा 1.182 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री भगवान पुत्र जमुना प्रसाद नि0 छोटा बरहा के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूभिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद रांख्या 926/161/26.06.08 गाटा संख्या 488 रकवा 1.182 हे0 से भगवान पुत्र जमुना प्रसाद का नाम निरस्त करके मेसर्स फायर टाऊन प्लानर्स प्रा० लि० रिज0 आफिस—33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर शिंह बिन्द्रा निवासी—1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम सात्र कुछ द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। मेसर्श फायर टाऊन प्लानंस प्रा० लि० रिज0 आफिस—33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राग सेवई

खाता संख्या 150 :-

भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 0.208 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महादेव, रामसागर पुत्रगण रामऔतार निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आझाओं में मृतक महादेव के स्थान पर श्रीमती सरोज पत्नी स्व० महादेव नि0ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता श्री प्रगोद कुमार शिंह ने आपत्ति प्रस्तुत कर विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार रामसागर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

9

3

खाता संख्या 159 :-

भूमि खसरा संख्या 46 रकवा 0.420 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेंहदी हसन व राजू पुत्रगण दीना व मोहम्मद अजीज, मो0 आजाद पुत्रगण रसीद व श्रीमती हफीजा बेवा रसीद निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खाातेदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर गात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियगानुसार किया जातेगा।

खाता संख्या 193 :--

भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 0.278 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजेन्द्र कुमार व रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप पुत्रगण शिवदयाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश तहसीलदार न्यायिक सदर लखनऊ वाद संख्या—928/880/26.06.08 गाटा संख्या—56 रकबा—0.278 है0 से राजेन्द्र कुमार व रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त होकर एशियन्ट टाऊन प्लानंश प्रावेट लिमिटेड—33 कम्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिंह बिन्द्ररा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी—1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनागा संक्रमणीय भूमि अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खातिदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिणीत किया जाता है। अभिनिणीत प्रतिकर का गुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २१४ :-

भूमि खसरा संख्या ८४ रकवा 0.596, है0, खसरा संख्या-८९ रकवा 0.379 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अमिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्री राम, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्र शिवनरायन, चिन्द्रका प्रसाद पुत्र हनुमान, रामचन्द्र पुत्र राजाराम, कनेडी, लिलत कुमार पुत्र ओम प्रकाश, देवी शरण, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ श्रीमती नन्हीं देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश तहसीदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-८८३/८७८३/३१.05.0८ गाटा संख्या-८४/0.596 है0 व ८९/0.379 है0 से नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मैमर्स सिंकारा रियल स्टेट एण्ड डवलेपर्स प्राइवेट लि० रिज0 ऑफिस-33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्र निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम द्वारा वैनामा संकमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्र निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ द्वारा नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ के हिस्से का बैनामा द्वारा 0.1084 है0 का अनुबन्ध किया गया है। आवारा एवं विकास परिवद रो दर के राग्वन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूगि खसरा संख्या २ रकवा 0.589 हे0, 280/0.046 हे0, 281/0.061 हे0 कुल 0.696 हे0 भूमि का खाता संख्या २२१ :-अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामचन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खातिदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुवन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खरारे पर द्वारा अभिनक्ता श्री जानेद इकवाल ने आपित प्रस्तृत कर विपक्षीमण को भूगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिणीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साहय प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या २४० :-

भूमि खसरा संख्या 79 रकवा 0.534, हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामपाल, शिवरतन पुत्रगण छेदा निवासी ग्राम के नाग पूर्व सन् फसली 13/3 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश तहसीदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-401/162/13.11.09 गाटा राख्या-79/0.534 हे0 के बक्दर भाग रकबा 0.267 हे0 माल गुजारी 60ख से विकेता रामपाल पुत्र छेदा का नाम िरस्त करके केता बाबू पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम वरौली खलीलाबाद परमना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ का नाग बतौर संक्रमणीय भूगिघर द्वारा बैनामा अंकित है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल ने आपत्ति प्रस्तुत कर विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/2 माग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र / अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया आयेगा।

खाता संख्या २४९:-

भूमि खसरा संख्या 143 रकवा 1.104 है0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में रूपचन्द्र पुत्र शम्भू तुलसी राम पुत्र पांचू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रूपयन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग 0.552 है० भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को ियगानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या ३१७:-

भूमि खसरा संख्या 221 रकवा 0.308 हे0, 282स/0.316 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूगि राजरव अभिलेखों में सालिकराग पुत्र घूरू निवासी धावाहर गजरा ग्राग के नाम पूर्व सन् फसली 1404 व 1382 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश रानी बिजनौर द्वारा पाका—11 का 24.01.09 खाला संख्या—315, 316, 317, 318 से मृतक सालिकराम के स्थान पर रामकिशन सुशील कुमार, द्विलीप कुमार पुत्रगण सालिकराग व श्रीमती सुगित्रा पत्नी सालिकराम निवासी घावाहर मजरा सेवई का नाम बतौर वारिस अंकित है। आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता. है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राग सेवई के प्राप्त हुये समझौते से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध आपत्तियों का उल्लेख सम्बन्धित खाता/खसरा संख्याओं मे कर दिया गया है जिनके निस्तारण के उपरान्त संबंधित भूस्वामियों से शपथपत्र व रवागिता की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहलान संबंधी पहलानएन प्रस्तुत करने के उपरान्त अभिनिर्णीत

प्रतिकर का भुगतान पात्र/अभिलिखित व्यक्तियो नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुसवल कलॉ के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ठ पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगें एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०अ० की

धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Mr 26.05-10 (बाबूलाल श्रीवास) अपर जिलाधिकारी (मू०अ०)

लखनक।

- LIE min Pros mit Paris 26.05 10 At

HAS AV >

गाम- नरीकी खनीलावाप

7

...